खण्ड-241, अंक-4
बुधवार, 6 चैत्र, शक संवत् 1885
(27 मार्च, 1963 ई0)

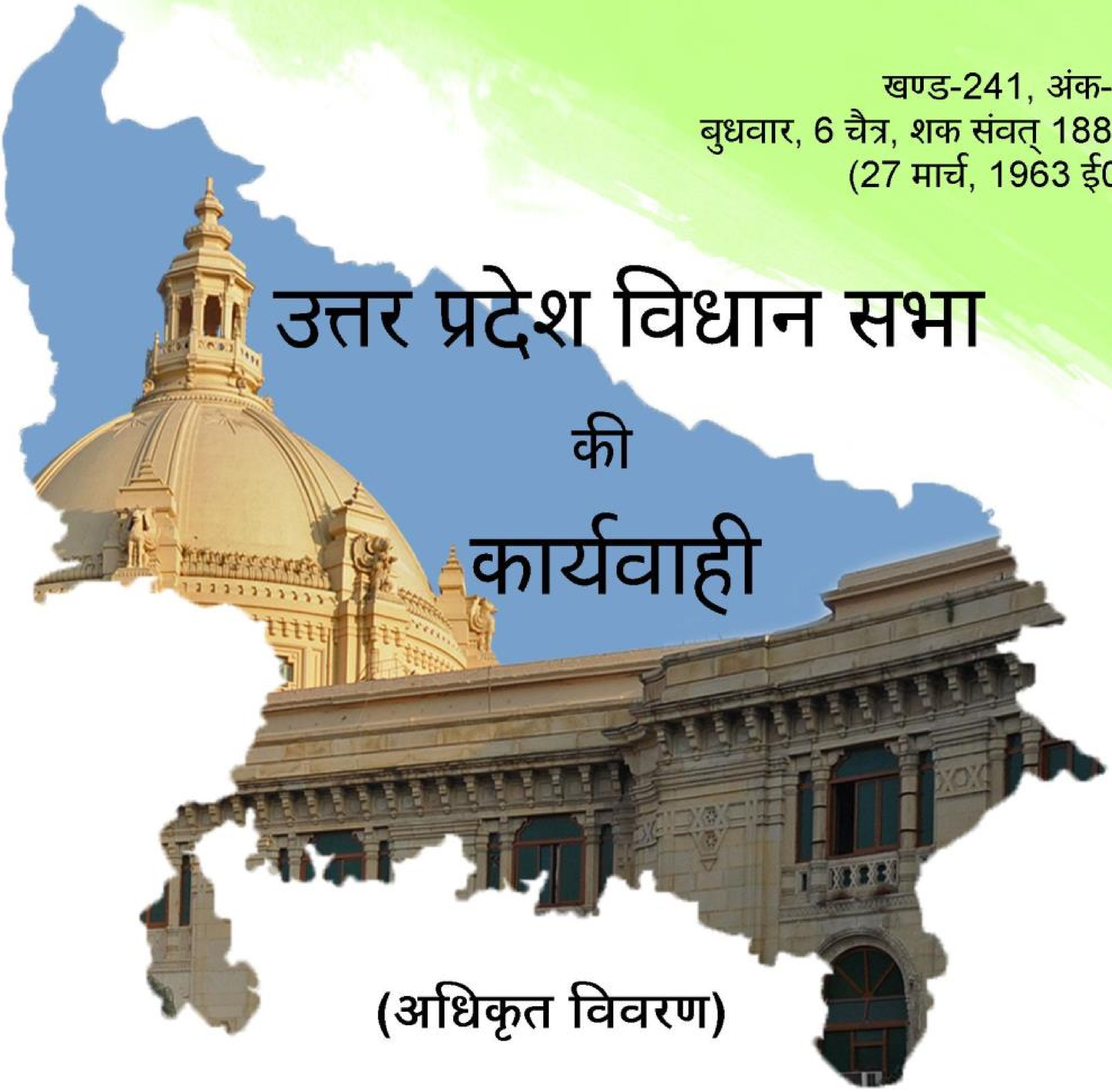

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 241 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २७ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३१३

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्ननगुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री

घासीरामजाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल कस्बरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलालयादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलाप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रूद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

वशिष्टनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसन, श्री
वैजनाथ पाँडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवभूति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २७ मार्च, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार

**१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित) तथा श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलावेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में परीक्षा के प्रथम दिन दिनांक २० मार्च, १९६३ को विश्वविद्यालय में छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया ? यदि हां, तो वह अभद्र व्यवहार करने वाले कौन लोग थे ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—

जी हां, अभद्र व्यवहार की तीन शिकायतें आईं। विश्वविद्यालय व स्थानीय विद्यालयों के ३ छात्रों के खिलाफ़ आरोप थे।

**२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित) तथा श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में इस समय परीक्षा के समय पुलिस का पहरा कम्पाउन्ड के अन्दर लगाया गया है ? यदि हां, तो कितनी पुलिस लगी है और क्या कारण हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी नहीं, केवल २ से लेकर ४ तक Traffic Constables यातायात नियन्त्रण करते हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बेरोजगार स्वर्णकार

*१—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा), श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा), श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा) तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—

क्या सरकार स्वर्ण नियन्त्रण नियमों से प्रभावित राज्य के स्वर्णकारों और सोने के कारीगरों को सहायता के साधनों पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वे क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

जी हां। जिन बेरोजगार स्वर्णकारों ने सेवा योजना कार्यालयों में अपना नाम पंजीकृत करा लिया है, उन्हें उनकी योग्यतानुसार कार्य दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इनमें से जो स्वयं अथवा उनके आश्रित संबंधी प्रशिक्षण चाहते थे और उसके योग्य थे उन्हें प्रशिक्षण केन्द्रों में भर्ती कराने के लिये संबंधित अधिकारी सचेष्ट रहेंगे।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस गोल्ड कंट्रोल रूल के आधार पर प्रदेश में कितने स्वर्णकार प्रभावित हुये हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

इनमें से अभी कुल ७८१ लोगों ने हमारे कानपुर के एम्पलायमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज कराये हैं, उन्हीं की संख्या यह है और पूरे प्रदेश की नहीं है।

श्री रक्षपालसिंह--

क्या मंत्री जी ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन कराया है जिसके आधार पर ऐसे बेकार स्वर्णकारों को सेवा योजना कार्यालय में काम दिये जा सकेगा ?

श्री बंशीधर पांडेय--

ऐसी हिदायतें भेजी गई हैं कि प्राविधिक कार्यों में अगर वह कुछ टेक्निकल होंगे तो उनको कार्य देने पर विचार किया जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त माथर (जिला सहारनपुर)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह इन स्वर्णकारों की कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर या दूसरी तरह से बिजली या रा-मेटीरियल का कोटा देने की सुविधा के लिये आदेश जारी करेंगे ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

यह स्वर्णकारों की समस्या सारे देश भर में है, वह केवल यहीं नहीं है और इसके विषय में केन्द्र की ओर से ही सोच विचार हो रहा है कि उनकी किस प्रकार मदद की जाय। हमारे पास चेयरमैन गोल्ड कंट्रोल बोर्ड की ओर से कुछ सुझाव आये हैं उनको काम दिलाने के संबंध में, उसमें बहुत से सुझाव हैं जैसे उनको उद्योगों में लगाया जाय, उनकी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई जायं, उनको जमीन दी जाय, उनको नौकरियों में प्रिफरेंस दिया जाय। यह सब उद्योग और वित्त विभागों से संबंधित हैं और उनके पास सारी चीजें रिफर की गई हैं। वह एगजामिन कर के कुछ नतीजा निकालेंगे। लेबर विभाग के अन्डर जो एम्पलायमेंट एक्सचेंज के जरिये किया जा सकता है वह किया जा रहा है। अभी यह मामला सेन्ट्रल गवर्नमेंट को रिफर किया गया है कि उनको प्रायर्टी दी जा सकती है या नहीं। यह उनकी इजाजत से ही हो सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

क्या सरकार केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव देगी कि स्वर्णकारों को १४ केरट गोल्ड का जेवर बनाने का प्रशिक्षण दिलाया जाय और वहां उनको इसकी शिक्षा दी जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जब फाइनेंस मिनिस्टर यहां आये थे तो उन्होंने खुद ही दिखाया था कि १४ केरट गोल्ड के कैसे जेवर बनते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला बहराइच)--

जिस प्रकार से बम्बई, कलकत्ता और गुजरात आदि में इस संबंध में हाई पावर कमेटी बनी है क्या वह यहां भी बनाई जायगी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

अभी कमेटी बनाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि जो तजवीजें आई हैं उन्हीं को इम्पलीमेंट करने पर विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

वह श्री पालीवाल का प्रश्न रह गया कि कुछ सुनार ऐसे हैं कि जो १४ केरट गोल्ड का जेवर नहीं बना पाते हैं, क्या उनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग देने की योजना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मैंने जवाब दिया कि जितना मैं समझती हूं उनको कोई खास ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

जब तक स्वर्णकारों को रिहैबिलिटेट करने की कोई व्यवस्था करे सरकार तब तक क्या उनको डोल्स देने पर विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

डोल्स भी विचाराधीन हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

क्या मंत्री जी मेरे पूर्व प्रश्न के आधार पर इन समस्या पर विचार करेंगी कि यहां के अनुसार आम तौर से १४ कैरेट सोने का जेवर नहीं बना सकते हैं अतः जिले में प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायं जहां उनको शिक्षा दी जाय ?

श्री अध्यक्ष--

इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--

मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना अब तक इकट्ठा हो सकी है कि इस नियम के लागू होने के बाद पूरे प्रदेश में कितने सुनार बेकार हो चुके हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सारे प्रदेश के आंकड़े अभी हमारे पास नहीं हैं, ऐम्प्लायमेंट एक्सचेंज से आ रहे हैं । कानपुर के आंकड़े मैंने बता दिये ।

श्री झारखंडेराय--

मंत्री जी को सूचना है कि लखनऊ के सबसे बड़े सोने के व्यापारी खुनखुन जी की फ़र्म है उसके अधीन काम करने वाले २०,००० आदमी इस नियम से बेकार हो चुके हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इतनी बड़ी संख्या की कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

मंत्री जी बतायेंगे कि जिन स्वर्णकारों की शैक्षिक योग्यता इतनी नहीं है कि वह नौकरी में जा सकें उनके लिये नया रोजगार खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

सारी बातें बता दी गई हैं ।

श्री शराफ़त हुसैन रिज़वी (जिला मुरादाबाद)--

मंत्री जी बतायेंगे कि बोर्ड के सदर के पास से कोई ऐसे आदेश आये हैं कि जिनके लड़के स्कूल, कालेजों में पढ़ते हैं उनको सरकार की तरफ से वजीफ़ा दिया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जो सुझाव सोचा जा रहा है उसमें फ्रीशिप और किताबों की मदद देने की बात भी है ।

श्री रक्षपालसिंह--

मंत्री जी को ज्ञात है कि केन्द्र द्वारा यह व्यवस्था हुई है कि कुछ उद्योगों के लिये सरकार शुद्ध सोना इस्तेमाल करने के लिये लाइसेंस देगी और कोटा भी देगी, तो जो सुनार छोटे-छोटे वजन के जेवर बनाते हैं क्या प्रदेशीय सरकार केन्द्र से सिफारिश करेगी कि ऐसे स्वर्णकारों के लिये जो अपने को रजिस्टर करा लें उनको एक सीमा तक आधा, चौथाई तोला तक शुद्ध सोने के गहने बनाने के लिये आज्ञा दी जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

ऐसा कोई रिप्रेजेन्टेशन स्वर्णकारों की तरफ़ से नहीं आया है, अगर आयेगा तो विचार किया जायगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या मन्त्री जी का ध्यान गुजरात और वेस्ट बंगाल की सरकारों की तरफ़ गया है जहां केन्द्र के इस बोर्ड के आदेश के अलावा उन्होंने अपनी स्कीम लागू की है ? तो क्या सरकार उन स्कीमों को मंगा कर अपने तरीके से विचार करेगी और लागू करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

पहले से ही इसकी तरफ़ सरकार का ध्यान है और वह स्कीम मंगायी गई है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

कानपुर में टीन की चादरों का वितरण

*१--श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६२-६३ में कानपुर जिले के विकास कार्यों के लिए दिये गये नालीदार टीन की चादरों के कोटे के मामले में, जो कि कानपुर जिला कोआपरेटिव संघ के पास था, वह देहातों में न वितरण कर शहर के एक व्यापारी को दिया गया ? यदि हां तो किस कार्य के लिए तथा किन परिस्थितियों में दिया गया है ?

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)--

जी हां। जिला कोआपरेटिव संघ, कानपुर के सूचित करने पर कि नियोजन कार्य के लिए लोहे की सामग्री जो १९५९, १९६० से पड़ी हुई थी, खराब हुई जा रही थी और उसका मूल्य भी दिन प्रति दिन कम होता जा रहा था, उक्त सामग्री के निष्कासन की व्यवस्था की गई। क्योंकि केवल पुराना माल कोई नहीं लेता, नई नालीदार चादरें उस पुराने माल के साथ मिला दी गईं। इससे पुराना माल भी उठ गया। माल कानपुर के एक व्यापारी ने खरीदा।

*२--श्री सन्तसिंह यूसुफ--

क्या राज्य सरकार के किसी आई० ए० एस० अधिकारी द्वारा इस प्रकार की शिकायत की जांच की गयी है ? यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम हैं और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--

जी हां। अधिकारी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री संतसिंह यूसुफ---

माननीय मन्त्री यह बतलायेंगे कि इस अधिकारी के खिलाफ़ और भी शिकायतें आई हैं और अगर आई हैं तो वे क्या हैं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--

उनके खिलाफ जो शिकायतें आई थीं उनमें खास-खास शिकायतें यह थीं कि लागबुक ठीक तरह से नहीं भरी गयी। दूसरी शिकायत यह थी कि स्टेशनरी वगैरह में घपला है। डेवलपमेन्ट कमिश्नर ने जांच की लेकिन कोई चीज खास एतराज की नहीं मिली।

श्री झारखंडेराय---

पुराने चादर में कितनी नई चादर मिलाई गई जिससे पुरानी चादर खप सकीं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---

नई चादरें २२ टन जी० सी० मिलाई गयीं।

श्री झारखंडेराय---

मिलावट के बाद जो चादरें बनाई गयीं उनको किस रेट से बेचा गया ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--
रेट्स के बारे में सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--
जिनको पुरानी चादर बतलाया गया है उनकी क्वालिटी गिर गयी या खराब हो गयी थीं या कोई और बात थी ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--
वह बहुत पुरानी हो गयीं और खराब हो गयी थीं, इसलिए बेचने की आवश्यकता पड़ी।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)--
पुरानी चादरों को कब खरीदा गया और कितने अर्से के बाद वे पुरानी हो गयीं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--
सन् १९५६ में खरीदा गया था।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--
जिन लोगों को यह नई और पुरानी मिली हुई चादरें बेची गयी हैं उन व्यापारियों के नाम क्या हैं और उनको किस हिसाब से बेचा गया और वे क्या लोहे के व्यापारी थे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री झारखंडेराय--
मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस उच्च अधिकारी ने जांच की और जिसकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है उसमें इस बात की भी चर्चा की गयी है कि जो बेचने वाले अधिकारी थे उन्होंने वाजिब दाम से कम दाम लिये और बहुत बड़ा कमीशन खुद ले लिया ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--
इस सम्बन्ध में शिकायतें अवश्य हुई हैं और इस बारे में जो इंक्वायरी की गयी उससे यह साबित नहीं हो सका कि ब्लेक किया गया। लेकिन सेक्रेटरी, जिला सहकारी संघ, के खिलाफ कुछ शिकायतें अवश्य आईं और उनके खिलाफ इंक्वायरी भी सरकार के विचाराधीन है।

श्री बसन्तसिंह--
३, ४ साल के अर्से में ही क्या टीन की चादरें खराब हो जाती हैं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--
खराब होने पर इन्हें बेचने की बात की गयी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--
चादरों की बाजार में इतनी कमी है उसको ध्यान में रखते हुये उनका डिसपोज आफ करने के लिये क्या एडवर्टाइजमेंट या और कोई तरीका इस्तेमाल किया जिससे पता चल सके कि सस्ते दामों में चादरें मिल सकती हैं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--
प्लानिंग आफिसर के पास चादरें नहीं थीं। सेक्रेटरी, जिला सहकारी के पास थीं। उन्होंने चाहा था कि आप परमिशन दे दीजिए। इसी पर माल खराब होने की वजह से परमिट दे दिये गये।

श्री गंगाप्रसाद--
५६ में जब चादरें खरीदी गयीं तब क्यों नहीं बेची गयीं और ये कितने टन थीं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--
मैंने पहले ही बतलाया यह माल सेक्रेटरी, जिला सहकारी संघ, के पास था।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चादर चाहे पुरानी हो चाहे नयी बाजार में वह रुक नहीं सकती इस मामले में जो घोटाला है उसकी दुबारा जांच करायेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इस मामले में जो प्रिलिमिनरी जांच हुई है उससे हम लोग समझते हैं कि दोबारा जांच करनी चाहिये और दोबारा जांच का इन्तजाम किया जा रहा है।

*३-४--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

*५--श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल का मरीजों पर बकाया

*६--श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित बलरामपुर हास्पिटल के स्पेशल वार्ड में प्रविष्ट उन मरीजों पर जो अब हास्पिटल छोड़ चुके हैं क्या कुछ धनराशि विभाग की अवशेष है ? यदि हां, तो किन-किन पर, कितनी-कितनी तथा कब से कब तक की ?

चिकित्सा उप मन्त्री (श्री धर्मसिंह)--

जी हां। †सूचना संलग्न है।

*७--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवशेष धनराशि की प्राप्ति के निमित्त सरकार ने सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ? तथा भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री धर्मसिंह--

उक्त अवशेष धनराशि की प्राप्ति के लिये सम्बन्धित व्यक्तियों को अस्पताल के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्मरण पत्र भेजे जाते रहे हैं। भविष्य में इस धनराशि की प्राप्ति के लिये अस्पताल के अधिकारी विशेष प्रयत्न कर रहे हैं।

*८--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बकायादारों में कुछ पूर्व एम० एल० सी, एम० एल० ए० तथा उनके कुटुम्ब के सदस्य भी हैं ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन पर कितना-कितना और कब का बकाया है ?

श्री धर्मसिंह--

भूतपूर्व एम० एल० सी०, एम० एल० ए० तथा उनके कुटुम्ब के सदस्यों के नाम तथा उन पर बकाया धनराशि इत्यादि प्रश्न ६ के उत्तर के साथ संलग्न सूची में सम्मिलित हैं।

श्री रामकिशोर वर्मा--

मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि जो आपने सूची दी है यद्यपि उसमें टोटल नहीं है लेकिन मैंने हिसाब लगाया कि बलरामपुर हास्पिटल का बकाया ३५,१८८ रुपया ५१ नये पैसे हैं और वह प्रदेश के बड़े-बड़े अधिकारियों एम० एल० ए०, एम० एल० सी०, उनके कुटुम्ब के सदस्यों और कुछ हमारे भूतपूर्व मंत्रियों जिनमें श्री मंगला प्रसाद, श्री मोहनलाल गौतम, श्री लक्ष्मीरमण आचार्य और श्री रउफ जाफ़री हैं और वर्तमान में श्री गिरधारी लाल, श्री हुकुम सिंह, श्री चतुर्भुज शर्मा और बनारसी दास हैं इन पर बकाया है, तो इनसे यह रुपया क्यों नहीं वसूल किया गया जब कि यह धनराशि मई, १९४९ और १९६२ के बीच की है और इसके अब तक वसूल न करने का कारण क्या है ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री धर्मसिंह---

यह बात सही है कि जिन सदस्यों का आपने नाम लिया उनके नाम इसमें सम्मिलित हैं लेकिन डिपार्टमेन्ट की तरफ़ से समय-समय पर कोशिश की गयी है, उनके पास इत्तला भेजी गयी है, उनसे प्रार्थना की गयी है कि वे जल्दी से जल्दी पैसा दे दें।

श्री रामकिशोर वर्मा---

कृपया मंत्री जी यह बतायें कि जो हमारा साधारण किसान होता है उसके ऊपर अगर शासन का थोड़ा सा भी पैसा रह जाता है तो आप उसे बकाया मालगुजारी की तरह से वसूल कर लेते हैं लेकिन यह जो १९४९ से बकाया है उसको कुर्की द्वारा वसूल करने के आदेश क्यों नहीं जारी किये गये ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)---

इसमें बात यह है कि हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि हम उसको लैंड रेवेन्यू या टैक्स की तरह वसूल कर लें। अब बहुत से लोग इसमें हैं जो मर गये। जो मौजूद हैं उनसे वसूल करने की यही तरकीब हो सकती है कि उनसे बार-बार कहा जाय। हम उनसे कहते हैं। इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं ? ठाकुर हुकुम सिंह का नाम तो इसमें है नहीं और न ये बीमार हो कर कभी गये हैं और न इनके ऊपर रुपया बाकी है।

श्री शराफ़त हुसैन रिज़वी---

यह देखते हुए कि बहुत से मंत्रियों पर अस्पताल का पैसा बकाया है क्या सरकार कोई ऐसा आदेश देगी कि जिन मन्त्रियों पर बकाया है उनका इलाज भविष्य में बलरामपुर में न किया जाय ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

हमारे मैनुअल में यहीं है कि जब कोई मरीज़ आये तो उससे एक हफ्ते का चार्ज पहले जमा करा लिया जाय। लेकिन आप देखें कि यह कहां तक व्यावहारिक है। जब कोई मरीज़ आता है तो परेशान होता है और उससे हम कहें कि आप पहले रुपया जमा कर दीजिए फिर भरती हों तो यह कुछ उचित नहीं होगा। इसलिए उस वक्त तो रुपया नहीं जमा करा सकते। लेकिन अब यह किया है कि जिनके ऊपर रुपया बकाया है उनको तीन श्रेणी में बांटा है। एक सरकारी कर्मचारी हैं, दूसरे सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं और तीसरे विधायक हैं। सरकारी कर्मचारियों के अफसरों को वसूल करने के लिये लिखा जायगा, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के लिए जिला अधिकारियों को लिखा जायगा और विधायकों से एक मर्तबा फिर कहा जायगा और अध्यक्ष महोदय को लिखा जायगा कि वे वसूल करा दें।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि ऐसे कितने एम० एल० एज़० हैं जिन पर अब तक अस्पताल का पैसा बकाया है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

जो सूची दी हुई है उसमें सब के नाम दिये हुये हैं।

श्री अध्यक्ष---

अभी मंत्री जी ने कहा कि वे मेरा सहयोग लेंगे और मुझे विश्वास है कि एम० एल० एज़० मुझे सहयोग देंगे और पैसा वसूल हो जायगा।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)---

मंत्री जी ने अभी कहा कि कुछ लोग मर चुके हैं तो जो लोग जीवित हैं और जीत कर आये हैं उन विधायकों और एम० एल० सीज़० से पैसा काटकर अस्पताल को दे दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कहा है कि वे मुझसे परामर्श करेंगे।

श्री जे० पी० मिश्र---

क्या सरकार को मालूम है कि एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० गरीब हैं और कम तनख्वाह पाते हैं इसलिये उनका बकाया माफ करने की कोशिश करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

यह रिप्रेजेन्टेशन अध्यक्ष महोदय को कीजिये, वही विचार करेंगे।

श्री यशपालसिंह वर्मा (जिला सहारनपुर)--

कोआपरेटिव सोसाइटीज के ड्यूज जिन पर बकाया होते हैं उनको डिबार कर दिया जाता है, म्युनिसिपैलिटी के ड्यूज जिन पर बकाया होते हैं उनको इलेक्शन से डिबार कर दिया जाता है, इसलिये जिन लोगों के पास बकाया है उसको सरकारी रकम मानते हुये क्या उनको सार्वजनिक जीवन से डिबार कर दिया जायगा ?

श्री धर्मसिंह---

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मंत्री जी ने बतलाया, इसके लिये चारों तरफ से कोशिश की जायगी और सब लोगों को लिखा जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

अध्यक्ष महोदय, सिविल लाज के मुताबिक रुपया वसूल करने के लिये तीन साल में कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो वह लैप्स कर जाता है। तो क्या सरकार इसको लैप्स समझ कर माफ करने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

यह मान्यता दीवानी के मुकदमें के लिये है और मंत्रियों तथा विधायकों के लिये समझा जाता है कि यह डैट आफ आनर है और वे अदा कर देंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

क्या मन्त्री जी को सूचना है कि विधायक बलरामपुर अस्पताल जाते हैं तो भरती होने के समय ५० रुपये पेशगी मांगे जाते हैं ? यदि हां, तो क्या ऐसे आदेश जारी किये गये हैं ?

श्री धर्मसिंह---

श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है, न कोई हिदायत है और न कोई कायदा कानून है, अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे कि रुपया मांगा गया तो जांच करा लेंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

श्रीमन्, मुझसे मांगे गये और मेरे पड़ोसी चुन्नीलाल जी गेमांसे गये।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर भेज दीजिए।

[२७ मार्च, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्रवृत्ति

*१---श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---

क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने पर विचार करेगी कि जिस तरह से सरकार की आई० टी० आई० औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रत्येक हरिजन विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दी जाती है उसी प्रकार से प्रत्येक पिछड़ी जाति के विद्यार्थी को भी छात्रवृत्ति दी जाया करे ?

श्री बंशीधर पांडेय---

इस प्रकार का नियम बनाना इस समय संभव नहीं है।

श्री गणेशचन्द्र काछी---

श्रीमन्, सरकार ने कहा है कि इस वक्त ऐसे नियम बनाना सम्भव नहीं है तो सरकार कब तक ऐसे नियम बना देगी जिससे पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति मिल जाया करे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

इस प्रकार की योजना पहले से हरिजनों के लिये है ही और जैसे जैसे फंड होते जायंगे इसके लिये देखा जायगा और अब भी अगर रकम बच जाती है तो पिछड़ी जाति के लोगों को भी क्षात्रवृत्ति दिये जाने पर विचार किया जाता है।

औद्योगिक विवादों का निपटारा

*२--श्री संतसिंह यूसुफ--

क्या श्रम मंत्राणी कृपया बतायेंगी कि औद्योगिक संधि के प्रस्ताव में जो निश्चय हुआ था कि औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिये मध्यस्थता का प्रयोग किया जाय और जो मामले संराधन के निमित्त भेजे जायं उनमें जल्दी फैसले की व्यवस्था की जाय तो क्या मन्त्राणी जी बताने की कृपा करेंगी कि इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

औद्योगिक संधि प्रस्ताव के अनुसार सभी संराधन अधिकारियों और श्रम विभाग के अन्य अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि उनके समक्ष जो औद्योगिक विवाद उपस्थित हों उनमें वे दोनों पक्षों को सलाह दें कि उन सभी विवादों को जो पारस्परिक समझौते से तय न हों, उन्हें मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन) द्वारा निटान के लिये पंच निर्णय के लिए दे दें। तदनुसार सभी विवादों में ऐसे सुझाव दिए जा रहे हैं। औद्योगिक संधि प्रस्ताव के अनुसार सभी संराधन अधिकारियों को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि वे उन विवादों को जो उनके समक्ष उपस्थित हों उन्हें शीघ्र निपटाने की चेष्टा करें। तदनुसार कार्यवाही हो रही है।

*३--श्री संतसिंह यूसुफ--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लक्ष्मीरतन काटन मिल्स, कानपुर में एक पाली बन्द करने की इजाजत कैसे दी गई और यह किस प्रकार औद्योगिक संधि प्रस्ताव के अनुकूल है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

मेसर्स लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर, में एक पाली बन्द करने की इजाजत नहीं दी गई है और न वहां एक पूरी पाली बन्द ही हुई है।

*४--श्री संतसिंह यूसुफ--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि औद्योगिक संधि प्रस्ताव के बाद किन परिस्थितियों में कपड़े का उत्पादन बढ़ने के बजाय घटा है और सरकार सेवायोजकों द्वारा औद्योगिक संधि प्रस्ताव की अवहेलना के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

औद्योगिक संधि प्रस्ताव के पश्चात् कपड़े के उत्पादन में कुछ कमी आई है जो मुख्यतः कुछ अनिवार्य व्यापारिक कारणों से हुई बतलाई जाती है। इस बात की कोशिश की जा रही है कि कुछ मिलों में जो लूम्स बन्द हो गए हैं उन्हें पुनः चालू कर दिया जाय।

श्री संतसिंह यूसुफ--

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि उद्योग विभाग में जब आर्बिट्रेशन का मामला आता है तो एम्प्लायर्स उस आर्बिट्रेशन को मानने के लिए तैयार नहीं होते उन झगड़ों को आर्बिट्रेशन में देने के लिए या पुराने झगड़ों को देने के लिए, इस पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

हमारे अफसरों को पूरी हिदायत दे दी गयी है कि पूरी तरह से कोशिश करें कि आर्बिट्रेशन में केस ले जायं। यह बात सही है कि आर्बिट्रेशन में केस रेफर करने में अड़चन मालिकों की तरफ से आती है क्योंकि मजदूर राजी हो जाता है। उनको हर तरीके से समझाया जाता है इस मामले में दबा सकते नहीं। मगर इन दिनों आर्बिट्रेशन का रेफरेंस पिछले साल के मुकाबले में चार गुना ज्यादा हुआ है।

श्री संतसिंह यूसुफ--

मैं एक बात जानना चाहता हूं, जब अच्छा अच्छा कानून लागू है और मालिक कानून नहीं मानता है, सरकार की कोई बात मालिक नहीं मानता है, सम्पूर्णानन्द अवार्ड को भी लागू नहीं किया है, त्रिदलीय सम्मेलन को भी नहीं मानता है, तो कोई कार्यवाही उसके खिलाफ होगी या खाली समझाने का ही मामला रहेगा और कब तक रहेगा ?

श्री अध्यक्ष--

आप कई सवाल कर देते हैं। अगर इतना पूछ लेते कि डी० आई० आर० में क्यों कार्यवाही नहीं करते तो काफी होता।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

कानूनन हम कार्यवाही कैसे कर सकते हैं यह मैं नहीं जानती। समझाया जाता है और समझाने में कुछ दबाव भी पड़ सकता है। उस तरीके से यह हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--

डी०आई० आर० नहीं इस्तेमाल हो सकता आर्बिट्रेशन में भेजने के लिए।

श्री ब्रह्मदत्त माथुर--

क्या मंत्राणी जी को इस बात की जानकारी है कि आप ही की अध्यक्षता में जून, १९६२ के महीने में हायडिल और केसा बिजली मजदूर यूनियन की मीटिंग हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया था कि केसेज आर्बिट्रेशन को भेज दिये जायंगे और क्या मंत्राणी जी को जानकारी है कि लेबर सेक्रेटरी श्री रैंक का जो आपने यहां अधिकारी नियुक्त किया है उसके पास १८, २० केसेज आये हैं और आज तक उनमें से कोई भी आर्बिट्रेशन को भेजा गया, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इस वक्त मैं नहीं बता सकती क्योंकि केसा का मामला हमारे सामने नहीं है। कंसीलिएशन बोर्ड होता है जिसमें सारे केसा के केस रेफर होते हैं।

श्री संतसिंह यूसुफ--

माननीय मंत्री जी ने लक्ष्मीरतन काटन मिल्स के बारे में कहा मेरी जानकारी है कि एक शिफ्ट से ज्यादा बन्द हुई। लेकिन अगर एक शिफ्ट से कम बन्द हुई तो क्या उसके लिए सरकार से परमीशन मांगी गयी थी बन्द करने के लिए या वर्कर्स को हटाने के लिए, अगर नहीं मांगी गयी तो सरकार क्या कार्यवाही करने को सोच रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

लक्ष्मी रतन काटन मिल्स का कोई भी शिफ्ट बन्द नहीं हुआ है। एक शिफ्ट में कुछ कम लोक काम कर रहे हैं इसलिए कि वहां आज कल वह कनवैस बना रहे हैं मिलिटरी के काम के लिए, इस कारण से कुछ वर्कर वहां कम लगे हुए हैं। इसके बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं।

श्री ऊदल--

यदि मिल मालिक आर्बिट्रेशन को नहीं मानते हैं तो क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार करेगी कि जो औद्योगिक विवाद कानून है उसमें कुछ इस तरह का संशोधन किया जाय कि जिससे उनको भी मजबूर किया जाय ताकि मजदूरों में असन्तोष न हो और वह उसे मानने के लिए भी मजबूर हो जायं तथा सरकार को पावर भी मिले?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

ऊदल जी ने जो सवाल उठाया है वह एक बुनियादी सवाल है। इसका फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट और हर स्टेट गवर्नमेंट को एक साथ बैठ कर करना पड़ेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी उन्होंने जो कहा है कि कुछ मजदूर हटाये गए और उसकी जांच सरकार कर रही है, तो यह मसला पिछले एक महीने से चल

रहा है और पिछली बार सदन में आश्वासन दिया गया था कि लखनऊ में एक मीटिंग हो रही है श्रम विभाग से संबंधित अधिकारियों की और जो मिलों के लोग हैं उनकी, तो उस मीटिंग में सरकार ने क्या कोई ऐसा प्रस्ताव रखा था कि इस संकटकाल में मजदूरों को हटाना वाजिब नहीं होगा, उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ? यदि हां, तो क्या उसके बाद स्थिति में कोई सुधार हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

लड़ाई के समय में कोशिश करके लोगों को न हटाया जायगा यह तो मानी हुई बात है, एक्सेप्टेड पालिसी है और हमें यह इन्फार्मेशन दी गई थी आप लोगों की तरफ से कि एक शिफ्ट बन्द हो गई है, हमारी इन्फार्मेशन है कि शिफ्ट नहीं बन्द हुई है, उसमें पूरे लूम्स नहीं चल रहे हैं, कुछ लूम्स चल रहे हैं और वह लूम सारे मिलिटरी के कार्य में लगे हुए हैं। वहां कुछ श्रमिक हटाये गए, इसकी हमारे पास इन्फार्मेशन नहीं है।

गाजीपुर जिले के अस्पताल

*५—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के सैदपुर मरदाना अस्पताल में कितने इनडोर बेड्स हैं और डाइट मनी के रूप में सरकार ने १९५९-६० तथा ६०-६१ और ६१-६२ में कितना धन स्वीकृत किया है ?

गृह मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

गाजीपुर जिले के सैदपुर मर्दाना अस्पताल में ८ इन्डोर बेड्स हैं। डाइट मनी के रूप में १९५९-६०, ६०-६१ तथा १९६१-६२ में इस अस्पताल के लिये कोई धन स्वीकृत नहीं किया गया।

*६—श्री कमलासिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के सैदपुर नन्दगंज तथा सादात अस्पतालों में अटेन्डेन्ट शेड हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनके बनाने की कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं। गाजीपुर जिले के सैदपुर, नन्दगंज तथा सादात अस्पतालों में अटेन्डेन्टस शेड नहीं है। शासन का इन अस्पतालों में अटेन्डेन्टस् शेड बनाने का अभी कोई विचार नहीं है।

हरिजन कल्याण कार्यों पर व्यय

*७—श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार करेगी कि जिस तरह १९६०-६१ तक जिला हरिजन सहायक समितियां कार्य कर रही थीं उसी ढंग से पुनः उन्हें संगठित कराया जाय क्योंकि विकेन्द्रीकरण के नाम पर संगठित हुई जो जिला समिति कार्य कर रही है उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जी नहीं।

*८—श्री जमादारसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा पूरे प्रदेश के जिलों में गृह निर्माण, कूप निर्माण, कुटीर उद्योग, लघु सिंचाई योजना आदि अनुदानों के लिये कितने रुपये की व्यवस्था की गई थी और उसमें से कितना व्यय हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*९---श्री जमादार सिंह (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल--

[हटा दिया गया ।]

विधायकों को सहकारी बैंकों का डाइरेक्टर बनाना

*१०---श्री गणेशचन्द्र काछी तथा श्री नरोत्तमसिंह (जिला बदायूं)--

क्या सरकार जिला कोआपरेटिव बैंकों में उस जिले के विधायकों को भी पदेन डायरेक्टर बनाने पर विचार कर रही है ?

न्याय मंत्री के सभासचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)--

जी नहीं ।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिले के विधायकों को जिला कोआपरेटिव बैंक का पदेन सदस्य मान लेने में सरकार को क्या-क्या कठिनाई है ?

श्री चन्द्रसिंह रावत--

जिला सहकारी बैंक रजिस्टर्ड बाडी है और उसके अपने बाई-लाज हैं । उन बाई-लाज के अन्दर केवल वही लोग उसके बार्ड आफ डाइरेक्टर में हो सकते हैं जो शेयरहोल्डर्स हैं । उसमें कोई ऐसी व्यवस्था पदेन सदस्य की नहीं । है इसलिए सरकार मजबूर है इस बात के लिये कि आपकी इस बात को वह मान नहीं सकती कि उनको पदेन सदस्य बनाया जाय ।

*११-१२---श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

कानपुर का जाजमऊ श्रम क्षेत्र

*१३---श्री ऊदल तथा श्री विजयपाल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार कर रही है कि कानपुर तथा जाजमऊ में चमड़ा टेनरियों में कार्य करने वाले मजदूरों के लिये क्वार्टर की व्यवस्था मालिकों से कराने तथा जो ५ झल्ली सड़ा हुआ बक्कल जलाने के लिये देती है उसकी जगह लकड़ी दिलवाने की व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जी नहीं ।

*१४---श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह--

क्या सरकार जाजमऊ एरिया में एक अच्छा बीमा अस्पताल बनवाने तथा एक लेबर सेंटर इंस्पेक्टर की नियुक्ति करने पर विचार करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जाजमऊ में बीमा चिकित्सालय भवन के निर्माण हेतु जे० के० रेयन फैक्टरी के पास एक प्लाट खरीदा जा चुका है तथा चिकित्सालय भवन का शीघ्र निर्माण करने के लिये कार्यवाही की जा रही है । जाजमऊ की टेनरियों के लिये कोई अलग से लेबर इन्सपेक्टर नियुक्त नहीं है ।

श्री ऊदल---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह जाजमऊ का इलाका जो है, सूती मिलें उससे काफी दूर हैं, करीब आठ दस मील दूर हैं ? और इसके महत्व को देखते हुए यहां एक लेबर इंसपेक्टर की आवश्यकता है क्योंकि यहां काफी मजदूर हैं, तो क्या सरकार वहां एक लेबर इंसपेक्टर नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

लेबर इंसपेक्टर जो नियुक्त होते हैं वह इंडस्ट्रीज वाइज नहीं होते हैं, वह रीजन वाइज होते हैं। सारे कानपुर के लिये १० लेबर इन्सपेक्टर हैं। अगर वे अपना काम पूरा नहीं कर सकेंगे तो जरूर फिर विचार किया जायगा।

श्री ऊदल—

चिकित्सालय के लिये जो जमीन खरीदी जा चुकी है उस पर निर्माण कब तक हो जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह तो बतलाना मुश्किल है। मेडिकल डिपार्टमेंट इसका कार्य कर रहा है। उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सकेगा वह करेगा।

श्री रघुवीर—

क्या माननीया मन्त्री जी बतलायेंगी कि इन मजदूरों को मिल मालिकों से क्वार्टर दिलवाने में सरकार के सामने क्या दिक्कत है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मजदूरों के लिये कुछ क्वार्टर तो सरकार खुद बनाती है और उन लेबर कालोनी में वह लोग रह सकते हैं। दूसरे मिलमालिकों को सरकार की तरफ से क्वार्टर बनाने के लिये रुपया दिया जाता है, उससे वे लेबर के लिये क्वार्टर बनाते हैं। मगर इसमें कामयाबी हमको कम मिली है। मिल मालिकों ने इसमें कम दिलचस्पी ली है कि वे लोन लेकर मजदूरों के लिये क्वार्टर बनायें।

श्री ऊदल—

क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि अगर मिलमालिकों की तरफ से मजदूरों के लिये क्वार्टर देने की व्यवस्था नहीं है तो सरकार स्वयं अपनी स्कीम बनाकर उनके लिये कालोनी बना दे ताकि मजदूरों के लिये रहने की व्यवस्था हो सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जाजमऊ में एक लेबर कालोनी मौजूद है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार यह जानती है कि जो जाजमऊ में लेबर कालोनी है उसमें क्वार्टरों का किराया ज्यादा है ? १५ रुपया महीना करीब हर एक क्वार्टर का रेन्ट पड़ता है। तो सरकार उन क्वार्टरों का किराया कम करेगी जिससे टैनरी के कर्मचारी भी उनमें जाकर रह सकें ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह बहुत मुश्किल सवाल है। यह जो क्वार्टर बनते हैं यह क्वार्टर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अनुसार बनते हैं और वह इसके लिये रुपया देते हैं। उनका एक फार्मुला है जिस के अनुसार उनका रेन्ट फिक्स होता है। उसमें खास तौर से लेबर को मदद देने के लिये सस्ता रेन्ट चार्ज किया जाता है। क्योंकि आजकल मैटीरियल के दाम बहुत ज्यादा है जिससे मकान महंगा पड़ता है, इसलिये हम बहुत ज्यादा कोशिश करने पर भी इससे ज्यादा रेण्ट घटा नहीं सकते।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

इस बात को देखते हुये कि इन मजदूरों का मंहगाई भत्ता ४६ रुपया है और ४६ रुपये में से १५ रुपया किराया नहीं दे सकते, तो सरकार कुछ सबसिडी देने के बारे में या मिलमालिकों से दिलाने के बारे में विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

*१५—श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़)—

[कल बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१६–१८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

[कल बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

*१९–२१—श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

ब्लाकों के अस्थायी कर्मचारी

*२२—श्री शराफत हुसैन रिजवी —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि अभी तक ब्लाकों में कार्य करने वाले क्लर्कों को परमानेन्ट नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

जी हां। क्षेत्र कार्यालयों के स्थाई पदों के वितरण का प्रश्न विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही जिला नियोजन अधिकारियों को आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं।

*२३—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या नियोजन मंत्री बतलायेंगे कि विकास खंडों में काम करने वाले अन्य स्टाफ को परमानेन्ट करने के साथ-साथ क्लर्कों की उपेक्षा किन कारणों से की गई है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

उपेक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि क्लर्कों को स्थायी करने का प्रश्न स्थायी पदों के वितरण के बाद ही उठेगा।

*२४—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या नियोजन मंत्री बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में क्लर्कों ने सरकार के सामने अपना कोई मांग-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या आश्वासन दिया ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

स्पष्ट विवरण, तिथि इत्यादि मालूम होने से ही प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि ब्लाकों में ७, ८ साल से काम करने वाला जो स्टाफ है उसको इस वक्त तक परमानेन्ट क्यों नहीं किया गया ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

ज्येष्ठता के सिद्धान्त का निर्णय हो चुका है। उसका एक जी० ओ० गवर्नमेंट की तरफ से निकला था। अभी हाल ही में अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत काम करने वाले लोगों का भी स्थानान्तरण कर दिया गया है। यह ६ या ८ महीने के पहले की बात है। इसलिये यह देर हुई है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या माननीय मंत्रीजी बतलायेंगे कि ब्लाकों में काम करने वाले क्लर्कों के लिये सरकार ने परमानेन्सी के कोई अलग से नियम बना रखे हैं ? यदि हां, तो सरकार उन पर प्रकाश डालेगी ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

यह प्रदेशीय आधार पर जो नियम बने हैं प्लानिंग में वही नियम हैं। उनके लिये और इसके लिये गवर्नमेंट का एक जी०ओ० भी है।

श्री ऊदल—

इस बात को देखते हुये कि जिस अनुपात में ए०डी०ओ० का कंफर्मेशन किया गया है उस अनुपात से क्लर्कों का कंफरमेशन नहीं किया गया है, क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उसी अनुपात में क्लर्कों को भी कंफर्म कर दिया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

क्लर्कों की परमानेंसी में दिक्कत यह आयी थी कि डिस्ट्रिक्ट लेबिल में कई विभाग हैं और उन सब को एक जगह पूल किया गया। उसमें ऐग्रीकल्चरल, एनीमल हस्बेंडरी, पंचायत राज विभाग आदि है और उनमें अपनी अलग-अलग सीनियेरिटी है। जब उनको पूल किया गया तो यह समस्या आयी कि सीनियेरिटी कैसे निर्धारित की जाय और इसके लिये गवर्नमेंट को पालिसी डिसीशन लेना पड़ा और अब उस के अनुसार ही सीनियारिटी की लिस्ट बन रही है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

मंत्री जी ने मेरे सवाल के उत्तर में बतलाया कि एक जी०ओ० है। क्या मंत्री जी उस जी०ओ० पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि उसमें क्या-क्या मुख्य बातें हैं?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

वह जी०ओ० काफी लम्बा है और उसमें कई आइटम्स हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उसका नम्बर है १४१३६/३५ए—१४१०८/६२, यह दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ का जी०ओ० है। आप चाहें तो इसे आ कर देख सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

उस पालिसी डिसीशन की मुख्य बातें क्या हैं जो सरकार ने लिया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह जी०ओ० देख लेने से पता चल जायगा।

श्री ऊदल—

जिस जी०ओ० में यह नया पालिसी डिसीशन लिया गया है उसमें क्या इस बात का भी जिक्र है कि बी०डी०ओ० अब ए०डी० एम० प्लानिंग के पद तक पहुंच सकेगा?

श्री अध्यक्ष—

आप के सवाल में कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि वह आपको दिखला दिया जायगा। आप उसे देख लीजियेगा। उसके बाद अगर कोई प्रश्न उठेंगे तो फिर उनकी सफाई कर लीजियेगा। और अगर इस समय पता हो तो माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दे दें।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

जो जी०ओ० निकला है उसमें क्लर्क भी शामिल हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर कोई कदम उठाने से पहले एनीमल हस्बेंडरी, पंचायत राज, आदि दूसरे विभागों से परामर्श करना पड़ता है। तो इस सिलसिले में क्या सरकार इस तरह का कोई कदम उठायेगी कि यह सारे जितने मुहकमें हैं वह सब एक जगह पर कर दिये जायं ताकि उनके क्लर्कों के बारे में या दूसरे और कामों के बारे में कोई फैसला लेने में कोई कठिनाई न हो?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मेरा जवाब माननीय सदस्य की समझ में शायद नहीं आया। मैंने कहा था कि यह अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं और जो उनके क्लर्क्स हैं उनको एक पूल में डाल दिया गया। एकत्रित कर दिया गया है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो प्रश्न २४ के उत्तर में कहा गया है कि स्पष्ट विवरण मालूम होने से प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन क्लर्कों ने एक मांग पत्र भेजा था। वह माननीय मंत्री जी के पास मौजूद होगा। मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या है और उसमें उन्होंने क्या-क्या मांग की है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

कोई मांग पत्र नहीं मिला है लेकिन चूंकि अभी बतलाया गया कि अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत जितने और अधिकारी नियोजन में सम्मिलित हुए इसीलिये उनके विचार होने में देर हो गयी; अब उसी में सब का एक साथ विचार हो जायगा।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

मेरा सवाल है कि अगर वहां के क्लर्कों ने कोई मांग पत्र सरकार के पास भेजा है तो उसमें क्या लिखा है, क्या मांग की गई है। तारीख बताने की क्या जरूरत है, वह तो सरकार बतायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

उनके कहने का मतलब यही है कि वह पत्र हमारे पास नहीं है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

श्रीमन्, वह हमारे पास नहीं है।

बोझिया मझांव गांव में विमुक्त परिवारों के बसाने पर व्यय

*२५—श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विमुक्त जाति के १०० परिवारों को ग्राम बोझिया मझांव, तहसील नानपारा, जिला बहराइच, में बसाये जाने की योजना १९५९ से चल रही है और यह स्थान जंगल से मिला है और जंगली जानवरों से फसल नष्ट हो जाया करती है ? यदि हां, तो फसल की सुरक्षा का क्या प्रबन्ध किया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जी हां। वहां जंगल जानवरों से फसल नष्ट होने का अंदेशा रहता था। अतः फसल की सुरक्षा के लिये ग्राम मझांव की ३०० एकड़ भूमि को मेड़-बन्दी करवा दी गई है तथा ग्राम बोझिया में ३०० एकड़ भूमि के चारों ओर चार फुट गहरी खाई खुदवा दी गई है।

*२६—श्री रामअधार कनौजिया—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बोझिया मझांव की योजना में किन-किन मदों पर कितना-कितना धन निश्चित था और अब तक कितना-कितना धन व्यय हो चुका तथा प्रत्येक विषय पर क्या प्रगति हुई है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४००–४०२ पर)

श्री रामअधार कनौजिया—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे जैसा कि उन्होंने अभी अपने उत्तर में बताया कि बोझिया में खाई खुदवा दी गई है और मझांव में मेड़बन्दी करा दी गई है, तो वह कृपया बतायेंगे कि मेड़-बन्दी से फसल की सुरक्षा का क्या संबंध है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

श्रीमन्, इससे जंगली जानवर नहीं आ पायेंगे। बाकी किसान तो अपनी फसल की रक्षा करते ही हैं।

श्री रामअधार कनौजिया—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जहां तक मेड़-बन्दी का संबंध है, वह छोटी-छोटी मेड़ें खेतों के चारों तरफ खींच दी जाती हैं। लेकिन जहां तक फसल की सुरक्षा का संबंध है, वह जंगल के करीब होने के कारण, जैसे आपने बोझिया में खाई खुदवा दी है, क्या इसी प्रकार मझांव में भी आप खुदवाने की कृपा करेंगे, जिससे कि जानवरों से फसल की रक्षा हो सके ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

श्रीमन्, अगर वह कहेंगे, तो उस पर विचार किया जायेगा ।

*२७–२८—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

पंचकोशी सड़क बनाने की मांग

*२९—श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि वाराणसी जिले में जो पंचकोशी सड़क है उसके बनाने के संबंध में तृतीय पंचवर्षीय योजना में वह विचार कर रही है ? क्या इस सड़क के संबंध में भारत सरकार से भी कुछ सहायता की मांग भी की गयी है क्योंकि यह सड़क अन्तर प्रांतीय तीर्थ यात्रियों के लिये पंचकोशी यात्रा करने की है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस सड़क को पक्की करवाने का कोई प्राविधान तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं है न केंद्रीय सरकार से इसके लिये कोई सहायता मांगी गई है ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस सड़क को अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता नहीं दी गई है, तो क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दी गई थी । उस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, द्वितीय पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में उसको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी प्राथमिकता देती है, परन्तु जिला परिषदों ने जिन सड़कों को प्राथमिकता दी है, उनमें इसका स्थान नहीं है ।

श्री ऊदल—

क्या सरकार इस तथ्य पर पुनः विचार करेगी कि वह सड़क विशेष महत्व की है और अन्तरप्रांतीय महत्व रखती है । सारे देश से बड़े पैमाने पर जो हजारों लोग आते हैं, उसके लिये क्या सरकार अपनी तरफ से भारत सरकार के पास सिफारिश भेजेगी और सड़क बन जाय, इस ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, इससे अच्छा तो यह है कि यह चीज जिला परिषद् में उठायी जाय । जहां से रिकमेंडेशन आये, तब सरकार उस पर विचार करेगी ।

श्री अध्यक्ष—

जिला अन्तरिम परिषद् अगर उसकी सिफारिश करेगी, तब उसको हम ले सकते हैं, यही मतलब तो आपके कहने का है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, अगर जिला परिषद प्रायर्टी फिक्स कर देगी, तो हम उसको अपने प्लान्स में ले लेंगे ।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सड़क जिले के महत्व के अन्तर्गत नहीं है, अन्तरप्रांतीय सम्पर्क में नहीं आती है, बल्कि अन्तरप्रदेशीय और पूरे देश के संपर्क के अन्तर्गत आती है । भारतवर्ष से बड़े पैमाने पर हजारों और लाखों की संख्या में हर साल लोग आते हैं । क्या सरकार उसकी महत्ता को देखते हुये अपनी तरफ से भारत सरकार से सिफारिश करेगी कि वह उसको रुपया देकर बनवा दे ?

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, माननीय ऊदल जी जैसा कह रहे हैं, वह भारतीय ही नहीं बल्कि मैं तो उसको अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की रखता हूं। लेकिन वह सड़क तो जिला परिषद् की ही है। यदि जिला परिषद् के पास फंड हो तो वह उसको बनवा दे या प्रायर्टी करके रिकमेंडेशन करे, तब सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव---

क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब उन्होंने इस महत्ता स्वीकार किया कि यह अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की है तो क्या सरकार अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर जिला परिषद् से कहेगी कि इसे प्रायोरिटी लिस्ट में रखे?

श्री बंशीधर पांडेय---

मैंने आपसे निवेदन किया कि पी० डब्ल्यू डी० की भी जो सड़कें बनती हैं उनका प्लान भी डिस्ट्रिक्ट से आता है। वह तो जिला परिषद् में सदस्य हैं, वह स्वयं प्रस्ताव कर सकते हैं, वहां से रिकमेंड होकर आ जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

यह सड़क जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखी गयी थी, लेकिन इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता नहीं दी गयी। तो क्या कारणों पर मंत्री जी रोशनी डालने की कृपा करेंगे?

श्री बंशीधर पांडेय---

यह मैंने नहीं कहा कि इसको प्राथमिकता दी गयी थी।

श्री झारखंडेराय---

जिस प्रकार बुद्ध जयंती के मौके पर बहुत सी सड़कें सरकार ने स्वयं अपने हाथ में ली और बनायीं, या कबीर के जन्म दिवस पर बनायी गयी हैं तो पंचकोशी के महत्व को देखते हुए जिसे स्वयं सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का बतलाया है, सरकार इसके बनाने में स्वयं इनिशिएटिव लेगी?

श्री बंशीधर पांडेय---

वह तो भारत सरकार के इनिशिएटिव पर सरकार ने कार्य किया था, और ऐसा करवा दें तो मुझे क्या एतराज है?

लखनऊ में दयानन्द रक्षा मंडल बन्द होना

*३०---श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित) तथा श्री झारखंडेराय---

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ के दयानन्द मंडल को जिलाधीश ने बन्द करने की आज्ञा दी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

जी हां, क्योंकि इस संस्था के विरुद्ध स्त्रियों के अनैतिक व्यापार करने की शिकायत थी और जांच करने पर वह सही पाई गई थी।

*३१---श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित) तथा श्री झारखंडेराय---

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि लखनऊ का दयानन्द मंडल रजिस्टर्ड बाडी थी? यदि हां तो यह कितने समय से रजिस्टर्ड थी तथा इसमें कितने लोग किस समय से रहते थे?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

जी हां। दयानन्द रक्षा मंडल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अन्तर्गत सन् १९४४ से रजिस्टर्ड थी। इस संस्था में आश्रिताओं की संख्या घटती-बढ़ती रही है। बन्द होने के समय केवल एक आश्रिता थी।

*३२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित) तथा श्री झारखंडेराय—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि दयानन्द मंडल के पदाधिकारी कौन-कौन लोग थे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

दयानन्द रक्षा मंडल के बन्द होने के पहले पदाधिकारियों के नाम निम्नांकित थे:—

१—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकी	प्रधान
२—श्री राजनारायण खन्ना	कार्यकर्त्ता प्रधान
३—श्री सत्यपालसिंह एडवोकेट	उप प्रधान
४—श्री नाथूराम	उप प्रधान
५—श्रीमती चम्पा देवी	प्रधान मंत्री
६—श्री लक्ष्मीप्रसाद आर्य	कार्यालय मंत्री तथा प्रबन्धक
७—श्री जयकरणनाथ वकील	न्याय लय मंत्री
८—श्री त्रिभुवननाथ एडवोकेट	मुख्य संचालक
९—श्री बाबूलाल आर्य	प्रचार मंत्री
१०—श्री प्यारेलाल शर्मा	कोषाध्यक्ष
११—श्रीमती रमा चौधरी	अधिष्ठाता

अन्तरंग समिति—

१—श्रीमती रमा चौधरी
२—श्रीमती श्यामलाल रस्तोगी
३—श्री जगतबहादुर एडवोकेट
४—श्री सुखईसिंह
५—श्री बालकराम वैश्य
६—श्री आशाराम जी
७—श्रीमती कृष्णकुमारी
८—श्री मुरलीसिंह
९—श्री मोतीलाल आर्य
१०—श्री अचलबिहारी श्रीवास्तव .. प्रबन्धक

श्री झारखंडेराय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय यह बन्द किया गया, सरकार ने इस बात का विश्वास कर लिया था कि उसमें कोई अनैतिक व्यापार का कार्य भी होता था, तो जिन लोगों के खिलाफ इस प्रकार के कार्य करने का आरोप रहा है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही भी गवर्नमेंट ने की है या करने का विचार है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

अभी तो उसकी अपील उन्होंने दाखिल की है प्रबन्धक के जरिये से, वकील साहब के जरिये से और मैंने उसकी फाइल तलब कर ली है । उसके बाद उस पर निर्णय किया जायगा।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस दयानन्द रक्षा मण्डल के विरुद्ध मुख्य-मुख्य कौन से आरोप थे जिनके कारण विवश हो कर सरकार को यह कार्यवाही करनी पड़ी ?

श्री अध्यक्ष—

वह बात ऐसी तो होगी नहीं, जिसको यहां कहा ही जाय, दूसरा प्रश्न करिये ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन पदाधिकारियों के अभी नाम बताये गये हैं उनमें से कुछ ने यह शिकायत भी की है कि उनके नाम वैसे ही लिख दिये गये हैं, उनका इस मंडल से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

हां, अभी तो एक दिन हुये, कन्हैयालाल बाल्मीकि आये थे और उन्होंने यह कहा कि मैं हरगिज उसका प्रधान नहीं हूं, अपने आप ही उन्होंने मेरा नाम लिख दिया है। उसके बाद प्रेस में उनका एक स्टेटमेंट भी निकला था कि उनका नाम यूंही लिखा है, वे उसके प्रधान नहीं थे।

श्री झारखंडेराय---

क्या इस मंडल के मुख्य कार्यकर्ता के विरुद्ध ४२० का केस भी चलाने का सरकार विचार कर रही है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

वह तो अपील के बाद ही सोचा जायेगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस अनैतिक व्यापार की शिकायत उनको कब मिली और कब उसको बन्द किया गया?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

२५ जनवरी, १९६३ को उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया और शिकायत उसके पहले ही आयी होगी।

सैल्स-टैक्स रिवीजन कोर्टस् को बढ़ाने का निश्चय

*३३---श्री श्यामलाल (जिला बस्ती) तथा श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)---

(क) क्या सरकार बतलायेगी कि क्या सेल्स-टैक्स जज (रिवीजन) के फैसले कानफिडेन्सियल रिकार्ड्स हैं? क्या इस तरह की कोई शिकायत फैजाबाद के वकीलों ने की है?

(ख) क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि सेल्स-टैक्स (Judge Revision) ने शुरू सन् १९६१ से अब तक अपने फैसले में कितने सेल्स-टैक्स आफिसर्स के खिलाफ और कितने Strictures पास किये हैं? सरकार ने सम्बन्धित सेल्स-टैक्स अफसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की? अगर नहीं, तो क्यों?

वित्त उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)---

(क) सेल्स-टैक्स जज-रिवीजन्स के फैसले कानफिडेन्सियल रिकार्ड्स हैं अथवा नहीं, इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

जज-रिवीजन्स से फैजाबाद बार एसोसियेशन ने पुनःरीक्षण के फैसलों को दिये जाने की प्रार्थना की है।

(ख) सन् १९६१ ई० से अब तक जज-रिवीजन्स ने कुल १२ बिक्री-कर अधिकारियों के खिलाफ Stricture pass किये गये हैं। जहां तक सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न है कतिपय मामलों में समुचित कार्यवाही की जा चुकी है और कुछ मामलों में कार्यवाही अभी विचाराधीन है।

*३४---श्री श्यामलाल तथा श्री हलीमुद्दीन---

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि क्या वह मेरठ और वाराणसी में सेल्स-टैक्स रिवीजन कोर्ट्स की दो रेन्जेज बढ़ाने जा रही है और उन दोनों रेन्जेज के लिये एक-एक सेल्स टैक्स जज (रिवीजन) की नियुक्ति भी करने वाली है? यदि हां, तो इन दोनों Ranges पर Judicial और Executive Sides के अलग-अलग खर्चे का क्या अनुमान है?

श्री जयराम वर्मा---

जी हां, इन दोनों रेन्जेज पर Judicial Side में ६०,००० रु० तथा Executive Side में ४३,००० रु० वार्षिक व्यय का अनुमान है।

*३५—श्री श्यामलाल तथा श्री हलीमुद्दीन—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इन उपरोक्त Rivisional Ranges के बढ़ान के क्या कारण हैं और क्या इस सम्बन्ध में सेल्स-टैक्स जज (रिवीजन) मौजूदा से कोई मसविरा किया है ? यदि किया है, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—

कई वर्षों से नये प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन-पत्रों की संख्या निस्तारित आवेदन-पत्रों की संख्या से कहीं अधिक हो रही थी। अतः निस्तारण के लिये बचे हुए आवेदन-पत्रों की कुल संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही थी जिससे सरकार की वसूली में तो रुकावट पड़ती ही थी वरन् व्यापारियों को भी असुविधा होती थी। अतः इन सभी बातों को विचार कर दो नये जजों की नियुक्ति करने का निश्चय किया गया है। इसके लिये जज पुनःरीक्षण की ओर से ही पत्र-व्यवहार शुरू हुआ था।

श्री हलीमुद्दीन—

इस इमर्जेन्सी के जमाने में तथा उन एश्योरेन्सेज को देखते हुये, जो यहां सदन में दिये गये हैं, माननीय मन्त्री जी ने क्या इस एक लाख से ऊपर के खर्चे में, जो बढ़ाया गया है, कुछ कमी करने की तजवीज सोची है और क्या इस बारे में जज रिवीजन से कोई मशविरा किया है ?

श्री जयराम वर्मा—

जज-रिवीजन की तरफ़ से ही यह प्रश्न उठा था कि चूंकि मुकदमों की संख्या बहुत काफी है और उनके डिस्पोजल के लिये और जजों की जरूरत पड़ेगी। यह बात भी थी कि रिवीजन के मुकदमों के फैसले न होने से सरकार को टैक्स का बहुत सा रुपया नहीं मिल पायेगा और व्यापारियों को भी असुविधा होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये यह निश्चय किया गया।

श्री हलीमुद्दीन—

जज-रिवीजन का इस तरह का सुझाव कब आया था और किस तारीख का पत्र है और उसकी संख्या क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—

लेटर का नम्बर है १३३९ सी २-२ जे० आर० एस० टी०, दिनांक २४ मार्च, १९६२।

*३६-३८—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

मैनपुरी के कच्चे आढ़तिया

*३९—श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी शहर के कच्चे आढ़तियों पर सन् १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२, १९६२-६३ में कितना कितना किस-किस पर सेल्स-टैक्स लगाया गया है और उनका व्यापार कितने-कितने रुपये का है ? उसका सर्वे किसने किया है और ये फर्म कब से चल रही हैं ?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

कच्चे आढ़तियों से तात्पर्य ऐसे लोगों से होता है जो केवल विचौलिये तथा तौले का कार्य करते हैं और खरीद फरोख्त नहीं करते। ऐसे लोग व्यापारी की परिभाषा में नहीं आते। अतः इन पर टैक्स लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

नोट—तारांकित प्रश्न ३५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*४०—श्री बृजेश्वर सहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मैनपुरी शहर में ऐसी भी दुकानें हैं जो ३ या ४ फर्मों के नामों से काम करती हैं और मालिक उनके एक ही हैं और इस प्रकार से सेल्स टैक्स की चोरी करते हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन और उनका क्या सेल है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ऐसी दुकानों की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

बस्ती जिले में ग्राम सेवक

*४१—श्री जगदीश (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में कितने ऐसे ग्राम सेवक हैं जिनका स्थानान्तरण तीन वर्ष से अधिक से नहीं हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बस्ती जिले में ६४ ग्राम सेवक ऐसे हैं जो १-३-१९६३ को, तीन वर्ष से अधिक की अवधि से स्थानान्तरित नहीं हुए हैं ।

*४२-४४—श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा) तथा श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

[८ वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये ।]

बाजपुर चीनी मिल के औद्योगिक विवादों का निपटारा

*४५—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या श्रम मंत्रीणी यह बताने की कृपा करेंगी कि कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, बाजपुर (नैनीताल) के श्रमिकसंघों द्वारा विगत तीन वर्षों से कितने विवाद (प्रार्थना-पत्र) प्रादेशिक संराधन अधिकारी, बरेली को भेजे गये हैं और उनमें से कितने मामलों में संराधन अधिकारी समझौता करा सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

विगत ३ वर्षों में इस फैक्टरी के श्रमिक संघों द्वारा १२ विवाद प्रादेशिक संराधन अधिकारी, बरेली को प्राप्त हुए थे, उनमें से ३ विवादों में संराधन अधिकारी ने समझौता करा दिया था ।

*४६—श्री रियासत हुसैन—

क्या श्रम मंत्रीणी बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, बाजपुर (नैनीताल) के श्रमिकों द्वारा विगत तीन वर्षों से उपस्थित किये गये कितने औद्योगिक विवादों को अभिनिर्णय (एडजुडीकेशन) के लिये रेफर किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

विगत ३ वर्षों में केवल १ विवाद अभिनिर्णय के लिये भेजा गया था ।

*४७—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा) तथा श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

तुलसीपुर तराई क्षेत्र के लिये जनाना अस्पताल

*४८—श्री केशरनाथ भार्गव तथा श्री ईश्वरशरण (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६० में सरकार ने जिला गोंडा के तुलसीपुर तराई क्षेत्र में एक जनाना अस्पताल बनाने का निश्चय किया था तथा १९६१ के वित्तीय वर्ष में ४० हजार रुपया इमारत बनवाने के लिये स्वीकृति दे दी थी तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त चिकित्सालय को वह कब तक खोलने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं। सरकार ने १९६० में तुलसीपुर में जनाना चिकित्सालय बनाने का निश्चय नहीं किया था, न १९६१ में ४० हजार रुपये की स्वीकृति इमारत बनाने के लिये दी थी। वहां चिकित्सालय खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*४९—श्री केदारनाथ भार्गव तथा श्री ईश्वरशरण —

क्या यह भी सही है कि स्थानीय जनता की ओर से किराये पर इमारत का प्रबन्ध करा दिया गया परन्तु फिर भी अब तक स्त्री चिकित्सालय नहीं खोला गया? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं। स्थानीय जनता की ओर से किराये की इमारत का कोई प्रबन्ध नहीं कराया गया था।

*५०—श्री केदारनाथ भार्गव तथा श्री ईश्वरशरण—

[६ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५१-५३—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*५४—श्री लखपतराम शर्मा—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५५-५६—श्री राजनार्थसिंह (जिला गाजीपुर)—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

विकास खंडों की जीपें

*५७—श्री बसन्तसिंह —

क्या आपत्तिकालीन स्थिति का ध्यान रखते हुये सरकार कम्युनिटी ब्लाकों से जीप वापिस लेने पर विचार कर रही है ? यदि हां,तो कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

सब विकास खन्डों से जीपें वापस ले लेने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

*५८—श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

वाराणसी जिले में ग्रामीण जन शक्ति योजना

*५९—श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—

क्या नियोजन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में मैन पावर युटिलाइजेशन स्कीम के अन्दर कौन-कौन सी स्कीम किन-किन ब्लाकों में स्वीकृत हुई है तथा प्रत्येक स्कीम पर तीसरी योजना में कितना रुपया खर्च होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

†सूचना संलग्न है।

*६०—श्री रामलखन वकील—

क्या नियोजन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त स्कीम के अन्तर्गत लेवा इलिया रोड जो चकिया एवं शहबिगंज ब्लाक में पड़ती है पहले मंजूर थी परन्तु बाद में रद्द कर दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गई।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं। यह रोड उक्त स्कीम के अन्तर्गत मंजूर नहीं थी अतः इसे रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

कुदरहा ब्लाक के बी० डी० ओ०

*६१—श्री श्यामलाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती कुदरहा ब्लाक के बी० डी० ओ० कुदरहा में कितने दिनों से हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिला बस्ती के कुदरहा ब्लाक के बी० डी० ओं० कुदरहा में २ अगस्त, १९६२ से कार्य कर रहे हैं ?

*६२—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६३-६४—श्री दुर्गाप्रसाद (जिला पीलीभीत)—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

वाराणसी जिले में बरेली बोन्स मिल की दुर्गन्ध

*६५—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जिला वाराणसी में भदोही स्टेशन के करीब बरेली बोन्स मिल की दुर्गन्ध से चारों तरफ के गांवों के निवासियों को बड़ा कष्ट है एवं उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जिला वाराणसी में भदोही स्टेशन के करीब स्थिति बरेली बोन्स मिल की दुर्गन्ध करीब के गावों में वायु चलने पर अवश्य महसूस होती है परन्तु उसका स्वास्थ्य पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है। यह दुर्गन्ध किस प्रकार कम की जा सकती है, इसकी जांच की जा रही है।

*६६—श्री हरिगैनराम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इसकी सूचना है कि मिल बनते समय मालिकों ने सरकार को यह आश्वासन दिया था कि मिल बन जाने पर ऊंची चहार दीवारी खींच दी जायेगी और दुर्गन्ध का प्रभाव गांवों पर नहीं पड़ेगा ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

मिल बनते समय मिल मालिकों ने कोई चहार दीवारी बनाने का आश्वासन दिया था अथवा नहीं, इसकी कोई सूचना जन स्वास्थ्य विभाग को नहीं है। परन्तु मिल के चारों ओर करीब ६ फीट ऊंची दिवार है।

खजानों के कर्मचारियों के सेवा नियम

*६७—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में ट्रेजरी मिल विभाग के कर्मचारियों का Revised pay Scale तथा नियम अभी तक तैयार हुये अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—

खजाने के कर्मचारियों के वेतन क्रम में संशोधन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

इन कर्मचारियों के नये सेवा नियमों का आलेख तैयार हो चुका है। नियमानुसार उनका अन्य विभागों तथा महालेखापाल व लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा हो जाने के पश्चात् ही अन्तिम रूप दिया जा सकेगा। अत : उनको घोषित करने में समय लगेगा।

*६८—श्री अमजद अली (जिला आजमगढ़)—
[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

नियोजन विभाग संगठन

*६९—श्री रक्षपालसिंह तथा श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह नियोजन विभाग के संगठन में कोई परिवर्तन करने की किसी योजना पर विचार कर रही है? यदि हां, तो वह योजना क्या है और कब से कार्यन्वित होगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—
जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

*७०—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—
[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

*७१-७२—श्री रतीपाल—
[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*७३—श्री बसन्तसिंह—
[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७४—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—
[८वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

बांदा जिले में सुपरवाइजरों व कामदारों का वेतन

*७५—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—
क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के सुपरवाइजर व कामदारों का वेतन माह जनवरी, सन् १९६३ का २० फरवरी, १९६३ ई० तक नहीं दिया गया, ऐसा क्यों?

सहकारिता मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—
कामदारों का वेतन बिल १४-२-६३ को और सुपरवाइजरों का वेतन बिल १८-२-६३ को जिला सहकारी बैंक, बांदा को भुगतान हेतु भेज दिया गया था।

साधारणतया सुपरवाइजरों तथा कामदारों को हर माह के पहले सप्ताह में वेतन मिल जाता है लेकिन फरवरी, ६३ में निम्न विशेष परिस्थितियों में वेतन के भुगतान में देर हुई।

(१) सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) तथा सहकारी निरीक्षकों ने कामदारों तथा सुपरवाइजरों के वेतन बिल जिला कार्यालय को देर में भेजे।

(२) सहायक निबन्धक, बांदा जो बिलों को पास करते हैं, १२-२-६३ तक छुट्टी पर रहे।

(३) सुपरवाइजरों के वेतन बिल में कुछ गल्तियां पाई गई, जिनके ठीक कराने में समय लगा।

टी० बी० अस्पताल, इलाहाबाद

*७६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के टी० बी० अस्पताल में, १९५९–६०, १९६०–६१, १९६१–६२ में कितने मरीज दाखिल हुये तथा इस समय कितने आदमियों का नाम रजिस्टर में भर्ती के लिये हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

टी० बी० अस्पताल, इलाहाबाद में सन् १९५९–६०, १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में क्रमशः २५१, २०३ तथा २१५ मरीज दाखिल हुये तथा उपरोक्त अस्पताल द्वारा सूचना भेजने की तिथि तक ४२९ आदमियों के नाम रजिस्टर में भर्ती के लिये दर्ज थे।

*७७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश में कितने अस्पताल टी० बी० मरीजों को रखने के लिये हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्रदेश के विभिन्न स्थानों में ३५ सरकारी तथा ९ गैर सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जहां टी० बी० के मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था है।

फर्जी हरिजन छात्र

*७८—श्री मंगलदेव—

क्या समाज कल्याण मन्त्री प्रदेश के इस प्रकार की संस्थाओं की जांच के लिये, जिनके स्कूल और कालेज के अधिकारियों ने हरिजन छात्रों का फर्जी नाम लिखकर सरकार से अनुदान प्राप्त करने की व्यवस्था कर रखी है, कोई समिति बनाने पर विचार करेंगे?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जी नहीं।

*७९—श्री महराजसिंह (जिला फर्रुखाबाद), श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर), तथा श्री विष्णुप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*८०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

बिक्री-कर के अवशेष धन की वसूली

*८१—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संकटकालीन स्थिति की घोषणा के पूर्व कितना रुपया प्रदेश में सेल्स टैक्स का बाकी था और दिनांक २० फरवरी, १९६३ तक वह कितना वसूल हो सका?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

विभाग में बकाया तथा वसूली के आंकड़े मासिक आधार पर एकत्रित किये जाते हैं, अतः संकटकालीन स्थिति की घोषणा होने के दिन (२५–१०–६२) की बकाया धनराशि बताना सम्भव नहीं है। १–१०–६२ को बिक्री-कर का कुल बकाया १०,०१,८८,३४८ रुपया था जिसमें से ३१–१–६३ तक ९१,४६,७०९ रुपया वसूल हो सका है।

*८२—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अभी तक वसूली का नियम कुछ बदला है या उसी प्रकार चल रहा है जैसा संकटकालीन स्थिति के पूर्व था? यदि नहीं बदला है, तो क्यों, और बदला है, तो वह क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वसूली के नियम को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई क्योंकि वर्तमान नियम पर्याप्त हैं। तथापि वसूली अधिक तेजी से करने के उद्देश्य से इस कार्य को अब राजस्व परिषद की सीधी निगरानी में दे दिया गया है क्योंकि जिलाधीश का राजस्व परिषद् से सीधा सम्पर्क रहता है।

*८३—श्री कल्पनारायसिंह—

क्या सरकार इस बकाये की वसूली को मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करने की बात पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उक्त निर्णय कब तक हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्तमान नियमों के अनुसार भी बकाया कर की वसूली मालगुजारी के बकाये के रूप में की जा सकती है, अतः इस बात पर विचार करने या निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता।

बिलरियागंज–रौनापार सड़क

*८४—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत २५ हजार रु० नियोजन विभाग से बिलरियागंज रौनापार सड़क बनाने के लिये कब दिया गया था और क्या कारण है कि अब तक उक्त सड़क पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

नियोजन विभाग से इस सड़क को बनाने के लिये २५,००० रुपये की कोई धनराशि नहीं दी गई है। अतः उक्त सड़क पर अब तक कार्य प्रारम्भ होने का प्रश्न नहीं उठता है।

*८५—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिलरियागंज रौनापार सड़क मैनपावर युटिलाइजेशन स्कीम में ले ली गई है? यदि हां, तो कब से और उसपर कब से कार्य प्रारम्भ हो जायगा और इतना विलम्ब का कारण क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, यह सड़क ग्रामीण जन शक्ति योजना के तृतीय चरण में ले ली गई है। इस पर वर्ष १९६३–६४ में कार्य प्रारम्भ होने की योजना बनाई गई है अतएव इस पर कार्य प्रारम्भ होने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र

*८६—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में किन-किन स्थानों पर पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र चलाने की व्यवस्था है और इन केंद्रों के चलाने पर क्या लागत बैठती है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

राज्य में २५ स्थानों पर पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र चलाने की व्यवस्था की गई है। इन स्थानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इन केन्द्रों को भवन बनाने के लिये ५२,००० रुपये और साज-सज्जा खरीदने के लिये १०,५०० रुपये का अनावर्तक अनुदान दिया जाता है।

संस्थागत प्रशिक्षण के लिये प्रत्येक प्रशिक्षार्थी के लिये ४ रुपये ५० नये पैसे प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिदिन और सचल दल द्वारा प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षार्थियों के लिये २ रुपये ८० नये पैसे प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिदिन का अनुदान संस्था को दिया जाता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४०३ पर)

*८७--श्री शांतिचन्द्र शुक्ल--

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में कितने संख्या में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था और लक्ष्य में प्रगति क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्रों पर लगभग २२,००० जननायकों को प्रशिक्षित करने की योजना थी। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार ११,२३९ जननायक इन केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। सचल दल द्वारा १३,९६५ पंचायतों के सदस्य प्रशिक्षित किये गये।

*८८-८९--श्री रामलखन वकील--

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*९०--श्री श्यामलाल--

[६ठे शुक्रवार के लिये प्रश्न ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आयुर्वेदिक निदेशालय

*९१--श्री रामअनन्त पांडेय (जिला बलिया)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक निदेशालय की अलग स्थापना की गयी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जी हां।

*९२--श्री रामअनन्त पांडेय--

यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त निदेशालय का वही स्तर है जो एलोपैथिक निदेशालय का है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

दोनों निदेशालयों की कार्यप्रणाली, कर्तव्यों एवं अधिकारों में कोई अन्तर नहीं है किन्तु आयुर्वेदिक निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन क्रम एलोपैथिक निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन क्रमों से भिन्न है।

*९३--श्री रामअनन्त पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में आयुर्वेदाचार्य का कोर्स लागू कर दिया गया है? यदि हां, तो कालेज का नियन्त्रण एलोपैथिक निदेशक के पास क्यों है जब कि आयुर्वेद विभाग का पृथक डाइरेक्टर बना दिया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम शैक्षिक वर्ष १९५९-६० से चल रहा है। चूंकि बी० एम० बी० एस० छात्रों को काफी मात्रा में आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की प्रतिकर्मिक प्रशिक्षण (clinical training) की आवश्यकता है अतः यह उचित समझा गया कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज का नियन्त्रण अभी स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश के पास ही रहे।

*९४-९५--श्री रामसुन्दर पांडेय--[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर में कथित स्वावलम्बन सेवा संस्थान

*९६--श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रादेशिक स्वावलम्बन सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर नामक कोई संस्था, १५२-११, मकान विजयनगर, कानपुर में स्थापित है? यदि हां, तो उसका क्या कार्य है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं।

*९७--श्री राजेन्द्रसिंह यादव--

क्या यह संस्था रोजगार दिलाने के लिये २५० रुपया जमानत के तौर पर जमा कराती है? यदि हां, तो गत वर्ष १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में कितने व्यक्तियों का रुपया जमा किया और उनमें से कितने को रोजगार दिलाया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रश्न ही नहीं उठता है।

*९८--१००--श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)--

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१०१--१०३--श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)--

[हटा दिये गये।]

*१०४-१०५--श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)--

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१०६--श्री महादेव (जिला फैजाबाद)--

[८वें गुरुवार के लिये प्रश्न १५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मेरठ में दूध की कमी

*१०७--श्री जगदीशशरण रस्तोगी (जिला मेरठ)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि गत कई वर्षों से मेरठ देहात का अधिकतर दूध देहली चला जाता है जिससे मेरठ (शहर के देहात) में दूध की बहुत अधिक कमी हो जाती है और गर्मी के मौसम में तो बीमार बच्चों तक को बड़ी कठिनाई से उपलब्ध होता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

गत कई वर्षों से देहली शहर की दूध की मांग को पूरा करने के लिये मेरठ और आस पास के जिलों के देहातों में देहली दूध भेजने का व्यवसाय चला आ रहा है। गर्मियों में दूध की कमी प्रायः हो जाया करती है और शासन में ऐसी कोई अधिकृत सूचना नहीं है कि मेरठ शहर में अब ऐसी विशेष कमी होने लगी है कि जिससे बीमार बच्चों तक को दूध बड़ी कठिनाई से उपलब्ध होता है।

*१०८--श्री जगदीशशरण रस्तोगी--

मेरठ से दूध के इस अकाल को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मेरठ में दूध का अकाल नहीं है, पर सरकार इस जिले में दध का उत्पादन बढ़ाने के लिये उत्सुक है ताकि इस व्यवसाय से ग्रामीण जनता को लाभ हो तथा मेरठ जिले के निवासियों को भी दूध अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके। इस ध्येय की पूर्ति के लिये जिले के देहातों में प्रारम्भिक दुग्ध समितियों तथा दुग्ध उत्पादक संघों की स्थापना की जा रही है। अब तक ६ ऐसे संघ स्थापित किये जा चुके हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ऐसे संघों की संख्या १० तक हो जायगी। अच्छे दुधारू पशु खरीदने के लिये सरकार की ओर से दुग्ध उत्पादक समितियों के सदस्यों को ऋण देने की व्यवस्था की गई है तथा अन्य सुविधायें भी दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये दी जाती हैं।

कप्तानगंज-पिपरौली-देवरिया-हाटा सड़क

*१०९—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की हाटा तहसील के मोती चक, कप्तानगंज, सुकरौली और हटा ब्लाक की किन-किन सड़कों को इस पंचवर्षीय योजना में निर्माण हेतु लिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कप्तानगंज ब्लाक में कप्तानगंज-पिपरौली सड़क तथा हाटा ब्लाक में देवरिया-हाटा सड़क ली गई है। सुकरौली तथा मोती चक ब्लाकों में कोई सड़क नहीं ली गई है।

*११०—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

१—३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[२८ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न ४२—४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

रजिस्ट्रेशन विभाग में हरिजन

४—श्री रामलखन वकील—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे इस समय रजिस्ट्रेशन विभाग में विभिन्न पदों पर कुल कितने कर्मचारी अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, उसमें हरिजनों की संख्या कितनी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

८ चीफ रजिस्ट्रेशन क्लर्क, १२० रजिस्ट्रेशन क्लर्क और ७९ निम्न वर्ग के कर्मचारी इस विभाग में विभिन्न पदों पर अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं। इनमें से ५ रजिस्ट्रेशन क्लर्क और ४ निम्न वर्ग के कर्मचारी हरिजन हैं।

५—श्री रामलखन वकील—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विभाग में लिपिक वर्ग में काम करने वाले कर्मचारियों की कोई बेटिंग लिस्ट तैयार की जाती है ? यदि हां, तो उस लिस्ट के तैयार करने का क्या आधार है तथा उसमें हरिजनों के संरक्षण को पूरा करने का विभाग ने १९६० से जनवरी, १९६३ तक क्या व्यवस्था की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, इस विभाग में लिपिक वर्ग में काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये प्रत्येक जिला निबन्धक कार्यालय में निर्धारित संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों की एक अनुमोदित सूची तैयार की जाती है। यह सूची समय-समय पर रिक्त स्थानों के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बनाई जाती है। हरिजनों के संरक्षण को पूरा करने का बराबर प्रयत्न किया जा रहा है। जिला निबन्धकों को आदेश दिया गया है कि वे अनुमोदित सूची में रिक्त पदों के लिये ५० प्रतिशत हरिजन अभ्यर्थियों के नाम तब तक दर्ज करें जब तक हरिजनों की संख्या निर्धारित स्तर तक न पहुंच जाय।

६—श्री नाथूराम शिक्षक—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

७—९—श्रीमती रामरतीदेवी (जिला फैजाबाद)—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये]।

अन्देशनगर स्टेट फार्म वर्कर्स यूनियन की शिकायत

१०—श्री रियासत हुसैन—

क्या श्रम मन्त्राणी यह बताने की कृपा करेंगी कि उन्हें लखीमपुरखीरी के अन्देशनगर स्टेट फार्म वर्कर्स यूनियन से फरवरी, १९६३ के दूसरे सप्ताह में इस आशय का टेलीग्राम प्राप्त हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश न मिलने तथा मैनेजर के पाशविक व्यवहार से कर्मचारीगण पीड़ित हैं? यदि हां, तो क्या उस शिकायत की अविलम्ब जांच की जा रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

जी हां। जांच कराने के उपरान्त उचित कार्यवाही की जा रही है।

११—श्री रियासत हुसैन —

क्या श्रम मन्त्राणी यह बताने की कृपा करेंगी कि उपरोक्त अन्देशनगर स्टेट फार्म के कर्मचारियों को नियमानुकूल साप्ताहिक अवकाश तथा त्योहारों को गजटेड छुट्टियां क्यों नहीं दी जाती हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

फार्म पर दो प्रकार के कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी तथा स्थायी कर्मचारी। प्रथम को साप्ताहिक अवकाश नियमानुकूल मिल रहा है। स्थायी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश न देने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत त्योहारों को गजटेड छुट्टियों का कोई प्राविधान नहीं है।

केवट, कहार

१२—श्री रामलखन वकील तथा श्री हरिगैनराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २४ अक्तूबर, १९६२ को कुछ विधायकों की ओर से एक पत्रक उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि केवट, कहार जो पिछड़ी जातियां हैं वह बेलदार और खरबार बनकर जिलाधीशों से परिगणित जातीय सार्टिफिकेट प्राप्त करके परिगणित जातियों की सुविधायें प्राप्त कर रहे हैं। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव —

जी हां। शासन द्वारा सम्बन्धित जिलाधीशों तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश दे दिये गये हैं कि केवट तथा कहार जातियों को अनुसूचित जातियों के अन्तर्गत मानकर किसी प्रकार की अनुसूचित जातियों को प्राप्त होने वाली सुविधायें नहीं दी जानी चाहिये।

१३—श्री रामलखन वकील तथा श्री हरिगैनराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में किस-किस जिले के जिलाधीशों ने उपरोक्त जातियों की इस प्रकार धांधली के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव —

इस सम्बन्ध में किसी जिलाधीश द्वारा शासन का ध्यान अब तक आकर्षित नहीं किया गया है।

ट्रेन्ड फीमेल नर्सेज

१४—श्री हलीमुद्दीन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यू० पी० में कितनी ट्रेन्ड फीमेल नर्सेज हैं जिनकी मुलाजिमत दो साल से ज्यादा हो चुकी है और उनमें से कितनी कन्फर्म्ड हैं और कितनी अनकन्फर्म्ड हैं ? इनके अब तक अनकन्फर्म्ड होने के क्या कारण हैं ? क्या इनके हुक्म तकर्रुरी में यह दिया होता है कि दो साल की मुलाजिमत के बाद वह कन्फर्म्म कर दी जायेंगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव —

ऐसी स्टाफ नर्सों की संख्या ४५७ है। उनमें से २६४ कन्फर्म्ड हैं और १९३ अनकन्फर्म्ड हैं। उक्त स्टाफ नर्सों के अब तक अनकनफर्म्ड रहने का कारण यह है कि बार-बार मांग जाने पर भी उन्होंने अपने आवश्यक प्रमाणपत्र, (सार्टीफिकेट) आदि अभी तक नहीं दिये हैं। जिन नर्सों की नियुक्ति (तकर्रुरी) ऐसे स्थायी (परमानेन्ट) पदों पर होती है जो खाली होते हैं, तो उनके नियुक्ति पत्र (हुक्म तकर्रुरी) में यह लिखा होता है कि वे दो साल के प्रोबेशन पर रक्खी जा रही हैं। प्रोबेशन काल समाप्त हो जाने पर, यदि उनका कार्य और आचरण ठीक पाया जाता है और वे आवश्यक प्रमाण-पत्र दे देती हैं तो, उन्हें प्रोबेशन समाप्त होने की तारीख से स्थायी (कन्फर्म) कर दिया जाता है।

१५—श्री हलीमुद्दीन —

क्या इन ट्रेन्ड नर्सेज का कोई सूबाई नर्सिंग मैनुअल है जिससे इनकी मुलाजिमत रुख्सत और दीगर हकूक वगैरह की देख-भाल हो सकती हो अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

ऐसा कोई सूबाई नर्सिंग मैनुअल नहीं है। इनके लिये सर्विस रूल बनाये जा रहे हैं। जब तक ये रूल तैयार नहीं होते, उस समय तक इन पर मुलाजिमत, रुख्सत आदि के मामले में वे ही रूल लागू होंगे जोकि इसी तरह के अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

लखनऊ में सरकारी डाक्टर, बस्ती के अस्पताल

१६—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती) —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी अस्पतालों में कुल मिलाकर कितने डाक्टर हैं और इनमें कितने डाक्टर ऐसे हैं जो ३ साल, ५ साल और ७ साल या उससे अधिक समय से लखनऊ शहर में काम कर रहे हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव —

उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कुल मिलाकर १५१७ डाक्टर हैं और इनमें से १३ डाक्टर ३ साल, ४ डाक्टर ५ साल तथा ३ डाक्टर ७ साल से अधिक समय से लखनऊ शहर में काम कर रहे हैं।

१७—श्री सोहनलाल धुसिया —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सदर अस्पताल, बस्ती में कितने गरीब मरीजों ने सन् १९६०, १९६१ और १९६२ में वहां भर्ती होकर अपनी दवा करायी और वहां दूध और भोजन पर प्रत्येक साल सरकार को कितना रुपया खर्च करना पड़ा है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव —

सदर अस्पताल, बस्ती में क्रमशः ४१३२, ४७७१ तथा ५६८९ गरीब मरीजों ने सन् १९६०, १९६१ और १९६२ में वहां भरती होकर अपनी दवा कराई और वहां दूध और भोजन पर प्रत्येक साल क्रमशः २३,५१४, १७,२७३ तथा २२,४४६ रुपया खर्च हुआ है।

१८—श्री सोहनलाल धुसिया —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय बस्ती के मेल और फीमेल दोनों अस्पतालों में कुल कितनी नर्सें काम कर रही हैं। इन नर्सों के रहने के लिये वहां सरकारी क्वाटर्स कितने बने हैं या किराये पर लिये गये हैं और इस समय उनमें कितनी नर्सें रहती हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव —

इस समय बस्ती मे मेल और फीमेल दोनों अस्पतालों में २६ नर्सें काम कर रही हैं। इन नर्सों के रहने के लिये वहां कोई सरकारी क्वाटर नहीं बना है। एक भवन इस कार्यहेतु किराये पर लिया गया है, जिसमें इस समय केवल ९ नर्सें रहतीं हैं।

१९–२०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी —

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

२१—श्री रामसुन्दर पांडेय —

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

त्रिवेदीगंज ब्लाक की लछमनपुर मिल्क कोआपरेटिव सोसाइटी

२२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी —

क्या यह बात सही है कि लछमनपुर ब्लाक, त्रिवेदीगंज (बाराबंकी) सहकारी दुग्ध सोसायटी है, जो कोआपरेटिव ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नहीं है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

जी नहीं।

२३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सहकारी समिति साधन सहकारी समिति के रूप में कब रजिस्टर्ड हुई और रासायनिक खाद बेचने का लाइसेंस उसे कब दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

लछमनपुर मिल्क कोआपरेटिव सोसाइटी लि० की रजिस्ट्री दिनांक २ मई, १९५० को रस्जिट्री संख्या ७०४ के अन्तर्गत हुई थी और बाद में २८ दिसम्बर, १९६१ को उसी रजिस्ट्रेशन संख्या से ही लछमनपुर साधन सहकारी समिति में परिवर्तत हो गई। समिति को खाद बेचने का लाइसेंस २५ अगस्त, १९६२ को जारी हो गया था। यह समिति अब दूध का काम नहीं कर रही है और इस काम के लिये एक नई सहकारी दुग्ध समिति का निर्माण हो चुका है।

२४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को त्रिवेदीगंज ब्लाक, बाराबंकी के ए० डी० ओ० कोआपरेटिव मे विरुद्ध ९ नवम्बर, १९६२ को तथा उसके पश्चात् मारुफपुर ग्राम के लोगों की ओर से शिकायतें मिली थीं? यदि हां, तो वह क्या-क्या थीं। क्या ए० डी० ओ० कोआपरेटिव का ताबादला दो बार इस ब्लाक से हुआ था किन्तु उन्होंने रोकवा लिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

जी नहीं।

त्रिवेदीगंज ब्लाक के ए० डी० ओ० (कोआपलेटिव) का स्थानान्तरण एक बार जिले के अन्तर्गत ही दूसरे ब्लाक सूरतगंज को किया गया था लेकिन उनकी बीमारी व अन्य परिस्थितियों के कारण स्थानान्तरण स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद दोबारा उप-निबन्धक, फैजाबाद ने उनका तबादला जिला सुल्तानपुर के लिये किया था। परन्तु सार्वजनिक हित में उनका तबादला रद्द कर दिया गया।

२५—२७—श्री उग्रसेन —

[८वें बुधवार क लिये स्थगित किये गये।]

दवाओं का अनियमित व्यापार

२८--श्रीमती सुशीला रोहतगी--

क्या सरकार को विदित है कि प्रदेश suprious trade रोकने हेतु ड्रग कन्ट्रोल ऐक्ट को अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

जी नहीं, परन्तु स्थिति केन्द्रीय सरकार की दृष्टि में है ।

२९--श्रीमती सुशीला रोहतगी--

क्या अन्य कई एक प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश सरकार भी एक स्वतन्त्र ड्रग कन्ट्रोल ऐडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने पर विचार करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

अभी इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

३०--श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)--

[कल बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

३१-३२--श्री दीवानारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

[कल बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

प्रश्नों के विषय में मुझे निवेदन करना है कि डेढ़ माह पहले मैंने प्रश्न दिये और उनमें एक ऐसा मामूली क्वैश्चन था कि उत्तर एक दिन में सेक्रेटेरियेट से आ सकता था । कृपया सरकार को ध्यान दिला दें कि १५ दिन में प्रश्नों के उत्तर आ जाने चाहिये । प्रश्नों के स्वीकृत होने की भी सूचना हम लोगों को नहीं मिलती है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बड़े विचारशील सदस्य हैं । यह बतलाते कि कौन से प्रश्न हैं, कब दिये, जैसा शिक्षक जी ने बतलाया कि इन प्रश्नों का जवाब नहीं मिला । मैं उनको सूचना दे दूंगा । असेम्बली का सारा रिकार्ड तो इस समय मेरे पास नहीं है, आप आजावें, तो मैं देखकर बता सकता हूं ।

मैंने इस सदन में पहले कहा था कि मैं ३।। और ४।। बजे के बीच में मिला करूंगा । लेकिन इस सम्बन्ध में मेरे डाक्टरों ने कुछ आपत्ति प्रस्तुत की है कि इस समय मुझे नहीं आना चाहिये । तो मैं १२ और १ बजे में रहूंगा । इसलिये माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि इस बीच में चाहें तो मुझसे मिल लिया करें ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी की एक सूचना आई है । उन्होंने बहुत ही चातुर्य से इसे भेजा है, बहुत-सी बातें कही गई हैं, बहुत-सी बातें उन्होंने छिपा रखी हैं ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)--

उसमें छिपी कोई बात नहीं है । मैं साफ कर दूं । माननीय मुख्य मन्त्री ने गलत सूचना सदस्यों के बारे में कांग्रेस हाई कमान्ड को दी । उन सदस्यों ने स्वयं कहा कि उन्होंने कोई प्रार्थना-पत्र कांग्रेस को ज्वाइन करने का नहीं दिया । कल इस प्रकार की बातें मुख्य मन्त्री जी मेरे लिये भी कर सकते हैं । माननीय मुख्य मन्त्री जी से सदन में खेद प्रकाश करावें कि उन्होंने क्यों इस प्रकार की गलतबयानी की ।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप इसे निश्चित और स्पष्ट कर देते तो मैं शायद उनसे कुछ पूछता। इसमें तो अनिश्चित नाम, अनिश्चित बात, अनिश्चित समय, अनिश्चित भ्रांतिपूर्ण वक्तव्य, ये सब बातें हैं। किस तरह से अवमान हुआ और कैसे, वह विषय सदन में आ सकता है, और कैसे सदन उसमें इंटरफियर कर सकता है, किस तरह से सदस्यों के अधिकारों पर आघात हुआ है, ये सब बातें आपको लिखनी चाहिये थीं। वरना इसे मैं नहीं ले सकता हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद --

बाकी सूचना कल दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आप आ जाइये, बात कर लेंगे।

सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित 'उत्तर प्रदेश वार्षिक, १९६२' नामक पुस्तिका में कुछ तीर्थ स्थानों का उल्लेख न होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

एक माननीय रक्षपालसिंह का, ८-१० महानुभावों का, है। उसमें शिकायत है कि एक पुस्तिका कल सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित हुई है, जिसमें बहुत से धार्मिक स्थान जो हमारे प्रदेश में विख्यात हैं और जिनकी महिमा है उनका उल्लेख नहीं किया गया है। उनकी शिकायत यह है कि कदाचित यह जानबूझ कर किया गया है। यह विषय ऐसा है जिसमें मैं चाहूंगा कि माननीय सूचना मन्त्री अपना वक्तव्य दे दें। कब दीजियेगा ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास) --

मैं अभी दिये देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ लिया है आपने ?

श्री बनारसीदास --

जी हां, पढ़ लिया है।

श्री अध्यक्ष--

तो मैं पढ़ कर सुना दूं--

'कल दिनांक २६ मार्च, १९६३ को उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों को राज्य के सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित "उत्तर प्रदेश वार्षिक, १९६२" नामक एक नवीन पुस्तक वितरित की गई है। पुस्तक के पृष्ठ संख्या ४१ पर प्रदेश के विभिन्न तीर्थ स्थानों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। उक्त स्थान पर फतेहपुर सीकरी, आगरा, लखनऊ की शाहमीना की मजार, देवाशरीफ, कलियर, किछौछा की दरगाह, बहराइच की सालार मसूद गाजी, जोकि मुहम्मद गजनी के साथ भारत आये थे, की दरगाह का सविस्तार वर्णन प्रस्तुत किया गया है। परन्तु विश्वविख्यात धार्मिक तीर्थस्थान वाराणसी, नेमिषार राय, मिश्रिष, ऋषीकेश और चित्रकूट आदि अनेक स्थानों का नाम उल्लेख भी नहीं किया गया है। इस पुस्तक के प्रकाशन से प्रदेश की धार्मिक जनता को अत्यन्त असन्तोष है तथा भावनाओं को धक्का लगा है। पुस्तक सरकार द्वारा प्रकाशित तथा वितरित की गई है। अस्तु, सरकार के प्रति घोर असन्तोष तथा अविश्वास की भावना आदि, आदि।'

श्री बनारसीदास --

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि कुछ माननीय सदस्यों ने सूचना बिभाग की तरफ से "उत्तर प्रदेश वार्षिक १९६२" नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है उसमें कुछ

[श्री बनारसीदास]

तीर्थस्थानों के नाम रह जाने के कारण क्षोभ और असन्तोष की भावना व्यक्त की है। उस पुस्तिका के पृष्ठ ३३ पर हैडिंग है "कुछ दर्शनीय स्थान" और उसमें लिखा है "पर्यटन केन्द्र"। पर्यटन-केन्द्रों में पृष्ठ ४० पर वाराणसी का वर्णन किया गया है कि जिसे पहले बनारस कहते थे सैकड़ों वर्षों से पवित्रता, प्रतिष्ठा, धर्म और ज्ञान का केन्द्र रहा है। हिन्दुओं के प्रमुख तीर्थस्थानों में होने के साथ-साथ यह बौद्धों के लिये भी आकर्षण का स्थल है क्योंकि इस शहर से कुछ ही मील दूर सारनाथ स्थित है जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। गंगा नदी के बायें किनारे पर बसी-वाराणसी नगरी विश्व की प्राचीनतम नगरियों में से है। यह भगवान शिव की उपासना के प्रमुख केन्द्रों में भी है। फिर उसके बाद .....

श्री अध्यक्ष--

इतनी शिकायत हो सकती है कि तीर्थ-स्थानों के शीर्षक में क्यों नहीं है?

श्री बनारसीदास ----

मैं अभी उस पर भी आ रहा हूं। वाराणसी का विस्तार से वर्णन किया गया है। ४१वें पृष्ठ पर हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन, अयोध्या, प्रयाग आदि का वर्णन है। हमारा यह दावा नहीं है कि यह पुस्तिका कोई एनसाइक्लोपीडिया है और सारी ही इस विषय का इसमें समावेश किया गया है। यह हमारा पहला प्रयास है। हम १९६३ की दूसरी पुस्तिका प्रकाशित करने जा रहे हैं। उसमें उनका भी समावेश किया जायगा। इस तरह के अगर कोई और तीर्थस्थान हैं और महत्व के स्थान हैं तो उन्हें भी शामिल कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--

यह पुस्तिका वितरित की गई और इतना बड़ा क्षोभ और असन्तोष प्रदेश में पैदा हुआ बताया गया है, वह भावना कोई इस प्रकार की नहीं है .....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर) ---

क्या बनारसीदास जी यह चाहते हैं कि प्रकाशन के पहले ही क्षोभ हो जाय जैसे कि एजूकेशन डिपार्टमेंट में पुस्तकें प्रकाशन के पहले ही वितरित हो गई थीं? क्या इस पुस्तक में सप्लीमेंट देकर वह इसे ठीक करने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष---

उसका परिमार्जन दूसरी पुस्तिका छपने पर, १९६३ के एडीशन में आ रहा है।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)---

मान्यवर, फतेहपुर सीकरी और आगरा पर्यटक केन्द्र हैं लेकिन उनको धार्मिक स्थानों में दिखाया गया है और वाराणसी जो कि धार्मिक स्थान है उसको पर्यटक केन्द्र में दिखाया गया है।

श्री अध्यक्ष--

वह तो मैंने स्वयं ही कह दिया। अब वह उनको भी बता देंगे।

श्री त्रिभुवननाथ पाण्डेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)---

चित्रकूट, जो मिर्जापुर में है, वह भी एक प्रसिद्ध स्थान है उसको केन्द्रीय सरकार ने पर्यटक केन्द्रों में दिखाया है लेकिन क्या कारण है कि प्रान्तीय सरकार उस सत्य को भी नहीं समझ पायी, जिसको केन्द्रीय सरकार ने समझ लिया।

श्री अध्यक्ष---

जो जो कमी रह गयी है उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे उसको पूरा कर देंगे।

'नेशनल हेरल्ड' के कर्मचारियों को कम वेतन मिलने आदि के सम्बन्ध में नियम ५२ अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक सूचना माननीय नेकराम जी ने मेरे पास भेजी है । वह नेशनल हेराल्ड के बारे में है । उसको मैं माननीय श्रम मंत्री जी के पास भेज रहा हूं । सचिव, विधान सभा उसको पढ़ कर सुनायेंगे ।

सचिव, विधान सभा---

सूचना इस प्रकार है---

"मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि विधान सभा की नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत निम्नलिखित लोक महत्व का प्रश्न विचारार्थ स्वीकृत किया जाय---

लखनऊ में अंग्रेजी दैनिक नेशनल हैरल्ड, जिसका नाम प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू और अखिल भारतीय नागरिक परिषद् की अध्यक्षा, श्रीमती इन्द्रा गांधी से जुड़ा हुआ है, इस समय औद्योगिक संकट से गुजर रहा है और यह आशंका है कि राज्य के अन्य समाचार-पत्रों की औद्योगिक शान्ति पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा जो कि वर्तमान संकटकालीन स्थिति को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुये अत्यन्त अवांछनीय होगा ।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उक्त पत्र के साधारण कर्मचारियों को निर्वाह योग्य वेतन देना प्रबंधकों ने इन्कार कर दिया है और वेतन में १० रुपये तक की वृद्धि करने को भी तैयार नहीं हुए । जबकि कुछ ऊंची जगहों पर काम करने वाले लोगों के वेतनों में १०० रुपया से लेकर ५०० रुपया तक की वृद्धि की गयी है जिससे कर्मचारियों में घोर असंतोष है ।

यह भी पता चला है कि संपादकीय विभाग के कुछ प्रमुख सदस्यों ने उक्त संस्था में होने वाली गड़बड़ियों और हिसाब किताब के गोलमाल की ओर प्रधान संपादक और प्रबंधक संचालक का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसका नतीजा उल्टा हुआ, जिसके फलस्वरूप संपादकीय विभाग के आधा दर्जन से अधिक सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और श्रमजीवी पत्रकारों में गंभीर क्षोभ का वातावरण है । यदि पत्र उद्योग में संकट खड़ा हो गया तो राज्य सरकार और प्रदेश की जनता के लिये संकटकालीन स्थिति में और भी विषम स्थिति पैदा हो जायगी, इसलिये इस प्रश्न पर अविलम्ब ध्यान दिया जाय ।"

श्री अध्यक्ष---

इसको मैंने उचित कार्यवाही के लिये मंत्री जी के पास भेज दिया है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---

आप वक्तव्य भी दिलायेंगे या भेज दिया है ।

श्री अध्यक्ष---

भेज दिया है । सरकार इसमें आती नहीं है । कोई ऐसी अव्यवस्था पैदा नहीं हुई है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से सरकार आ गयी हो । यह एक संस्था के बारे में है जिसमें कुछ विशेष स्थिति पैदा हो गयी है और मेरा विश्वास है कि मंत्रीजी के दिलचस्पी लेने के बाद मामला सुलझ जायगा ।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)---

यद्यपि सरकार से इसका सीधा संबंध तो आता नहीं है लेकिन यह हमारे प्रदेश का प्रमुख अंग्रेजी का पत्र है । अगर इस तरह की कोई पेचीदगी पैदा हो गयी तो दिक्कत हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष---

अगर आप कहते हैं तो मैं वक्तव्य दिला दूंगा ।

श्री जेड० ए० अहमद--

मेरा कहना यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इसमें दखल दें और इस मामले को सुलझायें ।

श्री अध्यक्ष---

मेरा विश्वास है कि वे दिलचस्पी लेकर इसको ठीक करा देंगे ।

श्री जेड० ए० अहमद--

मेरी दरख्वास्त यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें दिलचस्पी लें और दोनों पक्षों को बैठा कर इस प्रश्न को सुलझा दें ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन् नियम ५२ के प्रश्न अब क्या हम लोग डाक्टर साहब से सिफारिश करा कर आपके पास भेजा करें ?

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास तीन पत्र आये हैं....

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---

पहले इसको समाप्त कर दूं ।

संयुक्त समाजवादी दल की मान्यता के समाप्तिकरण के सम्बन्ध में परिप्रश्न

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास दो तीन पत्र आये हैं । कल मैंने एक व्यवस्था दी थी संयुक्त समाजवादी दल के सम्बन्ध में कि माननीय उग्रसेन ने मुझे यह सूचना दी है कि अब सोशलिस्ट पार्टी अलग काम करेगी और यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी कोई नहीं रही । इसी सम्बन्ध में मेरे पास तीन पत्र आये हैं । एक तो माननीय कमला सिंह यादव का है और दूसरा पत्र माननीय होरीलाल यादव, श्री रियासत हुसैन, श्री राम सुन्दर पांडेय, श्री नरसिंह नारायण पांडेय, श्री सत्यनारायण पांडेय और श्री मैनेजर सिंह का है । तीसरा पत्र माननीय केशरी प्रसाद पांडेय का आया है ।

पहली आपत्ति इसमें यह है कि निलम्बित व्यक्ति आपको पत्र लिख सकता है या नहीं और अगर वह लिखता है तो उसके ऊपर आप कार्यवाही कर सकते हैं या नहीं । मेरा खयाल है कि सदन इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि निलम्बित व्यक्ति एम० एल० ए० रहता है । वह इस सदन का सदस्य होने के नाते उन सभी सुविधाओं का अधिकारी है जो कि एम० एल० एज० की होती है, सिवाय इसके कि वह सदन की सेवाओं से वंचित किया जाता है । तो पत्र लिखना या मुझसे बात करना, उसकी पार्टी का रहना और उस पार्टी का प्रमुख होना, ये सब बातें तो बनी रहती हैं ।

माननीय उग्रसेन जी ने १३ दिसम्बर, १९६२ को मेरे पास एक पत्र लिखकर भेजा था। वह इस प्रकार है--

"हम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी व सोशलिस्ट पार्टी के विधायकों ने आपस में मिलकर "समाजवादी संयुक्त" दल का गठन किया है और इसी नाम से विधान सभा के अन्दर आज तारीख १३-१२-६२, बृहस्पतिवार से बैठे हैं । हमारे इस दल ने सर्व सम्मति से निम्नलिखित पदाधिकारियों का चुनाव किया है, इस दल की संख्या विरोधी पक्ष में सर्वाधिक है । अतः इस दल को विधान सभा में मुख्य विरोधी दल घोषित करने की कृपा करें ।"

इस पर मैंने जो आदेश दिया था वह पढ़ दूं --

"कल मैंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तथा सोशलिस्ट पार्टी के एकीकरण के सम्बन्ध में सूचना दी थी । मैं आदरणीय सदन को बता दूं कि लोकतन्त्रीय पद्धति में जितनी कम पार्टियां हों और उनका एक कार्यक्रम तथा एक प्रोग्राम चले तो इससे राष्ट्रीय या लोकतन्त्रीय प्रक्रिया को बल मिलता है और वैसे भी कोई दो दल चाहें तो जनतंत्र में विलयन कर सकते हैं । अतः मैं इस विलयन को स्वीकार करता हूं ।"

अब माननीय उग्रसेन ने स्वयं दूसरा पत्र मुझे कल लिखा । मैंने समझा कि सारे पत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब यह जो चैलेंज आया है मेरे पास विभिन्न सदस्यों का, तो मैं उचित समझता हूं कि सारा पत्र आपके सामने पढ़कर सुना दूं । माननीय उग्रसेन जी बहैसियत नेता, विधान मंडल सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश के लिखते हैं "समाजवादी संयुक्त दल विधान सभा उत्तर प्रदेश का गठन, विधान सभा में कुछ दिन पहले हुआ था । उसने सोशलिस्ट पार्टी का घोषणापत्र १९६२ प्रसोपा सम्बन्धी आलोचनात्मक वाक्यांश निकाल कर माना था तथा मैं ने सदन में घोषणा की थी कि समाजवादी संयुक्त दल सोशलिस्ट विधान एवं अनुशासन में रहकर काम करेगा । मगर प्रसोपा के अधिकांश विधायकों ने उसे अमान्य कर संयुक्त दल के निर्णयों की अवहेलना की है । जो सदस्य हमारे नियम तथा अनुशासन में रहकर हमारे साथ संघर्ष में दि० २१ व २२ मार्च, १९६३ को भाग लिये हैं, उन्हें हार्दिक बधाई है । हमने पूर्णतया प्रयास किया कि संघर्षशील समाजवाद के लिये हम एक साथ संघर्ष करें । दल ने ऐसा निर्णय भी लिया। मगर प्रसोपा की लकुआभार नीति एवं कांग्रेसी सरकार की ओर उन के झुकाव ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया ।

अतः हम आपको सूचित करते हैं कि हम सोशलिस्ट विधायक दि० २६ मार्च, १९६३ से विधानसभा में पुनः सोशलिस्ट दल के नाम से सोशलिस्ट पार्टी के विधान तथा अनुशासन में रहकर काम करेंगे । जो प्रसोपा विधायक संघर्ष में हमारे साथ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वे सोशलिस्ट दल में शामिल होकर सोशलिस्ट पार्टी के विधान एवं अनुशासन के अन्तर्गत कार्य करें । आशा है कि आप हमारे पत्र को सदन के समक्ष रखेंगे । तो माननीय उग्रसेन जी नई पार्टी के लीडर थे और पुराने सोशलिस्ट दल के भी लीडर थे । जब वह नई पार्टी बनी तो मुझसे श्री उग्रसेन जी ने और नई पार्टी के सदस्यों ने आग्रह किया कि सोशलिस्ट और प्रसोपा दोनों दलों को एक साथ एक स्थान में बैठने की सदन में व्यवस्था की जाय । उस सम्बन्ध में मैंने जनसंघ के नेता तथा अन्य सदस्यों से बातचीत की और उसके बाद मैंने माननीय उग्रसेन जी से बातचीत करना चाहा लेकिन उन्होंने मुझे यह सूचना दी कि जब तक कि यूनाइटेड सोशलिस्ट दल बाहर भी न बन जाय और जब तक प्रसोपा और समाजवादी दल एक न हो जायं तब तक ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, यह उन्होंने ठीक ही कहा । मैं समझता हूं कि उनका यह एटीट्यूड ठीक नहीं था । उसी प्रसंग में उन्होंने यह लिखा था जबकि वह सोशलिस्ट दल के नेता थे और संयुक्त दल बनने की बात थी । अब वह बहैसियत नेता सोशलिस्ट दल के घोषित करते हैं और लिखकर भेजते हैं कि सदन के समक्ष यह बात रख दो कि अब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ हमारा संयुक्त दल नहीं रहा और हम अलग हो रहे हैं और अब हम बहैसियत समाजवादी दल के ही सदन में कार्य करेंगे । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये म समझता हूं कि मैंने कल जो सदन में घोषणा की कि उस दल की जो मान्यता मैंने पहले दी थी उसको मैं वापस करता हूं, वह बिलकुल सही थी ।

एक और बात बड़े खेद के साथ मुझे कहनी पड़ती है, और मैं समझता हूं कि संसदीय प्रणाली में सबसे मौलिक बात जो है वह यह है, कि सदन के सदस्य सहिष्णुता इतनी रखें कि दूसरे का दृष्टि-कोण सुनने और समझने के लिये तैयार रहें । अगर हम शान्तिपूर्वक सुनने के लिये तैयार न हों तो फिर ४३१ सदस्यों का सदन है इसमें काम नहीं हो सकता। मुझे दुख इस बात का है कि माननीय उग्रसेन जी ने जो बातें लिखी हैं उसमें लिखा है कि हमारे संघर्षात्मक कार्यों में जो शरीक हुये हैं उनको बधाई और वह हमारे साथ आकर बैठें । हमें बहुत गम्भीरतापूर्वक यह भी सोचना पड़ेगा कि क्या संसदीय पार्टियों को जिनको मान्यता दी जाती है वह इसलिये दी जाती है कि संसदीय

[श्री अध्यक्ष]

जो प्रणालियां हैं वह विकसित हों, प्रफुल्लित हों, पल्लवित हों, या डेमोक्रेसी के तरीकों में बाधा डालने के लिये पार्टियों को हम मान्यता देते हैं ? मैं सदन के समक्ष रखूंगा बहुत गम्भीरता से इस पर विचार करना पड़ेगा कि क्या उन पार्टियों को मान्यता दी जाय जिनके तरीकों से यह विदित होता है कि संसदीय प्रणालियों के मूलोच्छेदन में वह रत हैं । अगर ऐसा आभास हो तो हमें इस पर भी विचार करना पड़ेगा । इस समय इतना कहना चाहता हूं कि इन सब बातों को देखते हुये और जो सूचनायें हैं उनके सम्बन्ध में मैं निश्चित मत का हूं कि यू० एस० पी० जो बनी थी उसकी मान्यता ठीक समाप्त की और इस समय उसको मान्यता देने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

श्रीमन्, मैं व्यवस्था चाहता हूं । आपने यू० एस० पी० को मान्जूरी दी यहां । माननीय उग्रसेन जी ने जो पत्र लिखा है वह एस० पी० के नेता की हैसियत से लिखा । यू० एस०पी० बनते पी० एस० पी० और एस० पी० खत्म हो गई और उसके बाद आज आप इस चीज को दोबारा लाये कि एस० पी० दोबारा स्थापित हो गई है । तो वह आप मन्जूर करेंगे, किस तरीके से करेंगे जब तक आपको सूचित नहीं किया जाता है कि कौन माननीय सदस्य एस० पी० के सदस्य हैं ? ऐसी कोई सूचना आपको नहीं है । तो फिर आप सोशलिस्ट पार्टी व पी० एस० पी० को किस तरीके से मान्यता अलग-अलग दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

बहुत मोटी बात है । वह यह कि यहां पर हम लोग चुन कर आये हैं । जो भी सदस्य जिस पार्टी के टिकट पर चुनकर आये हैं, चाहे सोशलिस्ट टिकट हो, कांग्रेस टिकट हो, जनसंघ टिकट हो, सब हमको मालूम है, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता ।

मैंने एक व्यवस्था दे दी । उसके सम्बन्ध में इस समय कोई विचार नहीं होगा । आइन्दा सोचेंगे तो विचार करेंगे ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

माननीय मायर जी जानना चाहते हैं कि जब उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि जो लोग संघर्ष में हमारे साथ थे वह उनकी पार्टी में हैं । इसलिये....

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)---

श्रीमन्, जो पत्र उग्रसेन जी ने आपको लिखा उस पर जो निर्णय आपने दिया उन दोनों में विरोधाभास लग रहा है और वह यह कि माननीय उग्रसेन के पत्र से जाहिर है कि पी० एस० पी० के उन सदस्यों को जो संघर्ष में रहे हैं अपने साथ लेने के लिये.....

श्री अध्यक्ष---

आपने सुना नहीं । उन्होंने कहा कि उनसे प्रार्थना है कि वह शरीक हों । "जो पी० एस० पी० विधायक हमारे साथ संघर्ष में रहे उनसे निवेदन है कि हमारे साथ एस० पी० में शामिल हों ।"

श्री दीपनारायणसिंह---

अगर कोई पार्टीबन्दी है और नेता गद्दारी करके अकेले पार्टी को तोड़ने के लिये आपको पत्र लिखता है और दूसरे सदस्य कहते हैं कि टूटी नहीं है तो जब तक दोनों दलों के सदस्य यहां न हों तब तक आप अपने निर्णय को न देते । देने का मतलब यह हुआ कि गद्दार नेता की गद्दारी को मान लिया गया ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, मैं गद्दार शब्द पर आपत्ति करता हूं । उसे माननीय सदस्य कृपया वापस लें ।

श्री दीपनारायणसिंह---

बहुमत के खिलाफ अगर नेता आपको पत्र लिखें तो गद्दारी नहीं और क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह शब्द असंसदीय हैं, आप उनको वापस लें ।

श्री दीपनारायणसिंह—

मैं आपकी आज्ञा मानता हूं ।

श्री अध्यक्ष —

मैंने एक व्यवस्था दे दी, अब उस पर कोई बहस नहीं होगी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मैं जानकारी चाहता हूं कि माननीय नरसिंहनारायण जी ने एक पत्र आपको लिखा, तो आप उन्हें किस दल का मानते हैं ?

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

ट्रेटर शब्द पार्लियामेंटरी है और गद्दार उसी का अनुवाद है । तो क्या हिन्दी अनुवाद अनपार्लियामेंटरी हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष —

हर शब्द प्रसंग और संदर्भ पर निर्भर करता है और जिस संदर्भ में कहा गया वह मैं समझता हूं उचित नहीं था । अतः वह खत्म हुआ ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आप जब व्यवस्था दे रहे थे तो आपने कहा था कि जो पत्र मेरे पास आये ह उनको पढ़ कर सुना रहा हूं । आपने माननीय उग्रसेन जी के पत्र को पढ़ा । मेरा खयाल है जल्दी में दूसरा पत्र आपने नहीं पढ़ा । मैं चाहता हूं उसको भी पढ़ कर आप सुना दें कि उन लोगों ने क्या लिखा है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा था कुछ पत्र मेरे पास आये हैं जिन्होंने चैलेन्ज किया है कि आपने क्यों ऐसी व्यवस्था दे दी ।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मैंने नियम ५२ में झांसी बिजली कम्पनी के सम्बन्ध में सूचना दी थी और कहा था कि हालत इतनी खराब हो चुकी है कि सड़क पर आये दिन अंधेरे के अलावा हजारों नागरिकों को पावर नहीं मिल रही है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं चाहूंगा अगर आपने उसको स्वीकार किया है.....

श्री अध्यक्ष—

अगर मेरे पास १० सूचनायें नियम ५२ में आयें और सभी खड़े हो कर लेक्चर देने लग जायं तो मुश्किल हो जायगी । आपने अपनी सूचना में लिखा है कि २५ फरवरी, १९६३ से यह हालत चली आ रही है, जिससे साफ है कि यह बहुत पुराना मामला है और अविलम्बनीय महत्व का नहीं है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मंत्री जी से बयान दिला दें ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठ जायं ।

श्री जगनप्रसाद रावत (जिला आगरा)—

अभी आपके सामने जो सवाल उठाये हैं उनमें आपने व्यवस्था दी है । मैं आपकी व्यवस्था सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता । केवल तात्कालिक प्रश्न ही नहीं हैं बल्कि इस प्रकार के

[श्री जगनप्रसाद रावत]

प्रश्न आगे भी आपके सामने आ सकते हैं । अगर आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लें तो इस सम्बन्ध में कुछ लोगों को मौका दें कि जो वैधानिक प्रश्न इंनवाल्व्ड हैं उनको आपके सामने ले आयें तो ज्यादा बेहतर होगा ।

श्री अध्यक्ष---

वह प्रश्न मेरे सामने आयेंगे तो मैं उनको देखूंगा । लेकिन यह प्रश्न ऐसा है कि उन्होंने मेरे पास पत्र भेजा और यह कहा कि इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिये । मैंने एक्सप्लेन कर दिया ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

मैं इसका स्वागत करता हूं कि माननीय दीपनारायण सिंह जी ने जो शब्द कहे उनको आपने वापस कराया लेकिन बनारसी दास जी ने चन्द्रजीत यादव जी के लिये "ट्रेटर" कहा, उसे वापस करा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष ---

मुझे मालूम नहीं । मेरे सामने कहते तो जरूर कहता ।

सदस्य के सदन में आने पर पुलिसमैन द्वारा रुकावट

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

हम लोग जिस समय सदन में आ रहे थे तो बाहर जो सिपाही खड़े थे वह हर व्यक्ति को रोकते थे । वहां एक लिस्ट टंगी हुई है दोनों गेट पर ।

श्री अध्यक्ष---

उसका प्रबन्ध अभी हो जायगा । एक आदमी हमारा रहे जो इस तरह की गलत चीज को रोकेगा ।

५ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न २५ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)---

अध्यक्ष महोदय, दिनांक ५ मार्च, १९६३ को श्री ऊदल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५ के सम्बन्ध में श्री ऊदल ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम रिपोर्ट से भी यह मालूम हो रहा है कि मुन्सिफ ने गलत काम किया है । अभी सरकार को पूरी रिपोर्ट नहीं मिली है तो क्या सरकार पूरी रिपोर्ट आने के बाद इसकी सूचना सदन को देने की कृपा करेगी ?

उस समय प्रश्न में उत्तर दिया गया था कि इसमें हाई कोर्ट ने मुन्सिफ साहब से पहले ही जवाब तलब कर दिया है । उनका जवाब हाई कोर्ट में पहुंच चुका है । उसमें थोड़ी सी बातें क्लेरिफिकेशन के लिये फिर से मांगी हैं, उसके पहुंचने पर यह पूरी पावर्स हाई कोर्ट को है कि मुन्सिफ के खिलाफ वह कोई भी ऐक्शन ले सके । उसके एप्वाइंटमेंट, डिसमिसल, प्रमोशन और हर प्रकार के ऐक्शन के मामले में उसे पूरे अधिकार हैं और वह उसे डील कर रहे हैं और ऐक्शन लिया जा रहा है ।

उक्त उत्तर में कुछ त्रुटि रह गई थी ।

सही उत्तर इस प्रकार है कि इसमें हाई कोर्ट ने मुन्सिफ साहब से पहले ही जवाब तलब कर दिया है । इसका जवाब हाई कोर्ट में पहुंच चुका है । इसमें थोड़ी सी बातें क्लेरिफिकेशन

के लिये फिर से मांगी गई है । उसक पहुंचने पर यह पूरी पावर्स हाई कोर्ट को है कि मुन्सिफ के खिलाफ वह कोई भी ऐक्शन ले सके । उसके डिसमिसल तथा रिमूवल के अतिरिक्त हर प्रकार के ऐक्शन के मामले में उसे पूरे अधिकार हैं और वह उसे डील कर रहे हैं और ऐक्शन लिया जा रहा है ।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४०४ पर ।)

१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ४---बिक्रीकर

श्री अध्यक्ष---

इसमें अनुदान संख्या ५, ६, ७, ८, ९, और १० ले लेता हूं जिस पर विवाद नहीं होगा । उसके बाद जिस पर विवाद होगा उसको लूंगा ।

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)---

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ४---बिक्री कर के अन्तर्गत ५०,१५,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ४–बिक्रीकर के अन्तर्गत ५०,१५,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६---स्टाम्प

श्री जयराम वर्मा---

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ६–स्टाम्प के अन्तर्गत ८,५६,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ६–स्टाम्प के अन्तर्गत ८,५६,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७---निबन्धन (रजिस्ट्रेशन)

श्री जयराम वर्मा---

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ क लिये अनुदान संख्या ७---निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) के अन्तर्गत २०,३९,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ७--निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) के अन्तर्गत २०,३९,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१--अधिवर्ष भत्ते तथा निवृत्ति वेतन (पेन्शनें)

श्री जयराम वर्मा---

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ४१-अधिवर्ष भत्ते तथा निवृत्ति वेतन (पेंशनें) के अन्तर्गत ३,३२,४१,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ४१--अधिवर्ष भत्ते तथा निवृत्ति वेतन (पेशनें) के अन्तर्गत ३,३२,४१,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५४---निवृत्ति वेतनों की संराशि

श्री जयराम वर्मा---

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ५४---निवृत्ति वेतनों की संराशि के अन्तर्गत ५,७६,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ५४--निवृत्ति वेतनों की संराशि के अन्तर्गत ५,७६,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५६---ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री जयराम वर्मा---

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३--६४ के लिये अनुदान संख्या ५६-ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत २७,७२,२९,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ५६--ब्याज वाल ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत २७,७२,२९,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विभिन्न समितियों के निर्वाचनार्थ प्राप्त नाम निर्देशित नामों की वापसी की अंतिम तिथि में परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

मुझे यह सूचना मिली है कि आदरणीय सदन को मैं यह सूचित कर दूं कि विदड्राअल्स उन इलेक्शन्स में जो हो गये हैं और जो होने बाकी हैं उनके लिये तिथि कल ५ बजे सायंकाल तक बढ़ाई जाती है।

१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ३५––सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, अनुदान संख्या ३६––संचार साधनों का सुधार, अनुदान संख्या ३७––सार्वजनिक निर्माण-कार्य––अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ५१––सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)––

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ३५–सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत ७,२३,४९,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(इस समय १२ बजकर १६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए ।)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ३६–संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत १,२१,८०,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ३७––सार्वजनिक निर्माण-कार्य––अधिष्ठान के अन्तर्गत १,३१,३९,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय , मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ५१––सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत १८,०२,८८,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन तमाम अनुदानों के विषय में इस समय मैं ज्यादा कहना मुनासिब नहीं समझता हूं क्योंकि जितना भी बजट लिटरेचर है उसमें बहुत खुलासा तरीके से सब बातें दी हुई हैं और जो कल "सार्वजनिक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश की मुख्य बातें १९६३" संबंधी पत्रिका वितरण की गई है उसमें सारी बातें कह दी गई हैं । इन अनुदानों के मातहत जो भी काम हैं उनके ऊपर आज हम कह सकते हैं कि इमर्जेन्सी की जो भी प्रतिक्रिया होनी चाहिये वह इन पर पूरी तौर से पड़ी है । साधारण समय में बहुत से काम ऐसे थे जिनका करना बहुत जरूरी था लेकिन इमर्जेन्सी के कारण बहुत से कामों को छोड़ दिया गया है और जितना धन बचा है उसको दूसरे कामों में इमर्जेन्सी पीरियड में लगाया गया है । इस तरीके से यह काम किया गया है ।

श्रीमन्, ग्रांट नम्बर ३५ खास तौर से सरकारी इमारतों की मरम्मत देखभाल और सड़कों की मेंटीनेंस के लिये है । पिछले साल से इस साल के बजट में १८ लाख रुपये की कमी की गई है, इसका कारण यह है कि मितव्ययिता की जरूरत है और सरकारी भवनों की हर साल मरम्मत और ह्वाइट वाशिंग वगैरा की जाती थी, अब उनकी हर तीसरे वर्ष किये जाने का तय किया गया है । इस प्रकार १० लाख रुपये की बचत की गई है । इसके अलावा प्रान्त में जो फ्लडस (floods) वगैरा आते थे उनके कारण बहुत से स्थानों पर सड़कें वगैरा टूट गयी थीं, उसकी वजह से काफी पैसा खर्च करना पड़ा । इस काम के लिये २५ लाख रुपया जाता था, वह कम किया गया है । पुल तथा सड़कों के लिये १७ लाख रुपया बढ़ाया गया है लेकिन फिर भी पिछले अनुदान से कम है । मैंने मेंटीनेंस का जिक्र किया । जो भी खर्चा है इसके जरिये से यह विभाग करीब १२ हजार मील उन सड़कों की देखभाल करता है जो कि इसकी बनायी हुई हैं । इसके

[श्री गिरधारीलाल]

अलावा श्रमदान का हजारों मील सड़कें हमारे सूबे में बन गयी हैं। जनता को प्रोत्साहन देने के खयाल से यह जरूरी समझा गया कि जो विशेष श्रमदान हो, तो प्रतीक के रूप में, अगर हमारे फन्डस में गुंजायश हो, तो उनको भी ले लें। लगभग इस तरह से ६ सौ मील वह सड़कें हैं जो कि विभाग देखरेख करता है। इसके अलावा ४ हजार ३ सौ मील कच्ची सड़कें हैं और ब्रायडिल पाथ्स हैं, पुल हैं, पोंटून ब्रिज और फेरीज हैं। इसके अलावा १ हजार ३७८ मील नेशनल हाई-वेज सड़कें भी इस विभाग द्वारा देखी भाली जाती हैं। इस तरह से अनुदान संख्या ३५ का जिक्र हुआ। इसके अलावा सेंट्रल रोड फण्ड है। इसमें जो रुपया केन्द्रीय सरकार से मिलता है वह केन्द्रीय सरकार से पेट्रोल के ऊपर, एक्साइज और कस्टम डयूटीज से, सिविल एक्विशन पर कुछ रुपया निकाल देती है, २० परसेंट शायद अपने पास रख कर जितना स्टेट का कोटा होता है हमारी स्कीमें जिस वक्त उनके पास पहुंचती हैं उनको मंजूर करते हैं; उस खर्चे को उसी कोटे से दिया करते हैं। इस फण्ड में ७७ लाख ७ हजार रुपया रखा हुआ है। जितने पुराने काम चल रहे थे उन्हीं की पूर्ति के लिये यह रखा गया है। इसमें दो एक काम और हैं जो कि इस मद के मातहत हैं।

इसके अलावा भवनों के निर्माण का प्रश्न खास तौर से देखा गया है। चालू वर्ष में हमने ७ करोड़ ५९ लाख रुपया रखा था लेकिन ज्यों ही हमारे देश के ऊपर संकट आया उस वक्त यह प्रश्न सामने आया कि जो कहीं से भी किफायत हो सकती हो वह की जाय। इस बात को देखते हुए वह कौन-कौन से काम हैं जिससे संकट का मुकाबला कर सकते हैं, उन कामों पर खास तौर से बिचार किया है, जैसे टेक्निकल एजूकेशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट है, या कृषि का काम है। इन कामों के अलावा बाकी जितना और विभागों के भवनों का निर्माण था प्लानिंग विभाग के कर्मचारियों से और उन विभाग के कर्मचारियों से जिनकी राय से प्रोग्राम रखा गया था उनकी सलाह से उन कामों को काफी कम कर दिया गया। ३ करोड़ ८४ लाख रुपया इस्तेमाल किया गया। ३ करोड़ ७५ लाख रुपया बचा कर अन्य निर्माण के या संकट के अन्य कामों के अन्दर लगाया गया है।

१९६३–६४ के वर्ष के अन्दर कुल मिलाकर ५ करोड़ २ लाख रुपया रखा गया है। इसके अन्दर केवल १५ लाख रुपया नये कामों के लिये रखा गया है जो कि बहुत ही आवश्यक काम हैं। बाकी सब का रुपया जो काम चालू हैं जिनको छोड़ने से नुकसान होगा, उनको पूरा करने के लिये रखा गया है। ३ करोड़ ९४ लाख रुपया प्लान बिल्डिंस के लिये है और १ करोड़ ८ लाख रुपया नान-प्लान बिल्डिंग्ज के लिये रखा गया है।

तीसरी चीज जिनमें हर माननीय सदस्य दिलचस्पी रखता है, वह हैं सड़कें और पुल। साधारण तौर पर प्रकाश डालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसका प्लान बना हुआ है और उसका जिक्र हुआ करता है। स्टार ग्रिड फार्मूला के अनुसार हर जिले के अन्दर काम चलते आये हैं लेकिन आज के समय में उसके ऊपर भी खास तौर से असर पड़ा है। उस काम की गति को और तेज किया गया है जिससे जल्दी से जल्दी तेजी और स्फूर्ति से काम हो। इस तरह से पिछले वर्ष ५ करोड़ ६९ लाख रुपया रखा गया था। कुछ रुपया सेंट्रल रोड फन्ड में था–४० लाख रुपया, उसको छोड़ कर, जिसके लिये लिखा-पढ़ी होती रहती है, और आदमी भी जाते हैं, उसमें कुछ देरी हुई, बाकी सब का सब खर्चा हुआ और इसके जरिये से ३३५ मील नयी सड़कें और १८ नये पुल बन कर जनता के इस्तेमाल में आ रहे हैं। इसके अलावा १९६३–६४ के लिये जो पैसा रखा गया है, ७ करोड़ ३५ लाख है। यह रुपया पिछले वर्ष से १ करोड़ ७० लाख रुपया ज्यादा है। इसके जरिये से जो काम करना है १९६३–६४ में, जो साधारण तौर से काम चलता है, उसके अलावा इमर्जेंसी में और भी ज्यादा जरूरत है कि काम को बढ़ाया जाय। इसमें गोरखपुर, बहराइच, बस्ती, खीरी, पीलीभीत, नैनीताल, गोन्डा, सबके सब जिले आते हैं। यह जिले वैसे भी पिछड़े हुए थे क्योंकि वहां सड़कें ठीक नहीं थी इसलिये वहां और भी बातें संतोषजनक नहीं थीं। आज की हालत में उन जिलों को उसी हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। ८ करोड़ रुपया

से एक योजना बनायी है जिनके जरिये से वहां की सड़कों को सुधारा जायगा, पुलों को मजबूत किया जायगा और वहां आल्टर्नेटिव रोड्स बनायी जायंगी। आठ करोड़ रुपये में से एक करोड़ रुपया १९६३–६४ में खर्च करना है।

इसके अलावा सूबे के अन्दर, खास तौर से पश्चिमी जिलों के अन्दर जैसे दिल्ली–अलीगढ़ सड़क है, मेरठ-दिल्ली सड़क है, मेरठ से पंजाब की सड़क है, इन तमाम को जिन पर बहुत भारी ट्रैफिक है उनको सुधारा जायगा और इनके कमजोर पुलों को मजबूत करने की योजना है। इसके लिये १९६३–६४ में ५० लाख रुपया रखा गया है। इस प्रकार १९६३–६४ के अन्दर हम करीब ३ सौ मील नयी सड़कें बना पायेंगे। रिकांस्ट्रक्शन के काम में करीब साढ़े ४ सौ मील सड़कों का सुधार हो पायेगा। दस नये पुल भी बन जायेंगे। यह काम इस विभाग द्वारा हो रहा है।

इस विभाग में काम करने वाले तमाम इंजीनियर्स हैं; उनका भी एक अनुदान ३७ नम्बर का है। हमारे यहां १५ सर्किल्स हैं। तीन सर्किल्स हमारे सर्वे, प्लानिंग और ब्रिज का काम कर रहे हैं, इसके अलावा जितने सर्किल्स हैं वह तमाम सूबे की देखभाल का जितना काम मैंने बतलाया, इस संकट के समय का जितना काम है वह सब का सब काम उन्हीं लोगों के सुपुर्द है और वह उन तमाम कार्यों को कर रहे हैं। इनके ऊपर एस्टेब्लिशमेन्ट का जो खर्चा है वह १ करोड़ ३१ लाख रुपये का है। इस साल पूरा काम जो इस विभाग के जरिये से सम्पादित होना है वह करीब २० करोड़ रुपये का है। इस तरह से इस खर्च का रेशियो करीब साढे छः परसेंट पड़ता है। मैंने और सूबों का भी मंगाकर देखा और उसको देखकर इस नतीजे पर आया कि हमारे सूबे का एस्टैब्लिशमेन्ट का जो खर्चा है और सेंटेज चार्जेज का जो खर्चा है वह औसतन और साधारण तरीके से और तमाम सूबों से सब से ज्यादा कम है।

एक प्रश्न हमारे जितने भी सदस्यगण हैं उन्होंने वर्क चार्ज के विषय में अमूमन उठाया है। हमारा खुद का भी और सरकार का भी वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेन्ट की तरफ हमेशा विशेष ध्यान रहा है और इसी खयाल से कुछ समय पहले एक समिति इस बात के लिये हमने बैठायी थी कि वह इसमें जो कुछ भी सुझाव या राय दे उस राय की रोशनी में हम उनका सुधार करें। सूबे के अन्दर करीब १,०५१ वर्क चार्ज एम्प्लायीज है जिसमें सी० सी० मिक्सर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, ट्रक क्लीनर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, रोलर ड्राइवर्स हैं, रोलर फोरमैन हैं, जीप ड्राइवर्स हैं, एलेक्ट्रिशियन्स और वायरमेन वगैरह हैं, इन तमाम को जो कि अभी तक वर्क चार्ज में थे यानी जो कि सरकारी कर्मचारियों की मर्जी पर अभी तक हटाये जा सकते थे, वैसे अमूमन हटाये नहीं जाते थे, लेकिन उनको सरकारी कर्मचारियों के जो अधिकार होते हैं, वह प्राप्त नहीं थे, तो अब इतने लोगों को रेगुलर एस्टैब्लिशमेन्ट के अन्दर ले आया गया है और इसका आदेश दे दिया गया है। इनको अब वही पूरे अधिकार हो जायेंगे जो कि दूसरे सरकारी कर्मचारियों को हुआ करते हैं। इसके अलावा जो कि और और वर्क चार्ज में काम करने वाले लोग हैं उनका भी सरकार को पूरा ध्यान है लेकिन एक तो फंड्स की दिक्कत है और साथ ही और भी बहुत से मसले हैं जिनकी वजह से उस मामले में अभी हम बहुत जल्दी नहीं कर पा रहे हैं।

एक बात और अर्जेंसी आफ एग्जीक्यूशन का जहां तक सवाल है, हमारे सूबे के अन्दर जितना काम होता है वह तमाम करीब करीब ठेकेदारी प्रथा से होता है। ठेकेदार टेंडर वगैरह देते हैं। उन्हीं के जरिये से वह सब काम होता है। हमारे दोस्तों और माननीय सदस्यों की यह भी सलाह रही कि हम साधारण मजदूरों को और साधारण अन्य व्यक्तियों को भी पूरे तौर पर ऐसा मौका दें कि वह भी इस काम के अन्दर आगे बढ़ें और सरकार और सूबे की सेवा करें। तो उसके लिये लेबर कोआपरेटिव सोसाइटीज जो हैं या लेबर यूनियन्स जो हैं, या भारत सेवक समाज है, या इसी प्रकार की और समितियां जो कि सार्वजनिक हित को सामने रखते हुए काम करना

[श्री गिरधारीलाल]

चाहें और लेबर को उठाना चाहें, उनको काम देने के लिये गवर्नमेन्ट की तरफ से पूरी-पूरी हिदायतें हैं और उसमें दो हजार से लेकर साढ़े सात हजार तक के काम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की इजाजत से बगैर टेंडर के भी दिये जा सकते हैं।

इन तमाम कामों में खास तौर पर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड और उसमें भी तृतीय पंचवर्षीय योजना जब से हमारे सूबे के अन्दर चल रही है उस वक्त से बिल्डिंग और कांस्ट्रक्शन का काम सिर्फ पी० डब्ल्यू० डी० का ही नहीं, बल्कि जहां तहां सब जगह फैला है इंडस्ट्रीज का, ऐग्रीकल्चर का, मिलिटरी का, डिफेंस का, और उसके अलावा लोगों का साधारण रहन-सहन का स्तर भी ऊंचा हुआ है, तो इन तमाम बातों की वजह से इस वक्त जहां तहां हर दिशा में भवनों के बनाने का और सड़कों इत्यादि के कांस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और इन कामों की वजह से आज बिल्डिंग मैटीरिअल्स और सड़कों का जो मैटीरिअल है उसकी बहुत कमी महसूस की जा रही है। इन तमाम कमियों को देखते हुए फिर भी विभाग किसी न किसी तरीके से इस काम को चला रहा है लेकिन उसमें जहां तक कोयले की बात है उसकी बहुत ज्यादा कमी महसूस हुई। १२ हजार वैगन्स मांगे गए थे जिसमें से केवल ४ हजार वैगन का इन्तजाम हो पाया और इसके अलावा अब कोशिश यह की जा रही है कि आगे को हम सड़कों के जरिये से भी कोल बिहार और आसाम से लाने की कोशिश करें। उस पर खर्चा ज्यादा होगा। उसमें ४५ रुपये फी टन के हिसाब से ज्यादा खर्चा पड़ेगा।

एक बात मैं टैक्नीकल आडिट सैल के बारे में बतलाना चाहता हूं। पहले अक्सर लोग यह सोचते थे कि निर्माण मंत्री या गवर्नमेन्ट के जो कर्मचारी हैं, उनके जरिये से जितना भी काम होता है वह काम सन्तोषजनक नहीं होता। उनके कामों में अनेक खामी रह जाती हैं और मिनिस्टर या सरकारी कर्मचारी जो लखनऊ में बैठते हैं उन कामों का उनको कोई अन्दाजा नहीं होता। ६ फीट गहरी बुनियाद को न बनाकर २ फीट गहरी बुनियाद डालकर उसके ऊपर मकान बना दिया जाता है। वह बाद में गिर जाता है। यही बात सड़कों के लिये भी थी और यही बात जितने और काम होते थे उनके बारे में भी कही जाती थी। इन तमाम बातों को देखते हुए यह सोचा गया कि इस कमी को पूरा किया जाय। जो मिनिस्टर और सरकारी कर्मचारी यहां गवर्नमेन्ट में ऊपर बैठते हैं वह तो यहां लखनऊ में बैठते हैं और वे दावे के साथ किसी काम को नहीं देख पाते। इस खयाल से गवर्नमेन्ट के इस विभाग के अलावा मिनिस्टर और सेक्रेटरी के मातहत एक टैक्नीकल आडिट सैल की स्थापना सूबे भर के लिये की गई थी और वह इस वक्त करीब-करीब २,३ साल से हमारे सूबे के अन्दर काम कर रहा है। वह हर जिले में जाकर, जो भी काम हमारे विभाग के द्वारा होता है, उन कामों को वह देखता है और देखकर एट रैण्डम तरीके से किसी इमारत की बुनियाद को खोद लेता है और वहां चेक करता है या कहीं से प्लास्टर उखाड़ कर देखता है और उस काम को चेक करता है। वह हिसाब-किताब की भी देखभाल करता है और चैक करता है। यह तमाम काम उसके जरिये से सूबे में देखे जा रहे हैं। उसने इस समय तक करीब २, ३ वर्षों में १,१५१ कैसेज को देखा है। उनमें ३९२ कैसज ऐसे हैं जिनमें करीब ४ लाख रुपये की रिकवरी का प्रश्न उठा है जो ठेकेदारों से लेने का प्रश्न है। हालांकि ठेकेदार इस बात से खुश नहीं हैं और उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। वह कहते हैं कि एक तरफ तो विभाग के लोग काम को देखते हैं और दूसरी तरफ ऊपर वाले लोग देखते हैं लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी यह टैक्नीकल आडिट सेल अपने काम को पूरी तरह से कर रहा है। इस तरह से जितने भी काम गलत तरीके से हो सकते थे या जिन कामों के बारे में सन्देह हो सकता था उन सबको रोकने के लिये जितने तरीके हो सकते हैं उन सबको अख्तियार किया जा रहा है।

एक बात मैं इस विभाग के काम के बारे में भी बतलाना चाहता हूं। हमारे सूबे के अन्दर इस विभाग के जरिये से जो काम हुआ है उसका अन्दाजा इस बात से होता है कि आज से पहले

जो हमारे यहां सड़कें थीं वह ९ हजार मील थीं और उन सड़कों की दशा भी अच्छी नहीं थी। वे कम चौड़ी थी और समतल नहीं थी। यहां से अगर इटावा या दिल्ली जाने पर, मैं समझता हूं कि इतना गर्दा भर जाता था कि जिसका कोई अन्दाजा नहीं था। अब वे सड़कें दूसरे प्लान के अन्त तक बढ़कर १४,५०० मील तैयार हों जिससे इस वक्त हमारे सूबे के क्षेत्र का औसत ०.१२८ मील प्रति वर्ग मील हो गया जो ०.१२ मील प्रति वर्ग मील के भारतीय औसत के बराबर है। हमारे सूबे के अन्दर १९६१–६२ तक पुराने पुल २८८ थे जिनका सुधार किया गया है। इसके साथ ही २९५ मील नई सड़कें बनाई गई हैं और १६ नये पुल बनाये गये हैं। आज मुझे यह उम्मीद है कि सन् १९६३ के मार्च महीने के अन्त तक हमारे सूबे के अन्दर १५,१३० मील पक्की सड़कें पूरी हो जायंगी। इन तमाम बातों को देखते हुए मैं सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि वह इन तमाम मांगों को, जो मैंने सदन की स्वीकृति के लिये उपस्थित की हैं, सहर्ष स्वीकार करे।

*श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५, ३६, ३७ और ५१ में मांग की राशि घटा कर एक एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है।

मान्यवर, अपने प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिये अच्छी सड़कों का निर्माण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विकास संबंधी अन्य किसी दूसरे कार्यों का। आज सड़कें युद्ध लड़ने के लिये जितनी आवश्यक हैं वहां शान्ति बनाये रखने के लिये भी वे उतनी आवश्यक हैं क्योंकि वे यातायात का एक सुगम साधन सुनिश्चित करती हैं। मान्यवर, सड़कों का विकास कार्य में एक बड़ा महत्व रहा है। यदि हम संस्कृति और सभ्यता का आलोक सुदूर ग्रामीण जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, ग्रामीण जनता को चिकित्सा और शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो हमको सड़कों का निर्माण करना पड़ेगा। यदि हम यह चाहते हैं कि जन-साधारण के दृष्टिकोण में व्यापक सुधार हो तो हमको सड़कों का निर्माण सूबे भर में करना पड़ेगा। मान्यवर, इस संकट कालीन स्थिति में हमें देखना है कि हमारा प्रदेश सीमावर्ती प्रदेश है और हम एक कगार पर खड़े हुए हैं। हमारी सीमाओं के दूसरी ओर शत्रु सड़कों का द्रुतगति से निर्माण कर रहा है। ऐसे समय में हम अपने प्रदेश की दशा देखें कि हमारे प्रदेश में सड़कों का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है।

अभी, मान्यवर, मंत्री महोदय ने नागपुर के स्टार ऐंड ग्रिड सूत्र की सूचना यहां पर दी। मान्यवर, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि १९४३ में नागपुर में एक कांफ्रेंस हुई थी। उसमें स्टार और ग्रिड का एक सूत्र बना था। उसके अनुसार हमारे प्रदेश में १६,५५३ मील सड़कें बन जानी चाहिये थीं। लेकिन ३१ मार्च, १९६२ तक हमारे प्रदेश में केवल १४,८६३ मील सड़कें बन पायी हैं। उस योजना के अनुसार भी अभी हमारे सूबे में १६९० मील सड़कों की कमी है। अगर अन्य प्रदेशों के मुकाबले में हम अपने प्रदेश की तुलना करें तो मालूम होगा कि बंगाल में प्रति १०० वर्ग मील पर १६.७१ मील सड़कें हैं, मद्रास में प्रति १०० वर्ग मील पर ३०.२६ मील सड़कें हैं, आन्ध्र में प्रति १०० वर्ग मील पर १३.६८ मील सड़कें हैं, मैसूर में १५.४९ मील सड़कें हैं, और यह आंकड़े १९५७ के हैं उन प्रदेशों के और हमारे प्रदेश में मार्च, १९६१ तक प्रति १०० वर्ग मील पर १२.१९ मील सड़कें थीं। इस प्रकार हम देखें तो पायेंगे कि हमारे सीमावर्ती प्रदेश में नागपुर योजना के अनुसार भी उन्नति नहीं हो रही है। यदि हम अन्य देशों से तुलना करें तो यू० एस० ए० में प्रति १०० वर्ग मील में १०० मील, फ्रान्स में ३०४ मील, ब्रिटेन में २०० मील और सीलोन ६८ मील सड़कें हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बालोजी अग्रवाल]

मान्यवर, जिस सूत्र के संबंध में माननीय मंत्री जी ने कहा है उस सूत्र के अनुसार हम तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने तक भी उस सीमा तक पहुंच नहीं पायेंगे जो कि अन्य प्रदेश सन् १९६१ में ही लांघ चुके हैं। मान्यवर, मेरा यह सुझाव है कि नागपुर वाला जो सूत्र है उसे समाप्त किया जाय क्योंकि इसके कारण अन्य जिलों में जो कि उस सीमा को पूरा कर चुके हैं, लेकिन जहां सड़कों की अभी और आवश्यकता है और उस नितांत आवश्यकता को शायद माननीय मन्त्री जी भी अनुभव करते होंगे, लेकिन सूत्र का बहाना ले कर वहां काम कराना उन के लिये संभव नहीं हो पाता, वहां काम हो सके और इसके लिये मेरा आग्रह है कि इस सूत्र को समाप्त किया जाना चाहिये। इसके साथ-साथ इस सूत्र को समाप्त करने के बाद यह भी हो कि सन् १९५८ में एक चीफ इंजीनियर्स की कान्फ्रेन्स बम्बई में हुई थी। उन्होंने अपने देश की समस्याओं को देख कर और विचार कर के २० साला योजना बनायी है और यह ठीक भी है। आजादी से पहले १९४२ में जिन लोगों ने नागपुर की सूत्री योजना बनाई थी, वह आजादी के बाद हमारे देश का कितना विकास होगा, इस बात को नहीं समझ सकते थे। इसलिये बम्बई कान्फ्रेन्स ने १९६१ से १९८१ तक की एक बीस साला योजना बनाई है। उसके अनुसार प्रत्येक विकसित क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, पक्की सड़कों से ४ मील के अन्तर पर और कच्ची सड़कों से १॥ मील के अन्तर पर रहना चाहिये। इसके अनुसार हमारे प्रदेश में ४८ हजार ७ सौ मील पक्की सड़कों की आवश्यकता होगी। अब हम यह विचार करें कि जिस गति से हमारे सूबे में निर्माण हो रहा है, उस गति से क्या हम १९८१ तक इतनी सड़कों का निर्माण कर पायेंगे। एक माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि आजादी मिलने पर हमारे सूबे में १९४७ में ९ हजार ३ सौ ८७ मील पक्की सड़कें थीं। दूसरी योजना के अन्त तक हमारे प्रदेश में १६ हजार मील पक्की सड़कें हो जायेंगी। यदि इसको हम देखें तो १९४७ से तीसरी योजना के समाप्त होने तक यानी १९६५-६६ तक हमारे सूबे में ७ हजार मील पक्की सड़कों का निर्माण होगा। यह २० साला योजना सन् १९६१ से १९८१ तक ५ सालों में, उसमें क्या हम ३० हजार मील सड़कों का निर्माण कर पायेंगे? मैं समझता हूं यदि इसी गति से हम बढ़े तो वह निर्माण नहीं हो पायेगा। इसलिये सार्वजनिक निर्माण विभाग में कामों की गति में बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। उसकी गति तीव्र होनी चाहिये। जो योजना के लिये धन उसको मिलता है, वह भी कम रहता है। सरकार की इतना कृपा और रहती है कि वह उसमें और कटौती करती चली जाती है।

प्रथम योजना में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिये ५ करोड़ २२ लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई थी, जिसके स्थान पर इस मद में इस विभाग ने ५ करोड़ ३९ लाख रुपया खर्च किया। पक्की सड़कों का निर्माण १,२७५ मील होना था परन्तु वास्तव में १,४८३ मील सड़कें बनाई गयीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस विभाग ने जितना कार्य किया, उसके लिये यह विभाग बधाई का पात्र है। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १६ करोड़ १४ लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित किया गया था, जिसमें से केवल १५ करोड़ १६ लाख रुपया ही व्यय किया जा सका। इस प्रकार ६८ लाख रुपये बच रहे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कार्य किया गया उससे यह अनुमान था कि जो राशि इस निर्माण विभाग को दी जाती है, उससे अधिक यह कार्य कर पायेगा। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह विभाग ९८ लाख का कम काम कर पाया। इसके साथ ही साथ इस विभाग को अधिक से अधिक राशि की आवश्यकता थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जब बनी, तो उसमें ३७ करोड़ ४१ लाख कैपिटल आउटले पी० डब्ल्यू० डी० के लिये रखा गया लेकिन वह कटौती केवल १८ करोड़ रह गई, जिसमें से १० करोड़ ३ लाख द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिये रखा गया था। ७.७ करोड़ नये कार्यों को पूरा करने के लिये रखा गया था।

आज इमर्जेन्सी का समय है। हमारा प्रदेश एक सीमावर्ती प्रदेश है। इस विभाग को यहां पर अधिक से अधिक रुपया मिलना चाहिये। लेकिन आप देखें कि इस विभाग के रुपये में कटौती कर दी जाती है और इसको पूरा करने के लिये अधिक अनुदान प्राप्त करने के लिये

मैं इस बात को कहूंगा कि मन्त्री महोदय को इसके लिये संघर्ष करना चाहिये कि इस विभाग को अधिक से अधिक रुपये की अब भी आवश्यकता है। आज इमर्जेन्सी के समय में भी उसके रुपये में कटौती हो रही है। यह दुर्भाग्य की बात है। मेरी राय में इस विभाग को अधिक रुपया देने के लिये मांग करनी चाहिये और इसको अधिक रुपया दिया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

सरकार जब कटौती करती है, तो मैंने भी कटौती कर दिया। उन्होंने ही सिखाया है। आप बहस में आ जायंगे तो आप सिखायेंगे।

तो, मान्यवर, मैं इस विभाग के सम्बन्ध में जो एक भ्रष्टाचार का आरोप है उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, इस विभाग में जो ओवरसियर, इंजीनियर नौकरी पर जब आते हैं, उससे पहले जो उनकी दशा होती है नौकरी पर आने के बाद उस दशा में बिल्कुल तबदीली होती है। मेरा यह सुझाव है कि सभी ओवरसियर, अधिशासी अभियन्ता, अभियन्ता और जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिये कि जब वह नौकरी में आये थे उस समय उनकी क्या संपत्ति थी और नौकरी में आने के बाद उनकी संपत्ति क्या हो गयी। उनके बैंक के जो एकाउन्ट हैं उनको देखा जाना चाहिये कि उनके और उनके नजदीकी रिश्तेदारों के बैंक एकाउन्ट्स नौकरी में आने के पूर्व क्या थे और बाद में क्या हुए। ऊंची-ऊंची अट्टालिकाएं बनती चली जा रही हैं। आये दिन सुनने को मिलता है और लोगों को देखने को मिलता है कि सीमेंट की चोरी होती चली जाती है। यह कहां से आता है और उनकी ऊंची-ऊंची अट्टालिकाएं कहां से बनती चली जाती हैं? कोई न कोई इन्तजाम अवश्य हो।

मान्यवर, इस मुहकमे में जो रुपया ठेकेदारों से लिया जाता है वह भ्रष्टाचार और रिश्वत नहीं माना जाता, तो कहां से इतनी छोटी तनख्वाह में इतनी सम्पत्ति उनके पास हो जाती है? बहुत से ओवरसियर ५ फीसदी लेंगे, इंजीनियर ५ फीसदी लेंगे, बिल पास करने वाले ५ फीसदी लेंगे और जो देखभाल करने वाले कर्मचारी हैं वह २–३ फीसदी ले लेते हैं। यानी १५–२० फीसदी ठेकेदार का रुपया वहां चला जाता है। ईमानदारी से जाता है। भ्रष्टाचार में माना ही नहीं जाता है। इसके साथ-साथ यदि वह नहीं दिया जाता है तो बिल जो ठेकेदारों के आते हैं उनका पेमेंट नहीं हो पाता। उसके काम में कोई न कोई खराबी निकाली जाती है। बिल के सम्बन्ध में सरकार के आदेश हैं कि महीने भर में पेमेंट हो जाना चाहिये, लेकिन शायद ही कोई खुशनसीब ठेकेदार होगा जो महीने भर में पा जाता हो।

मान्यवर, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि किस प्रकार की बिल्डिगें इस विभाग की ओर से बनती हैं। हमारे आगरा नगर में सरोजिनी देवी अस्पताल की दोमंजिला बिल्डिग बनी। उसका फर्श बैठने लगा। अभी उसको बने सिर्फ ३–४ साल हुए। एक औद्योगिक बस्ती हमारे शहर में बनायी गयी है और उस औद्योगिक बस्ती में जब वहां जाकर उद्योगपतियों ने अपनी मशीनें लगायीं और कार्य शुरू किया तो दीवारें गिरने लगीं। पिछले दिनों में जब हमारे उद्योग मन्त्री फूलसिंह जी आगरा पधारे थे तो उस समय उनको भी दिखाया गया था कि जो दीवारें बनायी गयी थीं उनमें भूरी मिट्टी लगा दी गयी थी, क्योंकि वहीं पर मिल गयी थी। झांसी में इसी प्रकार से सवा तीन लाख की बिल्डिग बनायी गयी है जिसमें दरारें पड़ गयी हैं। इस प्रकार की बिल्डिगें बनायी जाती हैं क्योंकि ठेकेदारों के साथ रियायत की जाती है। जो टेंडर उनके आते हैं उनको देख भाल कर तब ठेका मिलता है। तो फिर रियायत क्यों बरती जाती है? इसलिये कि वे अच्छी से अच्छी रिश्वत उनको देते हैं जो बिल्डिगें पास करते हैं।

[श्री बालोजी अग्रवाल]

मान्यवर, अभी एक बात सहकारी समितियों के सम्बन्ध में कही गयी थी कि भारत सेवक समाज और मजदूरों की सहकारी समितियों को हम दो हजार, ढाई हजार का ठेका बिना टेडर के भी दे सकते हैं। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि वह सहकारी समितियां जिनके पास रुपये का साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है, वह किस प्रकार से उन ठेकों को लेकर काम कर सकती हैं। यदि हम सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि ठेकेदारों से काम निकाल कर सहकारी समितियों द्वारा करायें तो उसके लिये हमको इनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा और अधिक सुविधायें देनी होंगी।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, २० मिनट तो मिलने चाहिये.....

श्री उपाध्यक्ष--

२० मिनट हो जायेंगे, आप ३ मिनट और बोल लीजिये। १७ मिनट हो चुके हैं।

श्री बालोजी अग्रवाल--

अब मैं कुछ मजदूरों के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि कुछ ड्राइवरों को और बैकेनिकों को स्थायी किया गया है। लेकिन जो २५ हजार के करीब मजदूर हैं, गैंगमैन हैं, जो भीषण गर्मी और धूप में काम करते हैं, और इस इमर्जेन्सी के वक्त सब से अधिक भार उनके ऊपर आ पड़ा है, उनके लिये आपने क्या किया है? उनको ३०-३५ रुपये महीना वेतन मिलता है, अन्य कर्मचारियों को तो आजादी के बाद कुछ महंगाई भत्ता भी दिया गया, मगर इनको कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता। मद्रास में इनको ६० रुपये, महाराष्ट्र में ७० रुपये, मध्य प्रदेश में ६५ रुपये, आसाम और केरल में ६७ रुपये मिलते हैं, लेकिन हमारे यहां ३०-३५ रुपये ही दिये जाते हैं। मेरी मांग है कि उनका वेतन बढ़ाया जाय। अगर मार्केट रेट से भी दिया जाय, तो उनको २ रुपया प्रति दिन के हिसाब से दिया जाना चाहिये।

मेरी एक मांग यह भी है कि इन लोगों को स्थायी किया जाय। एक गैंगमैन को करीब १२ मील की देखभाल करनी पड़ती है और उसको साइकिल एलाउन्स तक नहीं दिया जाता। आप ओवरसियर को मोटर एलाउन्स और घोड़ा एलाउन्स देते हैं, २५ रुपये माहवार, लेकिन इनको कुछ नहीं देते। मेरी मांग है कि इनको कम से कम साइकिल एलाउन्स तो दिया ही जाना चाहिये।

मान्यवर, यह लोग चूंकि अस्थायी तरीके से काम करते हैं, इसलिये इनको उच्चाधिकारियों की दया पर ही निर्भर रहना पड़ता है और उनके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाता है जिस तरह का व्यवहार पहले मध्यकालीन युग में गुलामों के साथ किया जाता था। यदि वे उन अधिकारियों का कहना न करें, उनकी गुलामी न करें, तो निकाल दिया जाता है। वह सड़क बनायें या न बनायें, कोई काम करें या न करें, मगर अधिकारियों की गुलामी करना उनके लिये आवश्यक हो गया है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप उनको बचाइये और स्थायी कीजिये।

मान्यवर, अब कुछ बातें मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां यमुना पर एक पुल बनाने की बात बहुत दिनों से चली आ रही है। श्रीमन्, बाह तहसील, फतियाबाद तथा इटावा का जिला आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां डकैतों का क्षेत्र कहा जाता है। दूसरे सैनिक दृष्टि से भी वह महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसलिये मेरी मांग है कि आगरा में यमुना के ऊपर पुल अवश्य बनना चाहिये और वह तृतीय योजना में ही बनना चाहिये। इसके साथ ही साथ जगनेर रोड पर रेलवे क्रासिंग पर एक पुल के बनने की आवश्यकता है। रेलवे उस पुल को बनाने के लिये तैयार हैं यदि हमारा यह विभाग उसको ७ हजार रुपया एप्रोच रोड बनाने के लिये दे दे।

मान्यवर, यह क्षेत्र एक डकैतों का क्षेत्र है। यदि आप उस क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं, वहां से डकैतों का उन्मूलन करना चाहते हैं, उस क्षेत्र की उन्नति करना चाहते हैं, तो

इटावा और आगरे को मिलाकर सड़कों की इस प्रकार की योजना बनायी जाय कि सड़कों और पुलों के द्वारा पुलिस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सुविधा हो सके। तभी उस क्षेत्र का विकास हो सकता है। माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें और उस क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करायें।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीया कलारानी, अब आप दो बजे के बाद बोलें।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्रीमती कलारानी मिश्रा (जिला हरदोई)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूं। यों तो इस विभाग के बारे में तरह-तरह की चर्चा होती रहती है और कहीं-कहीं भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाये जाते हैं और हो सकता है कि कहीं-कहीं भ्रष्टाचार हो भी, किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जो अच्छे कार्य होते हैं वे भी भ्रष्टाचार के कारण भुलाये जा सकें। आजादी मिलने के पश्चात् हमारी सरकार का देश और प्रदेश के निर्माण-कार्य का सुनहरा स्वप्न साकार रूप की दिशा में चल पड़ा। किसी भी देश की आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के लिये अच्छी सड़कों का निर्माण होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्वतन्त्रता–प्राप्ति के पूर्व उत्तर प्रदेश में लगभग ९ हजार लम्बी पक्की सड़कें थीं और वे भी जर्जर हालत में थीं, उनकी दशा अच्छी नहीं थी। इस दिशा में जितनी तेजी से प्रगति हुई है वह वास्तव में सराहनीय है और हमारी सरकार उसके लिये बधाई की पात्र है।

श्रीमन्, पहली तथा दूसरी योजना के दौरान जो उपाय किये गये उनके फलस्वरूप दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में पक्की सड़कों की लम्बाई बढ़ कर करीब १४,५०० मील हो गयी जिससे राज्य में ·१२८ मील प्रति वर्ग मील का औसत हो गया जो अखिल भारतीय औसत .१२ वर्ग मील के निकट है। इससे यातायात में जनता को सुविधा व राहत मिली है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगभग १८ करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था केवल सड़कों और पुलों के निर्माण के लिये की गयी थी। १०.३ करोड़ रुपये की धनराशि उन निर्माण कार्यों के लिये थी जो दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में प्रारम्भ किये गये थे और पूरे न हो सके थे। ७.७ करोड़ रुपये की धनराशि नयी योजना के लिये थी। सब से बड़ी प्रसन्नता तो यह है कि ८.३९ करोड़ रुपये की धनराशि पूर्वी जिलों, पिछड़े क्षेत्रों, बुन्देलखंड तथा पर्वतीय क्षेत्र में व्यय की जाने वाली है।

तीसरी योजनावधि में हमारा लक्ष्य १,६०० मील सड़कों के निर्माण का है और उसमें ९४२ मील सड़कों के सुधार और ८० नये पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। १,६१२ मील नयी सड़कों पर निर्माण-कार्य हो रहा है तथा ९१ पुलों के निर्माण-कार्य भी चल रहे हैं।

इस सिलसिले में माननीय मन्त्री जी का ध्यान मैं हरदोई जिले की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। यह वह स्थान है जहां गर्रा, गम्भीरी आदि छोटी-छोटी नदियां बहती हैं और बरसात में एक भीषण रूप धारण कर लेती हैं। वहां का तीन-चौथाई हिस्सा जलमग्न हो जाता है और यातायात के कोई साधन नहीं रहते। नतीजा यह होता है कि ४ मास के लिये यह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। गर्रा नदी पर एक पुल बनाने की योजना प्रारम्भ हो चुकी है लेकिन किन्हीं कारणों से उस कार्य में कुछ सुस्ती चल रही है। आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि बरसात तक वे इस कार्य को जल्दी से जल्दी खत्म करा दें तो वहां की पीड़ित जनता को कुछ राहत मिल सकती है। चीनी आक्रमण तथा संकटकालीन स्थिति की घोषणा के बाद यह आवश्यक

[श्रीमती कलारानी मिश्रा]

हो गया है कि सड़कों के निर्माण-कार्य में और भी तेजी बढ़ायी जाय। राज्य में वर्तमान सड़कों और उन पर बने पुलों के सुधार की एक विशेष योजना लगभग ३ करोड़ रुपये की चालू की गई। इन क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिये जो इस समय अगम्य हैं और जहां शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि वहां हम अपना ध्यान केन्द्रित करें जो हमारे बॉर्डर के जिले हैं---अल्मोड़ा, नैनीताल, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर आदि; उनके अलावा जो बाकी अन्य जिले हैं उनके जो निर्माण-कार्य बाकी हैं वे निर्माण-कार्य श्रमदान से कराये जायं और वह पी० आर० डी० की देखरेख में कराये जायं तो अच्छा है और इससे समस्या हल हो सकती है। निर्माण-कार्य कराने के लिये एक नया डिवीजन खोला गया है जो बाढ़ से बचाने का कार्य करता है और वह बड़ी तत्परता से काम करता है। निर्माण विभाग ने तमाम विभागों के बड़े-बड़े भवनों के कार्य किये हैं, जैसे इंजीनियरिंग कालेज के, मेडिकल कालेज के और हरिजन केन्द्र आदि के, इनके लिये जो अनुदान रखे गये हैं उनका मैं समर्थन करती हूं। जनता को यातायात में बहुत सुविधा इस विभाग के कार्यों से मिली है और ऐसी सुविधा इस प्रदेश के सब जगह के नागरिकों को मिलना चाहिये। सबसे महत्वपूर्ण घटना इस विभाग की देन गढ़मुक्तेश्वर के पुल के निर्माण की है।

श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)---

श्रीमन्, जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। यह नहीं कहा जा सकता कि अब यहां संकटकालीन स्थिति नहीं है, वह तो उस समय तक बनी रहेगी जब तक कि आक्रमणकारी चीन को तिब्बत के बाहर नहीं खदेड़ दिया जाता। आज इस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत अधिक है और जिस तरह से चीन का आक्रमण हुआ है उसी तरह से भ्रष्टाचार का आक्रमण इस विभाग पर बहुत अधिक है। मैं आपके द्वारा कहूंगा और जनसंघ की ओर से मांग करूंगा कि इस विभाग के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये एक कमेटी बिठाई जाय जो भ्रष्टाचार की रोक-थाम करे। मैं हरदोई जिले की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा कि अधिक वर्षा के कारण गोमती, घाघरा, गंगा में बाढ़ आती है और ४ मास के लिये रास्ता रुक जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से सार्वजनिक निर्माण विभाग पश्चिमी जिलों में सड़कें आदि बना रहा है उसी तरह से वह पूर्वी जिलों की तरफ भी ध्यान दे, जिनकी ओर ध्यान उनका नहीं जाता है। वह स्वयं अपने जिले बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की ओर अधिक रुपया खर्च किये हैं, इसलिये मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उनको आबकारी का विभाग दिया जाय और डाक्टर सीताराम जी को यह विभाग दिया जाय।

आज संकटकालीन स्थिति में यातायात का अच्छा प्रबन्ध होना बहुत आवश्यक है। संकट का मुकाबला करने के लिये सब से पहले अच्छी सड़कों की आवश्यकता है। हरदोई-लखनऊ, उन्नाव-हरदोई, हरदोई-सीतापुर, हरदोई-लखीमपुर सड़कें बहुत खराब हालत में हैं और जो ४२ हजार की गाड़ी उन पर चलाई जाती है वह एक साल में ही खराब हो जाती है। मुख्य मंत्री जी लखनऊ में गये थे तो उनको मालूम होगा उनकी गाड़ी खराब हो गई होगी और अगर नहीं भी बिगड़ी होगी तो उनको डर लगा रहा होगा कि कहीं बिगड़ न जाय। मैं उनका ध्यान अपने जिले की खराब सड़कों की तरफ दिलाना चाहता हूं और वे उन सड़कों को बनवाने का प्रयास करें। सरकार का ध्यान गंगा के उत्तरी भाग की तरफ़ जाना चाहिये क्योंकि संकटकालीन स्थिति है, यातायात के साधन आवश्यक हो जाते हैं। इस विभाग में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। एक ओवरसियर एक साल के अन्दर ५ हार्स पावर की मोटर साइकिल खरीद लेता है जो ४,५०० रु० के करीब आती है। अगर इसका पता लगाया जाय कि साल भर पहले उनकी क्या आर्थिक स्थिति थी और नौकरी के साल भर बाद क्या हो गई, तो स्पष्ट हो जायगा कि कितना भ्रष्टाचार है। अगर १ लाख रुपये का ठेका हुआ तो चार आना फीसदी उनका तय हो जाता है। ओवरसीयर पैमाइश तब करता है जब बारिश हो जाती है। इन बातों की तरफ मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये और भ्रष्टाचार रोकने के लिये जिले जिले में एक कमेटी नियुक्त होनी चाहिये।

*श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)––

श्रीमन्, मैं प्रस्तुत महत्वपूर्ण अनुदान का समर्थन करता हूं। यों तो मंत्री जी ने विभाग के कार्यों को विस्तार से बताया लेकिन स्वयं मैंने जो विभाग के कार्यों को देखा तो इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि निःसन्देह विभाग ने काफी तरक्की प्रदेश की की है। पहले गत वर्षों में जब मैं स्वयं समझता नहीं था, अपनी तरफ के कामों को देख कर सोचता था कि अभी बहुत काम करना बाकी है। लेकिन पिछले महीने इस विभाग के कार्यों को देखने का जो अवसर मिला उससे मेरा मत है कि विभाग के कर्मचारियों ने काफी लगन से पर्वतीय इलाकों में ऐसी सड़कें बनायी हैं जिनका निर्माण केवल ३५ दिन में किया है और जो लोग वहां मिले उन्होंने भी विभाग के कर्मचारियों की काफी प्रशंसा की है।

अब मैं अपने जिले की तरफ सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं। इसमें सन्देह नहीं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रगति हुई हमारी तरफ वह काफी है। लेकिन ऐसे बहुत से मुकाम हमारे यहां रह गये हैं जो इस विभाग के नियम स्टार एण्ड ग्रिड फारमूले के अन्तर्गत आते हैं और वहां निर्माण होना बाकी है। मैं बस्ती जिले की बात सरकार के सामने रखना चाहता हूं। बस्ती जिले में बहुत से स्थान रह गये हैं जहां कि सड़कों का होना बहुत आवश्यक है। इस विभाग के कर्मचारी थर्ड फाइव ईयर प्लान बना रहे थे तो वहां गये थे। जिला परिषद् के सदस्यों ने उस समय तमाम सड़कों का जिक्र किया था। धन की कमी की वजह से उनमें से बहुत-सी सड़कें नहीं ली जा सकती हैं। मैं सरकार का ध्यान एक सड़क की ओर ले जाना चाहता हूं जिसको रामजानकी रोड कहते हैं जो नेशनल हाई वे जाती है। वह छावनी मुकाम है और जनकपुर होते हुए गोरखपुर तक वह सड़क पहुँच गयी है। हमारे जिले में ५२ मील वह सड़क पड़ती है और २२ मील पिछले बजट में ली गयी लेकिन किन्हीं कारणों से दूसरी तरफ से बनना शुरू हुई। मैंने माननीय मंत्री जी से तथा तमाम अधिकारियों से इस सड़क के बारे में कहा और जो सुझाव मैंने इस सम्बन्ध में दिया है उस पर वह गौर करेंगे।

दूसरी सड़क हमारे यहां नेशनल हाई वे है। उस पर जाने पर हमको नेपाल बार्डर के लिये ७० मील की यात्रा करनी पड़ती है। फैजाबाद से लकड़मंडी, परसरामपुर, छपिया और डुमरियागंज को एक सड़क मिलाती है। उस पर २२ मील सड़क का निर्माण करा देने से ७० मील के स्थान पर केवल २२ मील की यात्रा से नेपाल बार्डर पर पहुँचा जा सकता है। एक विक्रमजीत सुनहा सड़क है। थर्ड फाइव-ईयर प्लान में यह सड़क है। इधर भी ध्यान देना चाहिये। एक जनसंघ के भाई ने माननीय मंत्री के लिये कुछ शब्द कहे और उनकी ईमानदारी व नेकनीयती पर सन्देह प्रकट किया जिसे मैं अनुचित समझता हूं।

ठेके के सिस्टम का जिक्र जो पुस्तिका वितरित की गयी है उसमें किया गया है। उसमें कुछ संस्थाओं का जिक्र किया गया है, जैसे भारत सेवक समाज और सहकारी संस्थायें। उनको यह काम देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री मंगलप्रसाद आर्य (जिला बहराइच)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे भी आज बोलने का अवसर प्रदान किया। देश की जनता की आर्थिक उन्नति के लिये सुलभ यातायात का होना अत्यन्त आवश्यक है। सरकार ने आज तक जो कुछ कार्य किया है वह सन्तोषजनक नहीं है। जो कुछ किया है वह शहरी निवासियों के सुलभ को देखते हुये किया है और देहाती क्षेत्रों की जनता के सुलभ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गयी परन्तु

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मंगलप्रसाद आर्य]

जिला बहराइच में सड़कों की वही हालत है जो १५ वर्ष पहले थी। इकौना क्षेत्र में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि जनवरी और फरवरी के महीने में बैलगाड़ी चलना दुश्वार रहता है, जीप और साइकिल की कौन कहे? इकौना से ककराघाट राप्ती नदी पार करती हुई एक सड़क लक्ष्मणपुर बाजार को जाती है। वह सड़क इतनी खराब है कि मई और जून के महीने में बैलगाड़ी नहीं चल सकती है। बरसात के महीने में दोआबा तराई के निवासियों का रास्ता बन्द हो जाता है। न तो राप्ती नदी पर पुल है और न सड़क ही ठीक है। वही एक सड़क है जो लोगों के आने जाने का साधन है और यह सड़क सिरसिया तक पहाड़ के किनारे से होकर आती है। जंगल की लकड़ी और अपने कारोबार के लिये अन्य सामान इसी सड़क से लोग लाया करते हैं। दोआबा तराई के रहने वाले इसी सड़क से अपना गल्ला बाजार तक भेजते हैं। वहां इतनी परेशानी रहती है कि लोगों का कार्य रुक जाता है। अतः श्रीमान् से मैं प्रार्थना करता हूं कि गंगवल से विशेशरगंज रेलवे स्टेशन होते हुये इकौना तक की सड़क और इकौना से ककराघाट राप्ती नदी पार करती हुई जो सड़क लक्ष्मणपुर बाजार होकर सिरसिया तक जाती है उसे पक्की बनवाने की सरकार कृपा करें। साथ ही राप्ती नदी पर पुल बनवाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके अलावा कई छोटी-छोटी नदियां दोआबा तराई में पड़ती हैं जिनमें नाव तक नहीं चलती है। बरसात के महीने में वे अपना इतना फैलाव करती हैं कि लोग उसको पार नहीं कर सकते। इससे सब लोगों को बड़ी परेशानी रहती है।

इसके अलावा ठेकेदारों को जो ठेके दिये जाते हैं उनमें ओवरसियर और इंजीनियर १० परसेंट अपना हिस्सा एलान कर के लेते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि ठेकेदार उसी सामान में से कटौती करने लगता है। अव्वल ईंट लेकर उसमें कम से कम २५ फी सदी पीला और दोमा ईंट मिला दिया करता है। सीमेंट में बालू की मात्रा अधिक कर देता है, जिससे आज मकान बनता है, दूसरे दिन गिर जाता है। सड़कों की भी यही हालत रहती है। बरसात के पहले उन पर मिट्टी डाल देते हैं और इंजीनियर महोदय वहां जाकर उस सड़क को पास कर देते हैं। जब वर्षा ऋतु आरम्भ हो जाती है तो बीच में ही या उसके समाप्त होने के बाद सड़क पर मिट्टी नहीं रह जाती है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है और सुझाव भी है कि इन सड़कों को पक्की बनवाने की व्यवस्था की जाय और पुल बनवाने की व्यवस्था की जाय। साथ ही जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे रोकने की कृपा की जाय।

श्रीमती चम्पावती (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय निर्माण मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ी हुई हूं। यह बजट संकटकालीन स्थिति और लोक कल्याण को ध्यान में रख कर बनाया गया है। मान्यवर, जैसा कि सबको मालूम है, हमारा लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है और उत्तर प्रदेश की सरकार इसी सम्बन्ध में लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। यह सन्तोष की बात है कि बजट में सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों पर बल दिया गया है। इसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी की सराहना करती हूं।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि निर्माण के कार्यों को और तेजी से करें। संचार साधनों के लिए केवल ६ करोड़ ५५ लाख रुपया रखा गया है, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के के लिए यह काफी रकम नहीं है। हमारे प्रदेश में सड़कों और पुलों की बहुत कमी है, हमारा प्रदेश इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। सड़कों के न होने से ग्रामीण जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सड़कों के निर्माण का कार्य हमारे यहां बहुत धीमा है। इसमें तेजी लाने की जरूरत है। हमारे ग्रामों के विकास के लिये जितना महत्व उद्योग धन्धों का है उतना ही सड़कों के निर्माण का है। संचार साधनों की कमी के कारण ग्रामीण लोग अपने अनाज को कस्बों तथा शहरों में नहीं ले जा सकते हैं, जिससे उनको सही कीमत नहीं मिलती है। संचार साधनों के बिना घरेलू उद्योग धंधों का विकास नहीं हो सकता है। संचार साधनों की कमी के कारण देहाती जनता का जीवन इस बीसवीं सदी में भी पिछड़ा हुआ है।

मिसाल के लिये आगरा जिले की किरावली तहसील को ले लीजिये। यही मेरा चुनाव क्षेत्र है। यहां की भूमि बहुत उपजाऊ है और किसान बड़े ही परिश्रमी हैं। इसी तहसील के गांव अहरौरा के श्री नत्थीसिंह जी हैं जिनको प्रति एकड़ सबसे अधिक अन्न पैदा करने के कारण भारत में पद्मश्री की उपाधि प्रदान हुई है। सरसा गांव भी इसी तहसील में है जिसे भारत का सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया गया है। तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद पक्की सड़कों का कोई निर्माण नहीं हुआ। तहसील के बहुत से गांव आज भी सड़क से १०–१२ मील दूर हैं। बहुत से गांवों में तो बैलगाड़ी का जाना भी मुश्किल हो जाता है। बरसात में तो अधिकतर सम्पर्क ही टूट जाता है। मेरा विश्वास है कि यदि देहाती जनता को पक्की सड़कों की सुविधा मिल जाय तो उनका विकास तेजी से हो जायगा और वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। इसी तहसील में दो बड़े कस्बे अछनेरा और फतेहपुर सीकरी हैं, जिनकी आबादी २०–२५ हजार की है, उनमें पीने के पानी का तथा दूसरी चीजों का इन्तजाम बहुत खराब है। वहां की जनता बहुत गरीब है। उनको बिजली की सहूलियत दे दी जाय तो उनका अच्छा विकास हो सकता है। बिजली की लाइन विचपुरी तक आ चुकी जो कि अछनेरा से ज्यादा दूर नहीं है। श्रीमन्, किरावली तहसील का जिक्र मैंने उदाहरण के रूप में किया है, इसके माने यह नहीं हैं कि मेरा क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों से महत्वपूर्ण है, बल्कि सारे प्रदेश का देहाती इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। उनकी गरीबी और बेकारी को मिटाने के लिये जब तक भगीरथ प्रयत्न नहीं किया जायगा तब तक प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती है।

श्रीमन्, प्रदेश की सुरक्षा के लिए संचार साधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान संकट काल में यह आवश्यक है कि प्रदेश की जनता को हर प्रकार से तैयार किया जाय। हमारा प्रदेश सीमावर्ती प्रदेश है। चीनी हमलावर हमारे देश पर किसी भी समय फिर हमला कर सकता है। मान्यवर, जनता में रक्षा भावना पैदा करना, युवकों में साहस और मनोबल पैदा करना, विद्यार्थियों को बड़ी संख्या में एन०सी०सी० की ट्रेनिंग देना, आदि ऐसे कार्य हैं जिन पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता देश की रक्षा के लिए हर तरह का त्याग करने के लिए तैयार है। यह खुशी की बात है कि सरकार ने सैनिकों के परिवारों को सुविधा देने का निश्चय किया है। मान्यवर, प्रदेश में सैनिक शिक्षा कराने का निश्चय भी सराहनीय है। इन कार्यों से युवकों के सेना में अधिक भर्ती होने में प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे आशा है कि मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में यह प्रदेश बराबर उन्नति करता रहेगा। हमारे मुख्य मंत्री जी के प्रयत्न सराहनीय हैं और वह सदन के बधाई के पात्र हैं। मैं निर्माण मंत्री जी की मांगों का समर्थन करती हूं और उनसे यह अनुरोध करूंगी कि निर्माण कार्यों को और तेजी से किया जाय।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)––

अधिष्ठाता महोदय, माननीय बालोजी अग्रवाल द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय मंत्री जी ने अपनी तकरीर के दौरान में पी० डब्लू० डी० के कर्मचारियों के बारे में अभी अभी यह कहा कि पी० डब्लू० डी० मजदूर यूनियन में कोई दिक्कत नहीं है। वह बनी हुई है या आसानी से बन जायगी। लेकिन मान्यवर, उच्च अधिकारियों की यह चाल है, वह इस यूनियन को नहीं बनने देंगे क्योंकि इसके अन्दर उनका स्वार्थ छिपा हुआ है। अगर उनकी यूनियन कामयाब हो जाती है तो उच्च अधिकारी जो नाजायज तरीके से पैसा कमाते हैं या उन पर रोब गालिब करते हैं और उनसे नाजायज काम करवाते हैं, वह नहीं करा पायेंगे। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वह यूनियन की तरफ ध्यान दें और उसे उच्च अधिकारियों से बचाने की कृपा करें, वरना वह यूनियन को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।

अधिष्ठाता महोदय, आज हमारा मुल्क संकट का सामना कर रहा है, फिर भी इस मुल्क में वही चाल, वही ढाल, वही रफ्तार है जो कि १५ वर्ष पहले थी। यह प्रदेश सीमावर्ती प्रदेश है

[श्री रघुवीर]

जहां पर दुश्मनों का हमला पहले हो सकता है, इसलिए पुलों और सड़कों का निर्माण तेजी से होना चाहिए। अगर सड़कों का काम न हो सके तो नदियों के ऊपर पुल की खास जरूरत है, वहां तेजी के साथ पुलों का निर्माण होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध के साथ कहूंगा कि दिल्ली में ११ और १२ जुलाई, १९५७ को केन्द्रीय योजना मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी जिसमें खास तौर से निम्नतम कर्मचारियों के वेतन के बारे में एक प्रस्ताव उनके सामने था। उस प्रस्ताव पर उन लोगों ने विचार किया। उस सम्मेलन में सर्वसम्मति से पास किया गया कि कर्मचारियों का वेतन कम से कम १२५ रुपया होना चाहिए। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि अपने को समाजवादी कहने वाली यह सरकार इन मजदूरों और इन कर्मचारियों के साथ जिनके कन्धों पर सारे देश और प्रदेश का निर्माण का भार है और जो चिलचिलाती हुई धूप में तथा कड़कड़ाती सर्दी में खड़े होकर तथा अपनी जान लड़ा कर निर्माण के कार्य सम्हालते हैं, ऐसा बर्ताव करती है। उनकी तनख्वाहें ३० रु०, ३५ रु० और ४३ रुपयों तक ही सीमित हैं। इसमें भी भिन्न स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाहों में भिन्न प्रकार की असमानता है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि हर असमानता खत्म की जाय, जैसा कि अन्य प्रदेशों में है। उस सम्मेलन के प्रस्ताव के आधार पर इन मजदूरों को कम से कम केरल में ६७, मद्रास में ६०, बम्बई में ७१, मध्य प्रदेश में ६५, आसाम में ६७, पंजाब में ६० रुपये तनख्वाह दी जाती है। बड़े दुःख की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ३० रुपया इन कर्मचारियों की तनख्वाह है। मंत्री जी खास तौर से इन कर्मचारियों के ऊपर ध्यान दें। आज भी ये कर्मचारी अस्थायी हैं। ३०-३० साल, २०-२० साल और पन्द्रह-पन्द्रह साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अस्थायी हैं। इनको जल्द से जल्द स्थायी करने की कृपा की जाय। पी० डब्लू० डी० कर्मचारियों का एक डेपुटेशन आप से मिला था और उनको आपने आश्वासन भी दिया था। उसने यह मांग की थी कि कम से कम ५५ रुपया तनख्वाह उनकी कर दी जाय। तो अगर १२५ रुपया नहीं कर सकते तो कम से कम ५५ रुपया तो अवश्य कर दें और एक-सा वेतन सब के लिए निर्धारित करें। इनमें जो आज असमानता है उसको दूर कर दें।

आज वर्कशाप में इतनी धांधली हो रही है, इतना गड़बड़ हो रहा है कि कहीं उसका हिसाब नहीं है। आज जितनी मशीनरी पी० डब्लू० डी० की है वह वर्कशाप में न बनवा कर बाजारों में बनवायी जाती है और ये आपके उच्च कर्मचारी इसलिए बाजार में उसको बनवाते हैं कि काफी उसमें उनको कमीशन मिलता है। अगर वर्कशाप में बनवायें तो एक पैसा भी उनको न मिले। मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें। इसके लिए एक कमीशन नियुक्त करें जो इसकी जांच करे और जब पी० डब्लू० डी० का वर्कशाप मौजूद है और फिर भी अगर बाजार में बनवाने के लिए कोई भेजता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय।

मान्यवर, आज हालत यह है इन कर्मचारियों की कि ओवरसियर और इंजीनियरों के बंगले के ऊपर ये ड्यूटी देते हैं, आपके कार्यों, सार्वजनिक निर्माण कार्यों से वंचित करके ये इनको अपने बंगले पर रखते हैं और इनसे ड्यूटी लेते हैं। इनकी हालत यह है कि वे बेचारे अस्थायी हैं, डरते हैं, बंगलों पर ड्यूटी देते हैं और जितना भी जो भी हुक्म वह देते हैं उसका पालन करते हैं। अगर जरा भी हुक्म के खिलाफ गये तो उनकी सर्विस नहीं रह सकती है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से खास तौर से अनुरोध है कि इन गरीब कर्मचारियों के ऊपर जरा विशेष रूप से ध्यान दीजिए, नहीं तो ये विभागीय राक्षस लोग इन कर्मचारियों की जिन्दगी को आगे नहीं बढ़ने देंगे और इनको हमेशा निगलते रहेंगे। मैं इनको विभागीय शोषक कहता हूं। ये शोषक विभाग के अन्दर, ऊपर बैठे हुये हैं। ये कभी भी इन गरीबों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। इनको हमेशा निगलने की कोशिश करेंगे।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान गाजीपुर जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गाजीपुर जिले में गंगा नदी के ऊपर रोड ब्रिज की मांग बहुत दिनों से चली

आ रही है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वे लिखें और स्टेट गवर्नमेंट उससे यह सिफारिश करे कि पूर्वी जिलों में यदि आर्थिक विकास करने की इच्छा है तो उस आर्थिक विकास के लिए गंगा नदी पर पुल का बनाना अनिवार्य है।

श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पी० डब्लू० डी० बजट के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पी० डब्लू० डी० के बारे में आज जो आलोचना हमारे विरोधी भाई कर रहे हैं उसको सुनकर हमको बड़ा ताज्जुब होता है। ताज्जुब इसलिये होता है कि पी० डब्लू० डी० जितना विस्तृत है, जितना टैक्नीकल है, जितना फैलाव है उसमें त्रुटि होना हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में, जो २०० वर्षों से गुलाम रहा है, जिसका चारित्रिक स्टैंडर्ड बहुत नीचा है, ये बुराई होना सम्भव है। लेकिन मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं और मैं आपके द्वारा इस विभाग के कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं। इस विभाग ने बहुत से काम ऐसे स्थानों पर बनाये हैं जहां पर मनुष्य का पहुँचना कठिन है और मनुष्य के पहुँच के बाहर है। उन जगहों पर इन लोगों ने पुल बनाकर, सड़क बना कर इस देश व प्रान्त में बड़ा काम किया है। वे हर माने में तारीफ करने योग्य हैं। मैं आपके द्वारा यह कहने के लिये तैयार हूं कि इस विभाग की सेवायें ऐसी हैं कि अगर इसको साधन मिले और पैसा मिले तो बहुत से पिछड़े इलाकों में सुधार किया जा सकता है और यह अच्छा कार्य कर सकते हैं। हम यह मानते हैं कि हमारे यहां यातायात के साधनों की कमी है, लेकिन यह इस विभाग की मजबूरी है। हम उनको अधिक पैसा नहीं दे सकते। हमारे पास उतने आर्थिक साधन नहीं हैं। हमारे यहां आर्थिक कठिनाई है जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट सड़कों का होना चाहिये, पंचवर्षीय योजना के अन्दर जितना होना चाहिये, उतना पूरा नहीं कर सके। उनके लिये यह कहना कि वह काम नहीं करते हैं या अकर्मण्य हैं या सरकार अपने कर्मचारियों से काम नहीं लेती, यह बात नहीं है, बल्कि उनकी मजबूरी है। हमारी आर्थिक समस्यायें ऐसी हैं कि पूरी तरह से उन साधनों से उनको पूरा नहीं कर सकते हैं।

एक बात जरूर है कि जैसा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है मैं उसकी तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें कई जगहों का जिक्र आया है कि जो पिछड़े हुये क्षेत्र हैं, खासतौर से बुन्देलखंड के क्षेत्र की तरक्की करेंगे। एक और जगह लिखा है कि हम पहाड़ी क्षेत्रों की तरक्की करेंगे और पिछड़े हुये क्षेत्रों में नई सड़कें बनायेंगे, लेकिन मान्यवर, जो हमारा नागपुर कान्फ्रेंस का फार्मूला है और जिस फार्मूले के आधार पर यह हमारा काम चल रहा है जब मैं उस फार्मूले को देखता हूं तो मुझको यह महसूस होता है कि इस विभाग के द्वारा पिछले सालों में और पिछली योजनाओं में कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि जिसमें कुछ क्षेत्रों के साथ न्याय नहीं हुआ है। मैं खासतौर से बुन्देलखंड की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बुन्देलखंड का क्षेत्र पहले से ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन वह गल्ले से भरा हुआ क्षेत्र है। गल्ले के मामले में वह सरप्लस है और वह सारे उत्तर प्रदेश को गल्ला देता है, लेकिन सड़क न होने की वजह से, यातायात का साधन न होने के वजह से आज वह पिछड़ा हुआ है। आज एक तरफ तो सरकार गल्ले के उत्पादन की स्कीम बनाती है और गल्ले की ज्यादा उत्पादन करना चाहती है और दूसरी तरफ बुन्देलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर गल्ला भरा हुआ है। जालौन जिले में हजारों मन गल्ला पड़ा हुआ है, लेकिन उसके लाने का कोई साधन नहीं है।

यह बात जानकर आप लोगों को और हमारे अन्य माननीय सदस्यों को तकलीफ होगी कि हमारे जालौन और बुन्देलखंड के क्षेत्रों में ऐसी जगहें आज भी मौजूद हैं कि जहां पुल न होने की वजह से, सड़क न होने की वजह से दिन में डाकू आते हैं और बच्चों को उठा ले जाते हैं। ऐसी सूरत में हम लोगों का सर शर्म से झुक जाता है। कालपी, महारीपुर रोड जो जालौन जिले की २२ मील की रोड है, उस पर तीन थाने पड़ते हैं, दो ब्लाक हैं उस पर। वहां, उस एरिया में

[श्री शिवसम्पति शर्मा]

सब से अधिक मोह पैदा होता है। और नागपुर योजना के अनुसार सभी शर्तें पूरा करती हैं, लेकिन जरूरत होने पर भी इस जिले की यह सड़क नहीं ली गयी। आप को ताज्जुब होगा कि उस इलाके में कुछ डाकू आये और चार हजार की आबादी में से दो बच्चों को उठा ले गये, लेकिन पुल का साधन न होने की वजह से हमारे पुलिस कर्मचारी देखते रह गये और उनकी कोई मदद नहीं कर पाये इसी तरह से वह इलाका हमेशा से सरप्लस रहा है। गल्ले की हालत वहां यह है कि गांवों में गल्ला भरा पड़ा है, लेकिन २५ मील सड़क न होने की वजह से गल्ला वहीं पड़ा रहता है और जिले में उस सड़क को प्रथम स्थान मिला हुआ है, लेकिन कुछ आर्थिक मजबूरियां हैं और कुछ पहले अनियमितताएं हो गयी हैं कि जिनकी वजह से यह काम पूरा नहीं हो पाता।

नागपुर योजना जो सरकार ने बनायी थी उसके अनुसार बहुत से जिलों में काफी उन्नति हुई है, लेकिन उसके बाद भी इन चार जिलों की हालत यह है कि जालौन में ८४ मील, बांदा में १८४ मील, हमीरपुर में १७० मील और झांसी में १४८ मील हम नागपुर योजना के अनुसार पीछे हैं। इसलिये आप के द्वारा निवेदन है कि केवल पिछड़े हुए क्षेत्रों की उन्नति करने की बात कह कर ही बुन्देलखंड की उन्नति होने वाली नहीं है, उससे ही काम चलने वाला नहीं है, इन इलाकों की ओर आप को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। मैं केवल एक मिनट और लेना चाहूँगा और अन्त में एक बात निवेदन करना चाहूँगा कि बांदा जिले में केन नदी पर एक पुल बनना चाहिये। यह एक पिछड़ा हुआ इलाका है और पुल न होने की वजह से वहां आवागमन के कोई साधन नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप का ध्यान आकर्षित करता हूं इन इलाकों की तरफ और माननीय मंत्री जी को इस बजट के लिये धन्यवाद देता हूं और उन कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस काम को लिया है। इस बजट के लिये मैं पुनः उनको बधाई देता हूं।

*श्री चन्दन सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय अध्यक्षता महोदय, मैं श्री बालोजी अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आप के द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो कठिनाइयां हैं, वे बहुत नहीं हैं। हमारे यहां केन यूनियन्स हैं उनके द्वारा काम होता है और वे पी० डब्लू० डी० द्वारा सड़कें बनवाते हैं। लेकिन विभाग द्वारा जो सड़कें बनायी जाती हैं उनमें इतना एरिया लिया जाता है कि जितना एरिया ग्रान्ड ट्रंक रोड का होता है। इतना ज्यादा एरिया लिये जाने की वजह से काश्तकार को बड़ा नुकसान होता है।

माननीय मंत्री जी सन् १९६१ में हमारे क्षेत्र में तशरीफ ले गये थे और सिलावर-वाया-मरहमपुर रोड उन्होंने देखी थी जो दिल्ली-सहारनपुर रोड से कनेक्ट होती है। उस सड़क का एरिया भी उतना ही कर दिया गया जितना कि दिल्ली-सहारनपुर रोड का था। इससे बहुत से काश्तकारों को परेशानी हुई। तो यह जो कठिनाई है उसे हल करना चाहिये और इसके लिये सरकार को चाहिये कि केन यूनियन्स द्वारा जो सड़कें बनवायी जायं उनका एरिया कम रखा जाय। इसके अतिरिक्त एक पुल है बनतवा ब्रिज। यह कैराना-मुजफ्फरनगर रोड पर है, लेकिन उस पर परिषद् टैक्स लेती है। १९३९ में यह पुल बना था और इस पुल की वजह से अब तक परिषद् को ४० लाख रुपया पहुँच चुका है और सालाना एक लाख के करीब पहुँचता है। इसके लिये हम लोगों ने काफी दावे वगैरह भी किये, काफी एजीटेशन भी किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाने के लिये दरख्वास्त करूँगा कि जब सड़क आप की है तो पुल आपका होना चाहिये।

इसके अलावा एक रोड है करनाल-पेरठ रोड। उस पर एक पुल है काबरौत का। १९५८-५९ में जो फ्लड आया था उससे वह पुल टूट गया था। उस पर नावों का एक पुल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनाया गया है। वह पुल बनाने के लिये ६० हजार रुपया केन प्रोग्रेस की तरफ से और ६० हजार रुपया और जमा करके आप के यहां दाखिल किया गया है। आज तक कुल १ लाख २० हजार रुपया उसके लिये जमा हो चुका है। मैंने मालूमात किये हैं, आप उसको भी नहीं बना रहे हैं। यह बात उचित नहीं है। जो हम लोग देते हैं, आप उस पर भी काम नहीं करते हैं। मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुये बड़ा दुख हुआ। मैं तो कहता हूं कि एक पैसे का इस्तेमाल नहीं होता, पता नहीं यह अनुदान की राशि कहां चली जाती है। जो धन हम लोग देते हैं और जनता देती है वह कहां लगाया जाता है? मैं मन्त्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस प्रकार की परेशानियों को अवश्य दूर करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुखलाल (जिला इटावा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, सरकार ने प्रदेश में बांधों, पुलों और सड़कों का निर्माण बहुत बड़ी संख्या में किया है। जिससे जनता को बहुत लाभ हुआ है। हजारों बस-ठेला चल रहे हैं, व्यापारियों को माल ले जाने और लाने में बहुत सुविधा मिल रही है। मैं मन्त्री जी का ध्यान इटावा जिले की ओर आकर्षित करता हूं जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां पर सड़कों की बड़ी कमी है। आपरेशन एरिया है, जिससे कि पुलिस तक भी अपना कर्तव्य निभाने में असफल रही है। अजित मल क्षेत्र आयना ब्लाक भी सड़क न होने के कारण तोड़ दिया गया है। जो विकास के कार्य हुए हैं, वह इस कारण से बेकार हो गये हैं। सड़क न होने के कारण वहां आने-जाने में बहुत तकलीफ रहती है और जगह-जगह पर पानी भरा रहता है। वहां पर कोई ईंट भट्ठा नहीं है। जो भी है, वह बहुत दूर पर है। जिससे कि ईंट की ढुलाई में ही ३० रुपये हजार देना पड़ जाता है। जो बीझलपुर-बेला सड़क को मुरादगंज से थाना ४ मील बनवाने का उन्होंने आश्वासन दिया था; मैं आशा करता हूं कि वह उसको बनवायेंगे। अन्तरिम जिला परिषद् ने कई बार प्रस्ताव पास करके आपसे सिफारिश की, परन्तु अभी तक उस ओर कोई ध्यान नहीं गया है। इसलिये मैं पुनः निवेदन करता हूं कि उस पिछले हुये इलाके की उन्नति के लिये उस सड़क का निर्माण करने की कृपा करें जिससे कि उस क्षेत्र का विकास हो सके और उद्योग-धंधे चल सकें और खेती-बाड़ी में उन्नति हो सके। वहां पर सड़क न होने के कारण, काश्तकारों का गल्ला लेने के लिये जब व्यापारी लोग जाते हैं, उनको वह बहुत मंहगा पड़ता है। अयाना से अरैसा १-२ रुपया मन तो केवल किराया देना पड़ जाता है। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान विधूना-भर्थना की ओर भी आकर्षित करता हूं कि उस इलाके को भी आप अपनी योजना में शामिल कर लें। इससे वहां के किसानों और जनता को सुविधा होगी। अन्त में मैं उन मन्त्री के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने १५ साल में एक सड़क वहां पर बनवा दी। साथ ही साथ यह भी आशा करता हूं कि वे भविष्य में उस जिले में और भी सड़कों और पुलों का निर्माण करायेंगे।

श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं मन्त्री महोदय को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कई मरतबा कहने पर अतर्रा नरैनी सड़क के निर्माण को मंजूर कर लिया। अब वह सड़क बनने जा रही है। मैं बांदा की जनता की ओर से माननीय मन्त्री महोदय को बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं चीफ इंजीनियर साहब से प्रार्थना करता हूं कि यह सड़क बरसात के दिनों में, जून से लेकर अप्रैल तक, पानी से भरी रहती है, कोई मिट्टी नहीं मिलेगी। अगर कोई टेक्निकल मंजूरी जल्द से जल्द भेज दें तो अप्रैल

[श्री मतोलासिंह]

मई, जून में मिट्टी पड़ सकती है। मैं यह भी प्रार्थना करता हूं मन्त्री महोदय से कि हमारे जिले में जो इंजीनियर भेजे गये हैं वह बड़े योग्य और ईमानदार हैं और अच्छा काम करने वाले हैं। अगर कोई और भेजा गया होता तो हमारी बहुत सी सड़कें रह जातीं। वह करीब-करीब पूरी करा चुके हैं। काफी काम हो रहा है और मजदूर लगे हुये हैं। ऐसे ही अतर्रा का भी काम खत्म कर देंगे बशर्ते कि मंजूरी दे दें। लेकिन गैंग मजदूरों को तनख्वाहें बहुत कम हैं, वह डेढ़ रुपये से दो रुपये होनी चाहिये और उनकी पोस्ट मुस्तकिल होनी चाहिये। ऐसा नहीं है, जिससे उन गरीबों को बड़ी तकलीफ होती है और मैं आशा करता हूं कि इसकी ओर सरकार विशेष ध्यान देगी।

एक सड़क बम्बई से सतना होती हुई पन्ना, अजयगढ़, कालिंजर, बांदा से यमुनापार करके फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ आदि को मिलाती है, किन्तु बरसात में कालिंजर नरैनी के बीच बाघे नदी का पुल और चिल्ला में यमुना का पुल न होने के कारण सारा कारोबार बन्द हो जाता है। यमुना का चिल्ला घाट तिजारती है, बसें अधिक चलती हैं, गल्ला आदि का आदान-प्रदान फतेहपुर, कानपुर व बांदा के दरमियान अधिक मात्रा में होता है जोकि बरसात में बन्द हो जाता है। यदि यमुना का पुल बना दिया जाय तो मैं वादा करता हूं कि १० साल के अन्दर तमाम रुपया जो पुल में लगेगा वह वसूल हो जावेगा।

एक सड़क जो बम्बई से आती है, जो नरैनी होती हुई अतर्रा आती है और वह बबेरू, औगासी तक आती है। अगर उसके बीच में पुल यमुना-गंगा पर बन जायं तो रायबरेली से लेकर लखनऊ तक सीधा रास्ता बन जाय। यह रास्ता ऐसा है जो बबेरू को एक बड़ी तिजारती मन्डी बना सकता है। एक सड़क अतर्रा से फतेहपुर को मिलाने के वास्ते कमासिन होती हुई कानपुर तक को मिलती है। किसनपुर—खागा तक बन चुकी है। धान की पैदावार वहां अधिक है, उसकी तिजारत होती है। वह सड़क इतनी खराब हो गयी है कि लोग नहर की पटरी से निकलते हैं और उसे खराब करते हैं। अगर नहर की पटरी न मिले तो उनका माल वहीं रखा रह जा सकता है। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि अतर्रा से ओरन, कमासिन होती हुई फतेहपुर तक वह सड़क बन जाय, सीधा रास्ता हो जाय। साथ ही एक सड़क बांदा से चिल्ला, तेंदवारी को जाती है, उसके लिये जो रुपया रखा गया था वह कहीं और लगा दिया गया। तेंदवारी तिजारती मन्डी है। एक सड़क सीधे मानिकपुर से रैपुरा होती हुई राजापुर को कच्ची सड़क जाती है, वह भी तिजारती लिहाज से जरूरी है अगर सरकार उचित समझे तो उसे आश्वासन में रख लें।

अब मैं फतेहपुर जिले के बारे में कुछ कहूंगा जो बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। एक सड़क फतेहपुर से बांदा को आती है। इस बीच में एक गांव बहुवा है, वहां से होती हुई एक सड़क गाजीपुर होते हुये जाती है। वह जमुना के किनारे-किनारे का हिस्सा है और बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिये सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन सड़कों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

एक सड़क ग्रान्ड ट्रंक रोड पर है जो फतेहपुर और कानपुर को मिलाती है। इस सड़क पर एक सिर्कोटिया गांव है, बीसवें मील पर है, वहां से एक कच्ची सड़क जहानाबाद को जाती है। इसको पक्की करा दिया जाय। तिजारत के लिहाज से यह बहुत ही उपयोगी सड़क है और इससे बड़ा उपकार हो सकता है।

बांदा से एक सड़क पलहरी से चलगांव, बिसन्डा, ओरन होते हुये राजपुर को मिलाती है। यह सड़क वहां की धान की पैदावार के लिहाज से बड़ी उपयोगी है। इसमें ४ बड़े बड़े गांव आते हैं और जिनकी आबादी भी ५ हजार के करीब है। अगर यह सड़क पक्की बना दी जाय तो इन ४ बड़ी मन्डियों को फायदा हो सकता है। यह पूरा क्षेत्र धान का क्षेत्र है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस सड़क की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने के लिये मुझे समय दिया । यह अनुदान बहुत ही आवश्यक है । इस वक्त हमें अपनी उत्पादन शक्ति को बढ़ाना है, औद्योगीकरण को बढ़ाना है । यह तभी हो सकता है जबकि हमारे प्रदेश में सड़कों का जाल सा बिछा दिया जाय । इस दृष्टि से इस अनुदान में जो धनराशि रखी गयी है वह और अधिक होनी चाहिये थी और इसलिये मैं इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं । आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे यहां अधिक से अधिक सड़कें, पुल तथा भवन आदि हों । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि सार्वजनिक विभाग द्वारा जो धन व्यय किया जाता है उसका सदुपयोग होना चाहिये, क्योंकि आज की स्थिति में हमको कम खर्चा करके अधिक काम करना चाहिये । पिछले सालों में, हमारी दो पंचवर्षीय योजनाओं में जो काम हुआ है उसके सम्बन्ध में बहुत से सदस्य ने यह कहा था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा धन का सदुपयोग नहीं होता है । अभी कुछ दिन पहले माननीय नरेन्द्र सिंह भिष्ट जी ने कहा था कि भवनों के लिये तथा सड़कों के लिये जो सीमेंट जाता है वह बहुत काफी तिब्बत में चला जाता है और जो हमारे इस वक्त दुश्मन हैं, उनसे मिलने वाले लोगों को किसी तरह की पनाह देना हमारे लिये लज्जा की बात है । जो भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में तरह-तरह के आरोप लगाये जाते हैं उनके संबध में मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगी कि वे बतायें कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये उन्होंने क्या कदम उठाये हैं ? क्या अच्छाइयां इस विभाग में आई हैं ? एक बार लोक सभा में भी भक्तदर्शन जी एम० पी० ने कहा था कि "जोशीमठ पर जितना रुपया खर्च हुआ है वहां सड़क पर उतने पत्थर भी नहीं बिछे हैं । यह बड़ी अनोखी बात है" ।

हमारे इंजीनियर जो ट्रेनिंग करके जाते हैं वे अपने हाथ से काम करना पसन्द नहीं करते हैं, बल्कि दफ्तरों में बैठाना पसन्द करते हैं, जहां वे कागजों को और बिलों को देखते हैं । काम तो वर्क एजेन्ट करते हैं । इंजीनियर, ओवरसियर पहले देखा करते थे कि कौन सी जगह कैसी है, कैसी मिट्टी है और उसमें आज कल हाथ डालना इंजीनियरों को गन्दा लगता है । इसलिये उन लोगों को अपने काम में तत्पर रहना चाहिये । क्योंकि हम संकटकालीन स्थिति से गुजर रहे हैं । इस समय में विशेष तौर से धन का सदुपयोग होना बहुत जरूरी है ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि वैसे तो मैं मन्त्री जी को बधाई देती हूं कि हमारे यहां बहुत से पुल और रोड बन रहे हैं । लेकिन मैं इतना कहना जरूर चाहूंगी कि जितना धन मंजूर होता है वह सब खर्च होना चाहिये । सीमेंट वगैरह तो काले बाजार में बिक जाता है और उसकी जगह मिट्टी लगा दी जाती है । मेरी रिक्वैस्ट है कि आप एक ऐसा कमीशन बैठावें जो इस प्रकार के सब आरोपों या शिकायतों की जांच करे ।

हमारे यहां टेहरी-गढ़वाल में बड़ियारगढ़ की सड़क बनी है । उसके लिये जखौली ब्लाक से गुजर कर जाने के लिये मांग थी परन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । इस विषय पर मैंने प्रश्न भी किया था । वह एक मील नीचे से गुजरती है । जहां हमारे यहां मन्दाकिनी पर पुराने बावड़े के पुल हैं वहां आने-जाने में लोगों की मौत हो जाती है । इसलिये उस जगह पर, मन्दाकिनी नदी पर स्थान-स्थान पर पक्के पुल होने चाहिये । कुछ दिन पहले जवाहरलाल जी ने कहा था कि चीन हम पर कभी भी हमला कर सकता है । उसके लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रमुख कार्य है क्योंकि उसे ऐसी सड़कें और पुल बनाने हैं जो सुरक्षा कार्य में काम आवें । टिहरी-गढ़वाल का देवप्रयाग मोटर मार्ग भी अभी शुरू नहीं हुआ है । मेरी प्रार्थना है कि मन्त्री जी उसे जल्द से जल्द बनवाने की कृपा करें ।

[श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन]

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे यहां की महिलाओं के लिये जो बहुत काफी चढ़ाई में चढ़ती उतरती हैं, कुछ सैनिक ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिये।

और अधिक न कह कर मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदान का समर्थन करती हूं।

*श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा) --

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री बालोजी अग्रवाल के कट मोशन का समर्थन करते हुये इस विभाग के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

आलोचनाओं से या किसी विभाग की कमजोरियां बताने से या कानून के जरिये से भ्रष्टाचार जिसके लिये हमारे माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसे भी शब्द इस्तेमाल किये, उनके द्वारा भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता है। मेरी इस बारे में यह राय है कि देश के निर्माण कार्यों को सफल बनाने के लिये चरित्र-निर्माण भी होना चाहिये। हमारे विचार सुन्दर होने चाहिये और जो कुछ काम हम करें वह राष्ट्रीय भावना से करें, तभी भ्रष्टाचार इन विभागों से दूर हो सकता है, अन्यथा मुझे तो कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है।

दूसरा एक और विभाग जिसके सम्बन्ध में भी विचार हुआ वह है बिजली विभाग। जितने भी टैक्नीकल विभाग हैं उनके सम्बन्ध में मैं उचित समझता हूं कि आलोचना करने की अपेक्षा अगर हम ज्यादा से ज्यादा सुझाव दें तो मुझे विश्वास है कि इन विभागों में सही तरीके से काम हो सकता है। केवल आलोचना करने से ही समस्या का समाधान सम्भव नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस-जिस क्षेत्र से जो भी सदस्य यहां आये हुये हैं वे अपनी जब मांग पेश करें तो उन्हें उदारतापूर्वक सुना जाना चाहिये, उन पर गौर किया जाना चाहिये और उनकी कठिनाइयों को दूर करने का सरकार को प्रयास करना चाहिये। यहां पर ज्यादा लोग तो नहीं बोले हैं लेकिन जो भी बोले हैं, उनकी बातों पर माननीय मन्त्री जी को ध्यान देना चाहिये।

जब सरकार कोई सड़क या पुल इत्यादि बनाने की बात निश्चय करती है तो सारी जिम्मेदारी अधिकारियों पर जाती है और मैं समझता हूं कि अधिकारियों को यह समझकर काम करना चाहिये कि यह हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है और उसमें से एक पैसा भी खाना पाप समझें। इस प्रकार मुझे यकीन है कि हमारे कार्य ठीक से किये जा सकते हैं। हमारे देश का दूसरे पड़ोसी देश से झगड़ा चल रहा है। उसकी जीत का मूल कारण भी यही था कि उसने उन सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का जाल बिछा दिया ताकि सुगमता से वह अपनी फौजी कुमुक पहुंचा सके। हमारे देश के बड़े-बड़े जो सोचने वाले हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको भी ख्याल रखना चाहिये कि सामरिक दृष्टि से सड़कों का निर्माण तेजी से होना चाहिये ताकि हम आफेन्सिव के बजाय डिफेंसिव तो कर सकें। जब हमारे देश को बाहर और भीतर के शत्रुओं से खतरा है तो सड़कों के निर्माण पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिये।

(लाल बत्ती जलने पर)

मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ कह दूं, क्योंकि लाल बत्ती हो गई है। हमारा क्षेत्र डाकू-ग्रस्त है। माननीय बालोजी ने भी मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया कि फतेहाबाद, फीरोजाबाद और बाह तहसीलों में अक्सर ये घटनायें तेजी से जोर पकड़ती जा रही हैं। पुलिस के लिये मांग की जाती है कि वहां डकैती पड़ रही है, लेकिन सड़क न होने से पुलिस वहां नहीं पहुंच पाती है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि शमसाबाद से फतेहाबाद को जोड़ दिया जाय, फतेहाबाद को फीरोजाबाद से जोड़ दिया जाय तथा शमशाबाद को दादनगर से जोड़ दिया जाय तो पुलिस को सारे जिले में पहुंचने में आसानी होगी और डकैतियों को आसानी से रोका जा सकेगा और आगे चल कर ऐसा हो जायगा कि डकैती पड़ेगी ही नहीं। इस बारे में माननीय मन्त्री जी का ध्यान कई बार आकर्षित किया गया, लेकिन बराबर इसकी उपेक्षा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जाती रही है। सन् १९६१ में अन्तरिम जिला परिषद् का प्रस्ताव भी पास करा के भेजा था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कम से कम शमसाबाद को फतेहाबाद से जोड़ने वाली सड़क का सर्वे तो कराया जाय, उसका एस्टीमेंट तो बनाया जाय। १२ मील का यह टुकड़ा है। यह बड़ा लाभदायक है और इससे डकैतियों के रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। अभी एक सड़क शमसाबाद से नयाबांस को बनायी गयी थी। जब से यह सड़क बनी है इसके आस पास के गांवों में कोई डकैती नहीं पड़ी है।

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं और आपको धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे इस मद पर बोलने का अवसर प्रदान किया। हमारे सामने जो यह पी० डब्ल्यू० डी० का बजट प्रस्तुत किया गया है, उसकी मैं ताईद करता हूं और उसके खिलाफ जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है, उसका विरोध करता हूं। काफी अरसे से बजट पर बहस हो रही है। हर मद पर बोलते समय माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार की शिकायत की और कहा कि कर्मचारी ठीक से काम नहीं करते। मेरे खयाल से यह भ्रष्टाचार सदा से कायम रहा है और रहेगा, इसको बिल्कुल नेस्तनाबूद नहीं किया जा सकता क्योंकि यह इन्सान की कमजोरी है। अलबत्ता एक चीज जरूर है और यह दावे के साथ कही जा सकती है कि भ्रष्टाचार किसी मुल्क से बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। यह भी कहा जा सकता है कि आजादी के साथ-साथ हमारे यहां भ्रष्टाचार और भी पनपा है और उसका यह नतीजा निकला है कि हम कोई ऐसा ठोस प्रयत्न आज भी नहीं कर पा रहे हैं कि वह कम हो। इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम लोगों को भ्रष्टाचार रोकने के लिये सुझाव देना चाहिये कि उसमें किस तरह से कमी हो सकती है।

इस सिलसिले में मैं मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि जो एस्टीमेंट पी० डब्ल्यू० डी० के बनते हैं उनकी एक कापी उस हल्के के एम० एल० ए० के पास भी भेज दी जाया करें, उसे इन्टरफियर करने का अधिकार भले ही न दिया जाय, लेकिन वह उससे जरूर देख सकेगा कि जो काम हो रहा है वह ऐस्टीमेंट के मुताबिक हो रहा है या नहीं। इस से भ्रष्टाचार में कमी जरूर वाके होगी। अगर यह कहा जाय कि नान-टेकनीकल आदमी उसमें कोई राय नहीं दे सकता तो फिर यह सोचने की बात है कि उसके चेक करने के लिये कौन सा रास्ता अपनाया जाय।

फेमिली प्लानिंग के सिलसिले में पहले लोग सोचते थे कि जिसके ज्यादा बच्चे होंगे वे ही अधिक भाग्यशाली हैं। लेकिन आज मुल्क की समस्या ऐसी बन गयी है कि यहां रात दिन हमारी तादाद बढ़ती चली जाती है और इस सिलसिले में हर इन्सान सोचने लगा है कि कौन सा तरीका अपनाया जाय जिससे कि कम बच्चे पैदा हों। इसी तरीके से कुदरती कोई ऐसी चीज आयेगी जिससे भ्रष्टाचार भी बन्द होगा। यह नामुमकिन है कि हमारे समाज के दिमाग में यह चीज पैदा न हो और भ्रष्टाचार किसी तरीके से बन्द न हो। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, इस तरह की बातें आये दिन हम सब हाउस में कहते हैं, लेकिन एक चीज मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर इस हाउस के लोग इस चीज की कसम खाकर अहद कर लें कि हम किसी भ्रष्टाचारी से बात नहीं करेंगे, और वह किसी किस्म की दावत करें, तो उसमें शरीक नहीं होंगे और जो दूसरे रसूमात होते हैं उसमें शरीक नहीं होंगे, तो मेरा खयाल है कि भ्रष्टाचार जरूर कम हो जायेगा। अगर उसमें कमी न हो तो उसके बहुत बड़े जिम्मेदार हम भी हैं और उसी सिलसिले में आपके द्वारा मैं माननीय मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से जो सड़क कनखल से लक्शर तक बनी है उसमें तीन पुल इतने ऊंचे बनाये गये हैं जो दरख्तों की चोटी से भी ऊंची ऊंचाई रखते हैं इसका खास कारण यह है कि जितना ज्यादा पैसा लगेगा उतनी ज्यादा आमदनी १० या २५ फी सदी के हिसाब से कर्मचारियों को हो जायगी। इसी प्रकार जो सड़कें बनती हैं, या कहीं

[श्री सईद अहमद]

कोई पुल फ्लड का पानी पार जाने के लिये बनाया जाता है वह इतना ऊंचा बनाया जाता है ताकि अर्थ वर्क ज्यादा हो क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा मिलने की गुन्जायश रहती है, इसलिये वहाँ भ्रष्टाचार की अधिक गुंजायश रहती है। दूसरी दिक्कत जो इससे पड़ती है वह यह कि पुल तो ऊंचे बनते हैं और उस पर अर्थ वर्क भी दरख्त की चोटी से ऊंचा होता है। ऐसे इलाके में यह हालत होती है कि अगर कोई मवेशी या कोई गाड़ी ऊपर से गिरे तो नामुमकिन है कि मवेशी न मर जाय या आदमी की हड्डी पसली न टूट जाय। माननीय मन्त्री जी इस इलाके में गये थे और उन्होंने वहाँ की स्थिति देखी, मैं कह नहीं सकता कि उन्होंने क्या फैसला किया है।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि लंढौरा से लक्शर के बीच में ५ मील का एरिया है जिसके न जुड़ने से लोगों को लगभग ५० मील का चक्कर लगा कर लक्शर जाना पड़ता है, इसलिये माननीय मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि ५ मील के इस एरिया को जुड़वा दें। इस सम्बन्ध में मैं कई साल से बराबर इस हाउस में कहता रहा हूं, प्राइवेट तरीके से भी मन्त्री जी से कहता रहा हूं और विश्वास दिलाया गया था कि इस योजना में इसे रख दिया जायगा, लेकिन परसों ही मैंने सेक्रेटरी साहब से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अब की बार भी इसे नहीं रखा गया है। तो माननीय मंत्री जी से मेरी दरख्वास्त है कि इस सड़क को इस योजना में जुड़वा दें तो बड़ी मेहरबानी हो। इसी तरह से मंगलौर से देवबन्द सड़क जिसके किनारे ५–५ हजार की आबादी वाले कई ग्राम हैं, बरसात के मौसम में वहां के लोग अपना माल लेकर मंगलौर के बाजार में नहीं आ पाते जो कि उस तरफ के लोगों के लिये अपना माल खरीदने बेचने की एक मन्डी है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय बालो जी अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आपके द्वारा सरकार तथा विभाग के लोगों को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि सरकार इस बात में बड़ी चतुर है कि सब कुछ होते हुये भी अपनी गलतियों पर पर्दा डाल सके और जनता को धोखे में रख सके और विभाग के लोग सरकार को बड़ी चतुरता से धोखे में रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रदेश की प्रगति बड़ी धीमी है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो कार्य हुये हैं, उनको देखते हुये मैं स्पष्ट बतला दूं कि प्रति १०० वर्ग मील पर सड़कों का अनुपात वेस्ट बंगाल में १६.७१, मदरास में ८०.२६, आंध्र में १३.६८, मैसोर में १५.४९ और उत्तर प्रदेश में १२.८० जो सबसे कम है और यह बहुत ही बड़े दुख की बात है।

नागपुर में मुख्य अभियन्ता सम्मेलन हुआ था, उसके अनुसार तृतीय पंचवर्षीय योजना में १,६०० मील पक्की सड़कें बननी चाहिये। ९५० मील सड़कों का पुनरुद्धार होना चाहिये और १२० पुलों के निर्माण की बात पूरे प्रान्त में होनी चाहिये थी। लेकिन हुआ क्या? जो जोरदार मन्त्री जी हैं उनके क्षेत्रों में यह काम हुआ और देहात की जनता वैसे ही पड़ी रह गई। प्राथमिकता दिये जाने का जो आधार था उस पर ध्यान नहीं दिया गया। पिछड़े प्रदेशों में अधिक काम होना था और उन्हीं की उपेक्षा की गई। उन क्षेत्रों का कतई ध्यान नहीं रखा गया कि जहां डाकुओं का जोर है और जहां एम० पी० के मिले हुये बार्डर का भी कोई उसमें ध्यान नहीं रखा गया। सरकार के मनमाने कार्य करने की एक मिसाल दूं कि एक मंत्री जी से सम्बन्धित इंजीनियर महोदय हैं जिला बहराइच में जो कतई काम नहीं करना चाहते। बहराइच-भिंगा रोड पर १६वें व १९वें मील पर एक प्रश्न के उत्तर में लिख दिया गया कि कोई कटान नहीं है, लेकिन मौके पर कटाने हैं। वहाँ पर २३वें मील पर पुल बना हुआ था जो एक ही बरसात में बह गया। इस तरह से कैसे उत्तरी सीमा की रक्षा हो सकती है और किस तरह से सामान पहुंचाया जा सकता है जब इतने ढीले अधिकारी वहाँ रखे जाते हैं। इस ग्रांट में कमी नहीं होनी चाहिये थी और होनी भी थी तो अनावश्यक कामों को रोकना चाहिये था।

फजूल के खर्च किये जा रहे हैं, सरकारी दफ्तरों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है उसमें १ लाख ६७ हजार रुपया व्यय होगा, इलाहाबाद में आफिसर्स की ४ कारों के लिये शेड बनाया जा रहा है और वहां गैरेज बनेगा, जिसमें ४,००० रुपया व्यय होगा। लखनऊ में माननीय गृह मन्त्री जी की सुरक्षा के लिये एक गार्ड रूम बनेगा बंगला नम्बर १३-ए, माल एवेन्यू में उस पर भी करीब ४,५०० के व्यय होगा। इस तरह से देहातों की आवागमन की आवश्यक सुविधा को समाप्त किया जा रहा है और शहरों के नागरिकों की सुख-सुविधा की ओर ध्यान दिया जा रहा है। जालौन जिले में उरई जो जिले का हेड क्वार्टर है वहां से कोंच जो तहसील हेडक्वार्टर है वहां तक की जो सड़क है उसको विभाग ने कई बार प्रयत्न करने पर नहीं लिया और कहा गया कि वह ए-ग्रेड की सड़क है। मन्त्री जी स्वयं देख लें कि उस सड़क की कैसी बुरी दशा है। मेरा निवेदन है कि स्वयं विभागीय चीफ इंजीनियर साहब देख लें कि क्या उस सड़क की हालत है। १६ मील की टार्ड लाइन उरई से जालौन जाती है उसे पी० डब्लू० डी० ने ली क्योंकि वह मन्त्री जी का क्षेत्र है, पर कोंच-उरई सड़क की भी उपेक्षा की गई।

इस तृतीय पंचवर्षीय योजना पुस्तिका में माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि बुन्देलखंड, उत्तराखंड पूर्वी और पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े होने के कारण प्राथमिकता दी गई है ताकि सब क्षेत्रों का सन्तुलित विकास हो सके। बुन्देलखंड, हमीरपुर के जिले से मुख्य मन्त्री जी इलेक्शन लड़े थे और वहां पर हार गये, तो उन्होंने भी अब उस इलाके को लाल झंडी दिखा दी और फिर वह दुबारा पर्वतीय क्षेत्र से लड़े तो वहां से जीत गये और वहां के लोगों के विकास को बहुत रुपया बांटा। यह है उनका स्वार्थ पूर्ण सिद्धान्त। जिस उत्तराखंड का दूसरा नम्बर था उसे प्रथम करके प्लान्ड कार्यों के लिये २८ करोड़ रुपया रख दिया गया और विशेष रूप से वहां की सड़कों के लिये १२.४८ करोड़ रुपया स्वीकार किया गया यह है। तानाशाही का नमूना। अगर आप विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों का विभाजन देखें तो वह इस प्रकार है। प्रति १०० वर्ग मील पर पश्चिमी प्रदेश में १५.१, मध्य क्षेत्र में १२.४, पूर्वी क्षेत्रों में १३.१, बुन्देलखंड में १०.२ और पर्वतीय क्षेत्र में १०.२। यह कौन सा मापदंड है जिससे बुन्देलखंड की उपेक्षा की गई और किस तरह से सड़कों की व्यवस्था की जा रही है? इसी तरह से पुलों के बनने के सम्बन्ध की हालत खराब है, बुन्देलखंड में एक भी पुल नहीं बना है।

जो सड़क कोंच नदी गांव मध्यप्रदेश को मिलाती है उसकी हालत बहुत खराब है। ३ मील अब भी कच्ची सड़क रह जाती है। नदी गांव पहुज पर पुल जो स्वीकृत था वह अब भी नहीं बना है, शेरगढ़ यमुना का पुल आवश्यक होने पर भी नहीं बनाया गया। इसी तरह से कई आवश्यक स्थानों पर पुल नहीं हैं। कोंच नदी गांव सड़क पक्की बनी लेकिन वह नक्शे पर ही बन कर रह गई, ३ मील में न मिट्टी है न गिट्टी है और पेमेंट उस सड़क का पूरा हो गया था यह विभाग के जादू का करिश्मा है। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं साल भर के बाद पहली बार बोलने के लिये अपने ही को बधाई देता हूं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। यों तो सरकार के सभी विभाग महत्वपूर्ण है। परन्तु यह विभाग सर्वोपरि है। जिस प्रकार शरीर में रक्त वाहिनी धमनी होती है उसी प्रकार से यह विभाग समस्त विभागों से ऊपर है। शरीर के अगर अंग का खयाल न किया जाय और उसमें रक्त संचार न हो तो उस तरफ लकवा मारा जाता है। इस विभाग द्वारा शहरों पर जितना रुपया खर्च किया जाता है आबादी

[श्री गुप्तार सिंह]

के हिसाब से, उतना ध्यान देहातों की तरफ नहीं दिया जाता है। गांवों में अस्पताल हैं लेकिन उनमें डाक्टर नहीं है। क्यों? इसलिये कि यातायात के साधन नहीं हैं। अगर नदी है तो पुल नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं है कि शहरों में तरक्की न की जाय, लेकिन देहातों की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता। शहर में हर मोहल्ले में सड़क है लेकिन देहात में ब्लाकों में सरकारी अधिकारी इसलिये नहीं जाते हैं कि वह अपनी सेहत को धूल में खराब नहीं करना चाहते। क्योंकि वहां सड़क नहीं है अतः मेरा सुझाव है कि जितने ब्लाक हैं, यों तो उनको अधिकार है, ग्राम पंचायतों को अधिकार है, लेकिन इतना कीजिये कि शहर से हर ब्लाक में जाने के लिये पक्की सड़कें होनी चाहियें। मेरे जिले में १६ ब्लाक हैं। जो सड़कों पर हैं वह ठीक है, लेकिन जो देहातों में हैं उनमें जाने का रास्ता नहीं है। सरेनी ब्लाक बेहटा से ४ मील पर है, अगर पक्की सड़क हो जाय तो रायबरेली शहर से जुड़ जाय। खीरो को रघुराज सिंह स्टेशन से जोड़ दिया जाय तो अच्छा हो जाय। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिसके अन्दर तीन मील पक्की सड़क है। अतः ऐसे क्षेत्र में खास कर सरेनी में जहां पर १९४२ में गोली चली है और ४२ आदमी घायल हुए और ५ मारे गये आज ४ मील सड़क बनाकर उन शहीदों का स्मारक तक स्थापित न हो तो वहां पर हम क्या मुंह दिखा सकते हैं।

इन सुझावों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री बैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि १७-१८ आदमी विरोधी पक्ष में हैं और इधर सैंकड़ों हैं। अगर एक सदस्य उधर से और एक इधर से बुलायेंगे तो हम लोगों में से बहुत से लोग रह जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

अब तो लगभग समाप्त हो रहा है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विभाग पर बोलने को खड़ा हुआ हूं। माननीय मन्त्री की बड़ी तारीफ की गई है, लेकिन मैं कहूंगा, "अन्धा बाटे रेवड़ी फिर फिर अपने को दे"। जिसने दबाव डाला उसे खुश कर दिया। ५६ लाख रुपया बिजनौर के लिये निश्चित कर दिया। कैसे कर दिया, आप यह देखें। रामगंगा पर एक बड़ा पुल बन गया, अफजलगढ़ पर और अब सुरजीनगर पर दूसरा पुल बना रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। एक माननीय मन्त्री की पत्नी ने कहा मेरे मायके को जाने के लिये सड़क भी पक्की नहीं है तो सड़क बनवा दी गई। एटा जिले में एटा सहावर रोड है। योजना के अन्तर्गत काली नदी पर पुल बन रहा था लेकिन उसे हटा दिया गया। उसे अब तीसरे पंचवर्षीय योजना में डाल दिया जाय। सहारनपुर में स्वामी रामानन्द जी एम० पी० हैं। रायल से बिहारीनगर तक एक सड़क बना दी गयी। वहां कोई आबादी नहीं है, केवल उनका फार्म है। आप देखेंगे आडिट रिपोर्ट १९६२ में लिखा है कि बहुत से पुल बने ५७ में, लेकिन मार्च में बने और जुलाई में बह गये। साइट गलत थी। यह सब माननीय मन्त्री जी को देखना चाहिये और जो सदस्य आता है उसके कहने से ही न बनवा दें। इंजीनियर्स को भी देखना चाहिये।

मैं अपने जिले की बात कहता हूं। रामघाट, बेलोन, दिवाई, शिकारपुर, बुलन्दशहर को सड़क जाती है। उसका टेल बेलोन से राम घाट तक है। उसे पूरा करना चाहिये और सभी टेल्स को पूरा करवाना चाहिये ताकि जनता को पूरा सुख मिल सके। ३१ मार्च तक के लिये रुपया होता है लेकिन लैप्स हो जाता है। ऐसी सूरत में जल्दी-जल्दी काम किया जाता है और पानी में रुपया बहाते हैं। मार्च के अलावा कुछ और एक्सटेंशन कर दें तो ठीक रहेगा। फिर अपनी वर्कशाप में आप काम नहीं करा पाते हैं दूसरी जगह कराते हैं। इसका भी इन्तजाम होना चाहिये। डिजाइन और साइट पहले पास होना चाहिये बाद में

रुपया मांगा जाय। रामगंगा पर। कालागढ़ पर निर्माण कार्य चल रहा है, सीमेंट वहां पर ५ रुपये ब्लेक से बिक रहा है। ऐसे आदमियों को पकड़ना होगा। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इंजीनियर पक्षपात करते हैं। पेमेन्ट्स ढंग से नहीं हो पाते हैं। एक्सेस पेमेन्ट हो जाते हैं। इनफीरियर क्वालिटी का माल सप्लाई होता है। स्टैन्डर्ड से नीचे चीजें दे दी जाती हैं। रांग मेजरमेंट होते हैं। यह देखना होगा कि ऐसा क्यों होता है। गोविन्द सहाय जी कहते थे कि यह विभाग 'प्लंडर विदाउट डेंजर' है। आज भी वही हो रहा है। उनके जिले में क्या हो रहा है? कोई संरक्षण देने वाला वहां नहीं है।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)—

अधिष्ठाता महोदय, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी ने जो अनुदान की मांग की है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय अपने प्रदेश में ९,३८७ मील लम्बी कच्ची सड़कें थीं और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में ११,५३४ मील लम्बी सड़कें बनीं और दूसरी पंचवर्षीय योजना में १४,४९७ मील पक्की सड़कें बनीं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १६,५५३ मील सड़क स्टार ऐंड ग्रिड सूत्र के अन्तर्गत बन जायगी। ३१ मार्च, १९६२ तक १४,८८३ मील सड़क बना दी गई थी। तीसरी योजना के अन्तर्गत १९६१–६२ वर्ष में ३८५.२४ लाख रुपया व्यय हुआ। १९६२–६३ में ४४० लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है। १९६३–६४ में ६५५ लाख रुपया सड़कों और पुलों के निर्माण पर खर्च होने का प्रस्ताव है। इन स्टैटिस्टिक्स को देखने से यह साबित होता है कि हमारा निर्माण विभाग प्रगति के मार्ग पर चल रहा है। पी० डब्लू० डी० १,३७८ मील राष्ट्रीय मार्गों की देखभाल भारत सरकार के अनुदान से करता है। राष्ट्रीय मार्गों के मूल कार्यों के लिये १९६१–६२ में ११४.९ लाख रुपया और देखभाल के लिये ५१.८१ लाख रुपया खर्च हुआ। १९६२–६३ में मूल कार्यों के लिये ९२.९८ लाख रुपया तथा देखभाल के लिये ५६ लाख रुपया खर्च होने की सम्भावना है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इस प्रजातन्त्र में हमारी प्रगति में सब से अहम हैसियत रखता है। यह कहना कि हमारे यहां इस महकमे ने कोई प्रगति नहीं की मैं समझता हूं कि आंखों में धूल झोंकना है। जहां तक मैं देखता हूं हर तरफ सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं और काफी तरक्की हुई है। फिर भी इस तरक्की में अफसोस है कि हमारा क्षेत्र हिस्सा नहीं ले सका। जब मैं इस विधान सभा में मेम्बर होकर आया था तो मैंने पहला काम यह किया कि मन्त्री जी को अपने क्षेत्र में ले गया और एक साल भर हो गया हमारे क्षेत्र में वही एक अच्छी सभा हुई थी। हमने वहां एक पुल मन्त्री जी को दिखाया था जिसमें आदमी बरसात में डूब कर मर जाते हैं और वह सड़क जो भानपुर से रुधौली जाती है वह कच्ची सड़क तो बनी हुई है मगर उस पर पुल नहीं है जिसकी वजह से काफी घटनायें हो जाती हैं। मन्त्री जी ने कहा था कि अगर परिषद् से पास हो जाय तो उस के लिये स्पेशल ग्रांट का इन्तजाम किया जायगा। मैंने परिषद् से भी उसको पास करा कर भेज दिया, लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर अभी तक पुल न बन सका। दूसरी सड़क चनरदीपघाट से लकड़मंडी को मिलाती है। उसकी अहमियत यह है कि इस संकटकालीन स्थिति में लखनऊ से नेपाल जुड़ जायगा।

इसके ऊपर जो दो पुल बनने मंजूर हो गये हैं उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। वे बनने जा रहे हैं लेकिन वे हमारे क्षेत्र में नहीं हैं, वैसे अगर यह सड़क बन जाय तो उसका

[काजी जलील अब्बासी]

फायदा हमारे क्षेत्र को भी मिल जायगा। इसलिये इस सड़क को बनाने की कृपा की जाय। मैं इसके अलावा यह बताऊं तो नामुनासिब न होगा और हमारी जो तरक्की हुई है उसके सबूत में कहना चाहता हूं कि टाइम्स आफ इंडिया डायरेक्टरी, १९६२--६३ के पेज २०१ के देखने से यह मालूम होगा कि हमारे यहां सब से ज्यादा सड़कें बनी हैं। टोटल ५५,२३१ मील लम्बी सड़कों का है और ७१३ मील लम्बी सीमेंट ट्रैक है। इसका मतलब यह है कि बावजूद सारी कमियों के हमने तरक्की करने का प्रयत्न किया है और १९६० का जो नक्शा है उसके देखने से मालूम होगा कि हमारा सूबा हिन्दुस्तान में सब से आगे है। मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र का भी खयाल रखा जायगा।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---

मान्यवर, मुझे बहुत खुशी है और मैंने काफी उठक बैठक की जिससे दर्द भी होने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं मैं मन्त्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि वे मेरे क्षेत्र को जन्नत बना दें। मैं एक कविता पेश करता हूं---

तुम गिरिधारी गिरि धरो, बनो एक अवतार,
दलित जनों के दुख दलो, पब्लिक रही पुकार।
पी० डब्लू० डी० इंजीनियर करें लूट व्यापार,
सड़कें रोती रह गईं, श्रोता करें विचार।

अब मैं बार्डर एरिया पर आना चाहता हूं। या तो यहां पर सड़कें खत्म ही कर दी जायं जिससे न तो वे ही आ सकें और न हम ही जा सकें। बहराइच से जो सड़क नैपाल जाती है उसको ऐसी बना दीजिये जिससे हम लड़ सकें। नदियों पर पुल नहीं है, नाव से ही उतर जाऊं तो बेहतर है। मुझे तो नदी में गोता लगाना पड़ा है। मैं अब्दुल्लानगर से जब अपने क्षेत्र में जाता हूं तो जो पुल है, वह जंगलात और पी० डब्लू० डी० के हाथ में है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों की लड़ाई कैसे ही मिट जाय और दोनों एक हो जायं और मेरा पुल बन जाय। जंगलात के पुल में हर साल लकड़ी खर्च होती है और वह बह जाता है। इस लिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इसको पक्का करा दिया जाय। इसके लिये मैं आपका आभारी होऊंगा। मैं भी माननीय जलील अब्बासी जी की तरह से आपको निमन्त्रण देता हूं और चाहता हूं कि आप मेरे इलाके में चलें। वहां आंखों से देखकर आप जरूर दर्द करेंगे। अब मैं एक शेर पढ़कर खत्म करता हूं---

वह गर्मी बज्मे इश्क गई, वह महरोवफ़ा के गीत गये।
जब होसलये दिल पस्त था, हां, हां, वह जमाने बीत गये।
तुम नाजे तहम्मुल पर नादां, हम जोरे मुसलसल पर कायम।
लिल्लाह यह बाजी रहने दो, हम हार गये तुम जीत गये।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी मारफत मन्त्री जी ने जो अनुदान रखा है उसका समर्थन करता हूं और इसके साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आजादी के बाद जो जाल सड़कों का इस प्रदेश में बिछा है वह मायूसकुन नहीं बल्कि बाइसे हिम्मत अफजां है। मैं किसी आलोचना से नहीं बल्कि शुभचिन्तक की हैसियत से मन्त्री जी को बतौर मश्विरे के चन्द सुझाव देना चाहता हूं। सब से पहले मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब वे किसी सड़क को बनाने के लिये तय करें तो इससे कब्ल सोच लें कि इस सड़क में क्या-क्या आपत्ति और अड़चनें आ सकती हैं

(इस समय ३ बजकर ५३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ताकि इन सड़कों के बनने में १५ साल न लगें, उसी वक्त जमीन भी अक्वायर हो जाय और रास्ते में कब्र, मस्जिद, मन्दिर या कोई दूसरी अड़चन हो वह भी दूर हो जाय। अभी कुछ दिन की बात है मन्सूरपुर से सोंटा तक सड़क बननी शुरू हुई, आठ दस महीने हुये, बीच में गुरुद्वारा शरीफ तशरीफ ले आये और वह रुक गयी। कांधला क्रासिंग पर कब्र आ गयी है, वह रुक गया। यही हाल लालूखेड़ी और सिसौली सड़क का है। मैं गुजारिश करूंगा कि जब सड़कें बनाना शुरू हों तो सबसे पहले जरूरी प्रोसीजर अडाप्ट कर लें जिससे अड़चनें न पैदा हों और पब्लिक मनी का वेस्टेज न हो। सिकेड़ा–मन्सूरपुर सड़क १९४७ में बनना शुरू हुई और आज १९६३ है, अभी तक बन कर तैयार नहीं हुई। ३८ हजार रुपया उस पर जाया हो चुका है। जिला मुजफ्फरनगर में सब जानते हैं कि जानसठ तहसील में ग्राम घटायन है। जानसठ से घटायन जाने का कोई रास्ता नहीं है। तकरीबन एक डेढ़ लाख की आबादी के गांव बीच में पड़ते हैं जिनको जाने के लिये रास्ता नहीं है—राजपुर कलां, किलौरा, बहादुर पुर, मनखोड़ी, तुलेहड़ी, किसन, नगला खेदड़ा, खेड़ी कुरेश, रसूलपुर कैलोरा, खेड़ी सराय, घटायन इन सब में हर एक में लाख डेढ़-लाख की आबादी है जिसके लिये कोई रास्ता नहीं है। अगर रात हो जाय तो रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको प्रायरिटी दी जाय। जो सड़कें बनना शुरू होती हैं वह अधूरी रह जाती हैं। उससे कोई फायदा नहीं अगर वह बगैर बने रह जायं। उसकी मिसाल वही है—

मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमां के हरारत बाजों ने।
दिल अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव की ताईद में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन, स्टार ऐंड ग्रिड फार्मूला के मुताबिक जो सड़कें बनाने का तखमीना आंका गया था उस हिसाब से सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया। यों अंग्रेजी जमाने में जो इलाके यातायात के सिलसिले में आगे बढ़े हुये थे आजादी के बाद भी वह रेश्यो ज्यों का त्यों रहा, पिछड़े इलाकों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकारी जो किताब मिली हुई है उसके हिसाब से पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात मैं कह रहा हूं। एक लाख की आबादी पर जो सड़कों का हिसाब रखा गया है उसके हिसाब से पश्चिमी क्षेत्र में १८.७, मध्य क्षेत्र में १६.७, बुन्देलखंड में ३०.५, पर्वतीय क्षेत्र में ६४.२ और पूर्वी जिलों में १५.४ मील सड़क एक लाख की आबादी पर बनायी गयी है। पूरे प्रदेश का औसत १९.७ पड़ता है। इस औसत से पूर्वी जिलों में जो सड़कें निर्मित की गई हैं वह औसत से भी बहुत कम हैं। पूर्वी जिलों के पिछड़ेपन की जांच करने के लिये अभी हाल में केन्द्रीय सरकार का एक कमीशन गया था। यातायात की सुविधाओं की कमी के कारण हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। मैंने माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को खत भी लिखा था गाजीपुर जिले के बारे में, खास कर अपने क्षेत्र के बारे में कि गाजीपुर में अगर गंगा पर पक्का पुल बना दिया जाता है तथा वहां का पीपे का पुल जमनिया में गंगा नदी पर लगा दिया जाता है तो दिलदारनगर से आड़ेहार तक जो दोनों जंक्शन हैं रेलवे के दोनों मिल जायेंगे और धरम्मरपुर से सैदपुर तक सड़क पक्की बना दी जाय। ताड़ीघाट पर अगर पक्का पुल बना दिया जाता है तो औद्योगीकरण की दिशा में एक कदम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मुझे दुख है, कभी-कभी तो माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की हेल्थ को देखकर मुझे तरस भी आता है, माननीय मन्त्री जी जरा मेरी बातों की तरफ ध्यान दें।

दूसरी बात मैं मजदूरी के बारे में कहना चाहता हूं। बहुत से सूबे के मजदूर और Union के कर्मचारी गैलरीज में बैठे हुये हैं। आप देखें, इन मजदूरों की तनख्वाह ३०, ३५ और ४० रुपये है। यह बहुत ही कम है। इससे पीछे के इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के जो मजदूर हैं उनकी

[श्री रामसुन्दर शास्त्री]

तनख्वाह ५०-६० रुपये है। महंगाई भत्ते के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसी तरह से उनको वर्दी भी नहीं दी जाती है। ओवरटाइम काम करते हैं, ओवरटाइम का पैसा नहीं दिया जाता है। सरकारी छुट्टियां उनको नहीं दी जाती हैं। जो मजदूर यूनियन का काम करते हैं उनको निकाल दिया जाता है। गोंडा के नसीबदार भेट को निकाल दिया गया। माननीय मन्त्री जी उस तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। मजदूर आज राष्ट्र के प्रहरी हैं। इस इमर्जेंसी के टाइम में भी आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, उनकी दिक्कतों को नहीं दूर करेंगे तो कैसे काम हो सकता है। आपका मुहकमा बहुत ही भ्रष्टाचारी हो गया है। इंजीनियर लोग कमीशन लेते हैं, जब चेक काटा जाता है तो वह अपना कमीशन लेते हैं। आपने फरमाया कि मजदूरों की सहकारी समितियों को ठेका दिया जायगा। सहकारी समितियां बनाई गईं लेकिन उनको ठेके नहीं दिये गये, टाइम पर पैसा उनको नहीं दिया जाता है, किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है और वह इसलिये नहीं दिया जाता है कि इंजीनियर और ओवरसियर लोगों को उसमें कमीशन नहीं मिलेगा। मेरी दरख्वास्त है कि माननीय मन्त्री जी मजदूरों की दशा को सुधारें, उनकी दिक्कतें दूर करें।

(श्री खूबसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को भी कुछ अपनी समस्यायें कहनी हैं, आखिर हम लोग भी यहां बैठते हैं. . . .

श्री उपाध्यक्ष--

बात यह है कि खूबसिंह जी तो मेरे सामने पहली बार बोल रहे हैं।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस थोड़े टाइम में मुझे दो तीन बातें निवेदन करनी हैं। मैं यह समझता हूं कि अगर इस इमर्जेंसी के जमाने में चीनियों का मुकाबिला करने के नुक्तेनिगाह से कोई मुहकमा हमें आगे ले जा सकता है तो वह हमारा पी० डब्लू० डी० का मुहकमा खास तौर से है। पुराने जमाने में भी हमारे पी० डब्लू० डी० ने काफी नुमायां काम किये हैं और मुझे उम्मीद इस बात की है कि आज जबकि इमर्जेंसी का वक्त हमारे सामने है और बड़ा खतरा हमारी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ है, तो यह मुहकमा कोई कसर नहीं उठा रखेगा अपने प्रयास में और इस लड़ाई को जीतने के लिये जितने अच्छे रास्ते जितनी जल्दी दे सकेगा देगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे सूबे के जनरल वेलफेयर का ताल्लुक है उसकी रीढ़ की हड्डी भी यह मुहकमा ही है। अगर हमने कोई तरक्की की है सूबे के अन्दर तो इसी पी० डब्ल्यू० डी० की पीठ पर से गुजरकर, उस रीढ़ की हड्डी पर चलकर ही वह तरक्की हमने की है। मुझे उम्मीद है कि आइन्दा भी हम तरक्की के रास्ते पर इसी तरह से बढ़ते चले जायेंगे और यह मुहकमा जितनी सेवा की भावना के साथ, जितने जज्बे के साथ आज काम कर रहा है उससे ज्यादा आगे भी काम करेगा। एक बात बड़ी ग्रेटिफाइंग यह है कि इतने क्वेश्चन्स होते हैं इस सदन के अन्दर उसमें मुझे इस बात से सन्तोष है कि क्रिटिकल किस्म के जो सवालात होते हैं उनमें पी० डब्ल्यू० डी० के बहुत कम होते हैं। यों तो देवता लोग इसमें भी सब नहीं बैठे हैं, कामचोर इस विभाग में भी हैं और जितना बड़ा विभाग होता है उसमें उतने ही ज्यादा कामचोरों के होने की सम्भावना रहती है, तो इससे यह मुहकमा भी बरी नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस सबके बावजूद भी यह जैसे अब तक काम करता चला आया है, वैसे ही आगे भी करता रहेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुझे बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कुछ कहना है और बिजनौर का जिला भी एक प्रकार से बार्डर डिस्ट्रिक्ट में आता है। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि जिस वक्त हमारा थर्ड फाइव ईयर प्लान बना था उस वक्त चीनी खतरा हमारे सामने नहीं था। तो हमने पंचसाला प्रोग्राम में अपनी सड़कें रखी हैं उसमें अब तब्दीली हमको कर लेना चाहिये। हमारे पास वक्त थोड़ा है। मुझे दुख होता है जब मैं यह देखता हूं कि इस तीसरे पंचसाला प्रोग्राम में बिजनौर जिले के अन्दर २ मील सड़कें दी गई हैं। मुझे शर्म आती है जब मैं यह देखता हूं कि बिजनौर से एक मिनिस्टर यहां आता है और सारे सूबे की सेवा करता है लेकिन वह अपने जिले की सेवा नहीं कर सकता है। सिर्फ दो मील सड़क इस तीसरे पंचसाला प्रोग्राम के अन्दर वहां दी गई है। मैं इस बात को मिनिस्टर साहब से कहूंगा और सारे पी० डब्लू० डी० एडमिनिस्ट्रेशन से कहूंगा कि डिस्ट्रिब्यूशन इक्विटेबिल होना चाहिये लेकिन वह डिस्ट्रिब्यूशन इस वजह से नहीं होता है कि बिजनौर का एक मिनिस्टर है।

मैं लोकल मुसीबत के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं। रामगंगा का पुल इस मुहकमे ने बनाकर खड़ा कर दिया है बिजनौर के अन्दर। एक पुल जो वहां पर पहले दूसरी नदी का बना हुआ है इन दोनों पुलों को लिंक रोड से मिला दिया जाय तो यह फ्लड कन्ट्रोल के प्वाइन्ट आफ व्यू से और डिफेंस के प्वाइन्ट आफ व्यू से बहुत ही फायदेमन्द बात होगी। मेरा खयाल है कि डिफेंस और फ्लड कन्ट्रोल की निगाह से खुद महकमें की तवज्जह उस तरफ होगी। अगर इस प्लान के लिये कहीं बाहर से कोई फंड प्राप्त हो सके सेंट्रल रोड फंड से या और फंड से रुपया लेकर इसको बनाया जाय। यह बहुत ही लाभप्रद बात उस इलाके के लिये होगी।

*श्री बालोजी अग्रवाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदान से सम्बन्धित विवाद में २१ माननीय सदस्यों ने भाग लिया। मैं उन सभी सदस्यों का, जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया, धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्या सदन के सामने रखी। उससे मुझे यह अनुभव हुआ कि अपने प्रदेश में सड़कों के सम्बन्ध में कितनी कमी है और वह कितना पिछड़ा हुआ है। यह बात सभी सम्मानित सदस्यों के सामने आ गई।

मान्यवर, मुझे एक बात कर्मचारियों के सम्बन्ध में पुनः कहनी है और वह यह है कि इस विभाग में अधिक से अधिक टेम्पोरेरी कर्मचारी हैं और उनकी संख्या लगभग २५ हजार है। इस विभाग का असर लोकल बाडीज के कर्मचारियों पर भी पड़ता है जो कि पी० डब्लू० डी० में काम करते हैं। इनके जी० ओ० के अनुसार उनको भी वही वेतन दिया जाता है। इसलिये मेरा माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध है कि वह इस विभाग के कर्मचारियों के वेतन को बढ़ायें और उनको स्थायी करें। इस विभाग के कर्मचारियों को ६, ६ मास तक वेतन नहीं मिल पाता है। जो इनकी वर्कशाप है उनमें वह काम नहीं करते। उनसे बाहर काम कराया जाता है। मुझे आगरा की वर्कशाप का पता है। वहां पर वर्कशाप की मशीनों में चिड़ियों ने घोंसले बना रखे हैं। चूंकि उनमें काम नहीं लिया जाता है इस वजह से वे बेकार पड़ी हैं। जो काम उनसे लिया जाता है वह बाहर लिया जाता है और अधिक रेट पर लिया जाता है क्योंकि वहां से कमीशन प्राप्त होता है। इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि जो अपनी वर्कशाप हैं उनमें ही काम होना चाहिये। जब तक वर्कशाप के कर्मचारी यहां नहीं आते वह इस काम को नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं मंत्री जी इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बालोजी अग्रवाल]

दूसरी बात यह कहना है कि बिल्डिंग के सम्बन्ध में बजट में अनुदान रख दिया जाता है, लेकिन कभी-कभी डिजाइन की बात पर मतभेद हो जाता है । साइट नहीं मिलती है और दूसरी समस्या पैदा हो जाती हैं । वह बिल्डिंग नहीं बन पाती है । वह रुपया लैप्स हो जाता है । मेरा सुझाव है कि किसी भी अनुदान को रखने से पहले उसके डिजाइन और स्थान की समस्या को पूरा कर लेना चाहिये जिससे रुपया लैप्स न हो । एक दूसरी बात यह है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मार्च के महीने के बाद जून में जाकर ग्रान्ट पहुंचती है कि अमुक काम आवश्यक है । उसके बाद मद के अनुसार काम होता है । यह ऐसा काम है कि इसमें ३, ४ महीने लग जाते हैं और अक्तूबर नवम्बर में जा कर कार्यों का तखमीना पूरा होता है कि यह यह काम आप के होने हैं । फिर रुपया लैप्स न हो इस लिये उस कार्य को ३१ मार्च के पहले पहले पूरा करने की कोशिश की जाती है और उसमें काम भी खराब होता है । जल्दी की जाती है इस डर से कि कहीं रुपया लैप्स न हो जाय । इस के लिये माननीय वित्त मंत्री और निर्माण विभाग के मंत्री जी को बैठ कर इस बात पर विचार करना चाहिये कि किस प्रकार यह भय निकल सकता है कि यह रुपया लैप्स न हो जाय और इस के लिये जो उपाय हों वे किये जाने चाहियें ।

जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है, उस के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने कहा है । मैं यह समझता हूं कि भ्रष्टाचार है, यह बात सब लोग मानते हैं । अब भ्रष्टाचार या तो भय से दूर हो सकता है या स्वयं जो उच्च अधिकारी हैं उनमें स्वयं इतनी नैतिकता आये कि वे स्वयं विचार करें कि हम को किसी भी प्रकार इस निर्माण विभाग में अनैतिकता या भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देना चाहिये और मैं समझता हूं कि अगर थोड़ा बहुत भय भी मंत्री महोदय की ओर से पैदा किया जा सके तो वह भी इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने में बहुत सहायक हो सकता है ऐसा मेरा विचार है।

इस के पश्चात् माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक टेम्पोरेरी कर्मचारियों की बात है, बेलदारों, गैंगमैन और मेट का सवाल है, उनके साथ ही बहुत से ओवरसियर और हमारे इंजीनियर्स भी अभी तक बहुत से ऐसे हैं कि जो विभाग में टेम्पोरेरी बने हुये हैं । तो मैं अनुरोध करता हूं माननीय मंत्री जी से कि इस विभाग के उन तमाम कर्मचरियों को स्थायी किया जाना चाहिये और इन शब्दों के साथ मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने बहस में भाग लिया है ।

श्री गिरधारीलाल--

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्यों के विचारों को सुन कर बड़ी खुशी हुई और साथ ही मैं समझता हूं कि जो उन्होंने सुझाव दिया है उस से मुझ को और विभाग को, विभाग के कर्मचारियों को काफी फायदा उठाने का मौका मिलेगा । इस में कई एक विशेष बातें कही गई हैं । पहली बात तो यह है कि जो आगरा, बाह का इलाका है वहां डकैती बहुत पड़ती है और इस बात में कोई दो रायें नहीं हैं कि उन इलाकों में जहां आवागमन के साधन नहीं हैं, पिछड़े हुये इलाके हैं; वहां यदि आवागमन के साधन हो जायं तो वहां की बहुत सी खराबियां दूर हो सकती हैं और इस तरफ सरकार का पूरा ध्यान है और इस के लिये सरकार जरूर कोई न कोई कदम उठायेगी ।

इसी तरीके से जमुना का पुल है । वह नेशनल हाई-वे पर है । उसके लिये हमारी और केन्द्रीय सरकार की आपस में बातचीत चल रही है और मैं समझता हूं कि जल्दी ही उस बारे में कुछ न कुछ रिजल्ट निकल आयेगा ।

इसके अलावा विभाग में जो कुछ मजदूर आदि हैं उन के विषय में भी कुछ बातें कही गयीं । मैंने जैसा पहले कहा था कि जहां तक वर्क चार्ज इस्टैब्लिशमेंट है, पहली बात तो यह है कि मिसाल के तौर पर मैं या हमारे कोई अन्य माननीय सदस्य अपना मकान बनाते हैं तो उस मकान को बनाने के लिये वह सलाहकार आर्किटेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, उसे इम्प्लाय भी करते हैं, मिस्त्रियों और मजदूरों को भी रखते हैं और जब उनका मकान बनवाने का काम खत्म हो जाता है तो उस के बाद वह उनको छुट्टी दे देते हैं । हमेशा के लिये उनको नहीं रखते । लेकिन सरकारी काम हमेशा चलता रहता है और इसलिये कुछ आदमियों को हमेशा के लिये रखना पड़ता है ।

लेकिन सब आदमी हमेशा के लिये नहीं रखे जा सकते। इसी सिद्धांत और पालिसी को लेकर यह जितने निर्माण के काम हैं सब किये जाते हैं। तो ऊपर से लेकर नीचे तक अभी, जैसा कि अग्रवाल साहब ने कहा, यहां पर सिर्फ मजदूर ही नहीं बल्कि ओवरसियर और इंजीनियर्स भी टेम्पोरेरी हैं और इसमें शक नहीं कि हमारे यहां काफी अरसे से बहुत से इंजीनियर्स और ओवरसियर्स टेम्पोरेरी तरीके से काम करते हैं, लेकिन उन सब के पीछे जो एक खास सिद्धांत है वह वही है। उन सब को स्थायी नहीं किया जा सकता। यह देखा गया है कि हमारे यहां १० करोड़ का काम हमेशा रहेगा। जो १० करोड़ के काम का वर्क लोड है, उसी के हिसाब से सीनियर आदमियों को मुस्तकिल कर दिया जाता है, बाकी सब टेम्पोरेरी रहते हैं। उसके बाद जब जगह खाली होती जाती उनको प्रोमोशन के जरिये वहां पहुंचा दिया जाता है। यह जरूर है कि आजकल की बदली हुई परिस्थिति में उनके ऊपर और भी विचार किया जा रहा है। जैसे १० करोड़ के अन्दाजे को बढ़ाया जाय, इस पर भी विचार किया जा रहा है और कुछ नतीजे पर हम पहुंचे हैं।

इसके अलावा मजदूरों के विषय में भी बहुत सी बातें कही गई हैं। हमारे बहुत से साथियों ने यहां पर सदन में ही नहीं बल्कि बाहर भी मुझ से इस बात का जिक्र किया है और मैंने उस पर काफी सोच विचार भी किया है। मैंने अपने सरकारी कर्मचारियों से भी इस विषय में परामर्श किया है। उसमें हमारी उनके साथ हमदर्दी है। परन्तु साथ ही साथ जो उनका आउटपुट है, वह भी ठीक होना चाहिये। पिछले वर्ष उसमें कुछ वृद्धि भी की गई है। पहले उनको जहां ३० रुपया मिलता था अब वहां पर ३५ से ४५ रुपया दिया जाता है। इस तरीके से जितनी लेबर यूनियन्स और दूसरी सोसाइटीज आदि हैं, उनको भी काम देने की बात सोची जा रही है। अब हम पहले से अधिक सहूलियतें देना चाहते हैं। अब हम आगे यह तय कर रहे हैं कि उसमें अरनेस्ट मनी नहीं लिया जाय। साथ ही ७,५०० के बजाय हम अब उनको १०,००० तक का काम देने को तैयार हैं। उनको चाहिये कि वह आगे बढ़कर अपना एक संगठन कायम करें और कुछ सोसाइटीज इस किस्म की बनाकर आगे कदम बढ़ायें। उसके द्वारा वह काम करें। हम समझते हैं कि उसमें उनको हमारा भी पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा। हर प्रकार की सहायता की जायेगी।

भ्रष्टाचार की बहुत सी बातें यहां पर कही गई हैं। यह भी कहा गया कि सरकार की तरफ से उस दिशा में कोई समुचित कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। उस बारे में आपसे मैं यह निवेदन कर दूं कि आज के युग में कोई चीज दुनिया से डेमोक्रेसी की छिपी नहीं रहती है। जो वाकयात हैं, उनकी बहुत हद तक मुझे जानकारी है और जितनी बातें मेरी नोटिस में लाई जाती हैं, उनको ध्यान से देखा जाता है। उन पर हर संभव कदम उठाये जाते हैं। टेक्निकल आडिट सेल की स्थापना भी इसी ख्याल से की गई है कि वह काम किस हद तक ठीक हुआ है, इसकी जांच करे। इसके लिये जिन सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, वह जाकर जगह जगह पर मुआइना करते हैं और काम गलत करने पर सजायें भी दी जाती हैं। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि काम की कोताही के सिलसिले में ढील करने पर कुछ लोगों को सजायें भी दी गई हैं।

कुछ आगरा के विषय में, वहां की २–३ बिल्डिंग्स के विषय में भी बातें कही गई हैं। एक सरजिकल ब्लाक था उसमें नीचे की मिट्टी पटी नहीं थी। बाद में उसको मरम्मत करा दिया गया था। वहां की इन्डस्ट्रीयल एस्टेट की बात कही गई, तो वह मैं बता दूं कि वह पी०डब्ल्यू०डी० ने नहीं बनाई थी। वह वहां की महापालिका ने बनाई थी। उसकी कोई इत्तिला नहीं है। कोतवाली की बिल्डिंग के विषय में भी कोई इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं आई है। अगर आ गई तो हम देख लेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से सुझाव सड़कों के विषय में दिये गये, कार्यों के विषय में दिये गये। उन सब को मैंने नोट कर लिया। इसमें कोई दो रायें नहीं

[श्री गिरधारीलाल]

हो सकती कि जितना काम का हमारे फैलाव होना चाहिये, जितना हमारे सूबे का एरिया है, ७ लाख एकड़, उसको देखते हुये सड़कों को इससे तिगुना और चौगुना होना चाहिये। परन्तु मुश्किल से वह १६ हजार मील होंगी। उनको धन की कमी के ही कारण नहीं बढ़ाया जा सका है। ज्यों-ज्यों धन एकत्रित होगा और मिलेगा उनको बढ़ाया जायेगा। इस दिशा में सक्रिय प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन फिर भी हमें इन बातों में मायूस होने की बात नहीं है। काम बढ़ता चला जा रहा है और वह किसी भी वजह से हो। जैसे कि तराई का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, गोरखपुर, बस्ती, खीरी, पीलीभीत, गोंडा ये सब जिले हैं, वहां जब ८ करोड़ रुपये का काम तीन चार सालों में खत्म होगा तो उस इलाके में चमक आयेगी।

बुन्देलखंड की बाबत कहा गया। इस इलाके की ओर इस विभाग का पूरा ध्यान था। वह एक कदम उठाने जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि जो प्लान बनाया गया उस पर कोई काम हो, सूबे के ऊपर जो संकट आया उसकी वजह से हमें अपने ध्यान से कुछ हटाना पड़ा। जो काम चल रहा था उसके अलावा हम कोई एडीशनल काम नहीं कर पाये।

यह कहा गया कि पुलों के अन्दर मिट्टी लगायी जाती है। मैं बतलाऊं कि जो बड़े-बड़े पुल हैं वह बड़ी-बड़ी फर्म्स को दिये जाते हैं और फर्म से तय रहता है कि कांक्रीट की मजबूती पर हम मंजूरी देते हैं। हमें सीमेंट से मतलब नहीं है कि १—१० का लगाते हैं या १—६ का। हमारे यहां मशीनें होती हैं, उनसे लोड डालकर देखते हैं कि उतना मजबूत है या नहीं। चाहे उन्होंने बराबर का भी लगाया हो और मजबूत नहीं है तो हम मंजूर नहीं करेंगे और अगर कम भी लगाया हो और उसमें मजबूती आ गयी है तो मंजूर कर लेते हैं। उसके लिये रिसर्च इंस्टीट्यूट है; उससे इन्हीं कामों में नहीं बल्कि और कामों में मदद मिलती है।

भ्रष्टाचार की बातें कही गयीं। मुझे खुशी है कि सामने बैठने वाले सदस्यों में खास तौर से बलभद्रप्रसाद जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये। उन्होंने बताया कि जो सुझाव हुआ करता है उसके तरीके दूसरे हैं। उन्होंने कहा था कि जो हम सुझाव दें उनको सुनना चाहिये, उसके ऊपर विचार करना चाहिये। तो इन बातों की तो कमी रही नहीं। जब कभी भी ऐसा मौका हुआ तो मुझे अपने माननीय सदस्यों से मिलने में खुशी होती है।

कुछ बिल्डिंगों के बारे में कहा गया कि कहीं गैरेज या रेजिडेंस बन गयीं, बजट में देख कर किसी ने ऐसा रखा। तो जो बिल्डिंग्स के काम पुराने चल रहे थे, वर्किंग प्रोग्रेस दिखानी थी तो उनको पूरा करना ही था, लेकिन कोई नये काम नहीं लिये जा रहे हैं जबकि इमरजेंसी हमारे सूबे पर है। अगर बहुत ही जरूरी कोई काम है तो दूसरी बात है। साधारण तौर पर हम नहीं ले रहे हैं।

तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां काम बहुत एफिश्यंटली, इकोनामिकली और पूरे सेट अप में जैसा कि आज की हालत में बैस्ट हो सकता है हमारे विभाग का काम चल रहा है। इसलिये मुझे उम्मीद है कि सदन इस अनुदान को पूरे तौर पर बगैर किसी कटौती के मंजूर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय—कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३—६४ के लिये अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत ७, २३,४९,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६––संचार साधनों का सुधार के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ३६––संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत १,२१,८०,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७––सार्वजनिक निर्माण-कार्य–अधिष्ठान, के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ३७––सार्वजनिक निर्माण कार्य-अधिष्ठान के अन्तर्गत १,३१,३९,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१––सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ५१––सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत १८,०२,८८,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६३

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)––

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६३ को सदन के समक्ष परःस्थापित करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय।

इस संबंध में मुझे सदन से कुछ विशेष कहना नहीं है। प्रायः सवा महीने से आय-व्ययक के ऊपर विचार हो रहा है। हमारे आदरणीय माननीय सदस्यों ने बड़ी गंभीरता के साथ और बड़े श्रम के साथ प्रत्येक विभाग के अनुदानों पर विचार किया तथा अपने सुझाव भी दिये। अब जितनी मांगें यहां स्वीकृत हुई हैं उनको संविधान के अनुसार एक साथ इस विधेयक के रूप में लाया गया है, जिस पर हमें विचार करना है। हमारे संविधान के अनुसार प्रत्येक पैसा जो भी खर्च होता है उस पर आदरणीय सदन की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, और जो कुछ साल ब साल आप खर्च करने की इजाजत देते हैं, वह हमारी प्रदेश की संचित निधि से खर्च किया जाता है। उसका तरीका यही होता है कि पहले हर विभाग के खर्चे की आप मंजूरी देते हैं और फिर बाद में यह इस बिल के रूप में आपके सामने पेश किया जाता है। इस रुपये के लिये आपकी स्वीकृति मिल जाय, इसके लिये यह आपके सामने विचार के लिये प्रस्तुत किया गया है।

जहां तक विभागों के अनुदानों का संबंध है, उन पर काफी विचार हो चुका है और प्रत्येक विभाग को आपकी स्वीकृति मिल गयी है और अब जाब्ते के लिये इस बिल पर आपकी स्वीकृति चाही जा रही है। इसलिये यह प्रार्थना है कि आप उस पर विचार करें।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया केवल औपचारिक रूप से सदन की स्वीकृति लेने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है अतः इस पर तर्क-वितर्क और वाद-विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। परन्तु जैसा कि बजट के प्रस्तुत करते समय और बीच बीच में भी यह उल्लेख किया गया कि यह बजट एक आपद्कालीन समय का बजट है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से अनेक मदों में रुपया बच जाता था, खर्च नहीं होता था, इस आपद्कालीन स्थिति में कोई विभाग ऐसा न रहे जिसके लिये यह कहना पड़े कि इसके लिये इतना रुपया दिया गया था लेकिन खर्च नहीं हुआ। इसके अलावा मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि मदों के अधीन जो रुपया दिया जाता है वह शीघ्र से शीघ्र विभागों को खर्च करने के लिये भेज दिया जाय जिससे कामों के कार्यान्वियन में देर न हो।

जैसा कि आपद्कालीन समय है, उसके बारे में एक विचित्र सा-सुझाव और देना चाहता हूं लेकिन यह चीज पिछली लड़ाई के जमाने में इंगलैंड में भी की गयी थी। जितने भी निर्माण के कार्य होते हैं उनकी ठीक से देखरेख के लिये तथा जो पिछले दिनों में कार्य हुये हैं उनकी देख रेख के लिये एक सतर्कता समिति की स्थापना की जाय जो यह देखे कि जो कार्य होते हैं वे ठीक ढंग से और समय पर होते हैं या नहीं। एक बात और है। सरकार की स्वर्णनीति के कारण बहुत से स्वर्णकार बेकार हो गये हैं। उनकी अनेक प्रकार से सहायता करने की आवश्कता है। वे सरकार के अपने कार्य से ही बेकार हुये हैं, इसलिये उस ओर दुर्लक्ष्य न होने पाये। उनको किसी प्रकार से भी काम दिलाकर, रुपये की मदद देकर और और प्रकार से व्यवस्था करके मंत्री जी को उनकी सहायता करनी चाहिये। और अन्त में जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अभी अनेक प्रकार के टैक्स हमारे सेन्टर ने लगाये हैं और उसका कुछ अंश हम पर भी पड़ने वाला है। सरकार ने घाटे का बजट दिखाया है। हो सकता है कि इस पर टैक्स मांगने की बात फिर से हो जाय। मंत्री जी देखेंगे, जैसा कि पिछले बार हमेशा हुआ है, कि घाटे का बजट सरप्लस होता आया है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको देखते हुए उचित तो यही है कि वे किसी प्रकार का नया कर न लगावें क्योंकि वैसे ही करों के बोझ से जनता परेशान है। कम से कम किसान और गरीब जनता पर तो किसी भी प्रकार का कर लगना ही नहीं चाहिये । यह मेरा निवेदन है । बस इतनी ही प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी अभी हाल में दिल्ली गये थे और हमारे प्रदेश की वित्तीय स्थिति के ऊपर उन्होंने केन्द्रीय शासकों के साथ गंभीर विचार-विनिमय किया । उम्मीद थी कि वे उस विषय पर कुछ न कुछ रोशनी डालेंगे कि उन्होंने क्या बातें कीं और क्या उसका परिणाम हुआ । यह बात कहां तक सही है कि हमारे प्रदेश की सरकार इस स्थिति में नहीं है कि अब वह ज्यादा उधार ले सके, चाहे जनता से या केन्द्रीय सरकार से अथवा जनता पर अधिक टैक्स ही लगा सके । न वह इस हालत में ही है कि अब ज्यादा मितव्ययिता भी कर सके । हमें यह विश्वास था कि कुछ इस पर रोशनी पड़ेगी लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत संक्षेप में अपनी बात कह दी और उधर कोई रोशनी नहीं दी । यह बजट, जिस पर हमने करीब १ माह तक विचार किया है, राष्ट्र के जीवन में बहुत बड़े संकट का बजट रहा है। हमारे लिये इतना बड़ा संकट पूरे इतिहास में कभी नहीं आया था । हमारे एक बलवान पड़ोसी ने ऊंची चोटियां पारकर कभी सीधे प्रहार हम पर नहीं किया था । इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी देश के ऊपर हमले हुए तब देश के पश्चिमोत्तर कोने से ही हुए थे । ऐसी इमरजेंसी की हालत में जिस तैयारी की ज़रूरत है उसका प्रदेशीय आधार पर प्रतिबिम्ब इस बजट में मिलना चाहिये था ।

मान्यवर, पैसे के अभाव की बहुत चर्चा है । लेकिन पैसे के अभाव को दूर करने के लिये वह प्रयास नहीं किया गया जिसकी अपेक्षा हमें इस मौके पर थी । इमरजेंसी पावर का पूरा इस्तेमाल पैसे के एकत्रित करने में किया जा सकता था । मान्यवर, मितव्ययिता के जो उपाय निकाले गये वह आशा के अनुरूप बहुत ही कम हुआ । जो सरकार का बकाया है पूंजीपतियों के ऊपर कानपुर में या दूसरे उद्योगपतियों के ऊपर, उसकी वसूली में जिस सख्ती की उपेक्षा थी, जिसकी चर्चा वित्त मंत्री के बजट भाषण में भी है, वह सख्ती हमें दिखाई नहीं दी और सरकार ने कोई आश्वासन भी नहीं दिया कि सख्ती की जायगी । सरकार धनियों से आशा करती है कि वह उदार हृदयता से देंगे लेकिन उतनी ही उदार हृदयता से देंगे जितना जनता ने दिया है, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट संकेत नहीं है । तो एक ही बात घूम फिर हमारे सामने रह जाती है कि जनता पर आने वाले दिनों में बहुत गहरा भार पड़ने वाला है। हमारे देश की जनता पर जितना बड़ा धक्का चीन के आक्रमण से लगा है, और पढ़े लिखे लोगों ने भी इस बात को तसलीम किया है कि हमारे देश पर जबर्दस्त टैक्सों का बोझ आया है । भारत सरकार द्वारा लगाये गये टैक्सों का बोझ आया है । भारत सरकार द्वारा लगाये गये टैक्सों का हिस्सा हमारे सूबे को भी देना पड़ेगा । तब क्या हमारी राज्य सरकार भी टैक्सों का बोझ जनता के ऊपर लादने जा रही है इस बजट के बाद भी यह सवाल जनता के सामने है जिसका कोई स्पष्ट उत्तर 'नहीं' के रूप में नहीं मिला है । जाहिर है, वित्त मंत्री जी ने हां भी नहीं कहा है लेकिन जनता के हृदय में जो संदेह पैदा हुआ वह बाकी रह जाता है । पिछली बार जब किसानों पर टैक्स बढ़ाया गया था तो हमारे दल ने उसका समर्थन किया था। हमने इस बात का अहद किया है कि इमरजेन्सी के समय में हमारी पार्टी भारत सरकार की राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन करेगी क्योंकि हम ऐसा करना उचित समझते हैं और यहां तक कि अगर उनका प्रतिपादन हमारी सरकार भी छोड़ दे तब भी हम खड़े रहेंगे और उन के लिये लड़ेंगे । परन्तु जब हमने किसान पर टैक्स बढ़ाने की बात का समर्थन किया था तो हमने यह अपेक्षा और आशा सरकार से की थी, और आज भी करते हैं, कि जब किसान और मजदूर अपना अपेक्षित अंश देगा तो पैसे वाले लोगों से भी उसी अनुपात में वसूली की जाय । लेकिन अभी तक उस प्रकार की कोई चीज दिखाई नहीं दी, सरकार की बुनियादी नीतियों में अभी तक कोई परिवर्तन

[श्री झारखण्डेराय]

उस दिशा में नहीं दिखाई दिया जिस बुनियादी परिवर्तन की सरकारी नीति में हम अपेक्षा करते थे। सरकार का वही पुराना सोचने का तरीका है, उसका वही पुराना ढांचा है और उसके वही पुराने यत्न हैं और अगर इसी तरह से उसी पुराने ढर्रे पर उसकी तमाम चीजें चलेंगी तो इमर्जेन्सी के जमाने में हम दुश्मन का मुकाबला न कर सकेंगे। हम सरकार से आशा करते हैं कि वह अपनी सारी बकाया पूंजीपतियों से सख्ती के साथ वसूल करें और हम वह दिन देखना चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी या वित्त मंत्री जी इसी सदन में एलान करें कि हमारी जितनी बकाया थी वह करीब-करीब सब वसूल हो गई और केवल लाख, दो लाख बाकी रह गई है जो या तो वसूल नहीं हो सकती या वह देने वाले दिवालिया हो गये हैं। अगर वह ऐसा करेंगे तो उसमें हमें और जनता को उत्साह मिलेगा, वह दिन हम जल्द देखना चाहते हैं हमने सरकार की नीतियों का जैसे समर्थन किया है वह आगे भी करते रहेंगे।

साथ ही आवश्यकता पड़ने पर यदि धनी लोगों की संपत्ति और उद्योग जब्त न किये जांय तो कम से कम आज जनता उनसे इतनी अपेक्षा तो करती ही है कि जिस प्रकार आज किसान मजदूर अपनी कमाई का अंश और योगदान दे रहा है उसी अनुपात में वह भी इस संकट काल में अपना योग दें। यह शिकायत तो आज माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मोरार जी देसाई को भी है कि धनीमानी पूंजीपतियों ने उस अनुपात में अभी योग नहीं दिया है जितना कि किसान मजदूर दे रहा है। हम तो उस दिन की अपेक्षा करते हैं कि वह दिन आये और मुख्य मंत्री जी घोषणा करें कि हमारे पूंजीपति भी उसी अनुपात में योग दे रहे हैं।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहूंगा कि मंत्रिमंडल के खर्चे में भी कमी लाने के हेतु कठोर कदम उठाये जायं, जिसकी कि अपेक्षा हमने बार-बार इस सरकार से की है। इसी मंत्रिमंडल में चौधरी चरणसिंह जी हैं जिनका विश्वास था कि इस सरकार के व्यय मे १५ से २० करोड़ तक की सालाना बचत आसानी से की जा सकती है। माननीय नवलकिशोर जी जो पहले प्राक्कलन समिति के चेयरमैन रहे हैं और आज इस मंत्रिमंडल में हैं वह भी कहा करते थे कि सरकार के व्यय मे ८--९ करोड़ की बचत हो सकती है। इस तरह से जनता का बोझ हलका होगा और वह एक आदर्श उसके सामने उपस्थित करेंगे। यदि धनी नहीं देंगे और हम स्वयं आदर्श उपस्थित नहीं करेंगे, देश का पूंजीपति वर्ग यदि चोर की तरह सरकार की रकम को मारे बैठा रहेगा और उससे सरकार उचित योग न ले सकेगी और उसकी वसूली के नये तरीके नहीं निकालेगी और इस नीति को नहीं अपनायेगी कि गरीब पर कर भार कम और अमीर पर कर भार अधिक, तो जनता में जो आज विश्वास और आदर पैदा हुआ है वह बिखर जायगा और वह एक देश के लिये खतरनाक चीज होगी। मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि वह अलामत दिखाई देने लगी है, जनता का उत्साह बिखर रहा है, अधिकारियों का उत्साह बिखर रहा है, विधायकों का उत्साह बिखर रहा है, उत्साह कम हो रहा है, नौजवानों का उत्साह जो प्रारम्भ में दिखाई देता था वह अब नहीं रह गया है और उसकी जगह आज विद्यार्थियों में हुडदंगे और गुंडेबाजी दिखलाई देती है। यह सब क्या है? जो शक्ति और भावना उनमें पैदा हुई थी वह अब कोढ़ की तरह शरीर से निकलने का रास्ता ढूंढ रही है, यह एक खतरनाक परिस्थिति है। भारत का और राष्ट्रों का इतिहास साक्षी रहा है कि जब जब एक स्टेज पर पहुंचने के बाद जन शक्ति को रोक लगी है और उसको दिशा नहीं मिली तो बुरी स्थिति पदा हुई है। जो इमर्जेन्सी पैदा हुई थी वह अपना रास्ता ग्रहण करेगी और जो शक्ति पैदा हुई है, जो संगठन पैदा हुआ है वह बिखर जायगा और एक मायूसी पैदा होगी। और इस बात को माननीय केशवदेव मालवीय जो भारत सरकार के मंत्री हैं उनसे विदेश के एक बड़े समाजवादी नेता ने पूछा कि आपके देश में कौन सी मुख्य समस्या है, जिसका निराकरण करना है। उन्होंने कहा कि विकास की समस्या है, देश की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करना है। उसने उत्तर दिया नहीं, आपके यहां राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी समस्या है। तो ऐसे मौके पर जनता का मनोबल गिरे, जनता की निराशा बढ़े और जनता यह सोचे कि सरकार के तौर तरीके पहले जो थे अब भी वही

है, इमजन्सी का कोई असर नहीं पड़ा, न सरकार की नौकरशाही पर पड़ा, तो इसका बहुत बड़ा धक्का लगेगा और उसका हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लिहाजा वह मजबूत कदम उठाये जायं जिनकी चर्चा मैंने की है। माननीय वित्त मंत्री जी एक प्रगतिशील विचार के व्यक्ति हैं, समाजवादी विचार के भी हैं, वह अपने वित्त मंत्रित्व काल में उन कदमों को मजबूती के साथ उठायें जिनकी अपेक्षा सारा प्रदेश कर रहा है। इमरजेंसी पीरियड में इमरजेंट कदम उठायें गरीबों की रक्षा के लिये। मैं आशा करता हूं कि वह उन संकेतों को भी देंगे जो दिल्ली से उनको मिले हैं ताकि हमको और सूबे की जनता को उनको जान कर बड़ा संतोष हो सके।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, कुछ विशेष कहना तो आवश्यक प्रतीत नहीं होता। केवल बजट पर एक विचार महायज्ञ करीब करीब सवा महीने से चल रहा है और उसकी पूर्ण आहुति हुई है और जो विचार झारखन्डेराय तथा जनसंघ के भाइयों ने दिये हैं मैं समझता हूं कि वे मुनासिब सुझाव ही हैं। उनमें कोई दो राय नहीं हैं।

अभी कहा गया कि इधर से जो पैसा लिया जा रहा है वह खर्च होना चाहिये; ऐसा न हो कि पैसे की मंजूरी तो ले लें और आप उस पैसे को खर्च न कर सकें और जिस काम के लिये पैसा दिया जाय वह काम अधूरा रह जाय और आज की स्थिति में जब कि इस देश में एक विशेष परिस्थिति ह अगर काम अधूरा रह जायगा तो उससे हानि होगी। उनकी यह राय मुनासिब है। जब सदन ने इतनी बड़ी रकम कृपा करके मंजूर की ह और इसलिये मंजूर की है कि वह भिन्न विभागों के भिन्न कार्यों में खर्च की जाय तो इस बात की चेष्टा वित्त विभाग और विभाग भी करेंगे कि जिस कार्य के लिये पैसा स्वीकृत हुआ है वह पूरा हो।

दूसरी बात स्वर्णकारों के संबंध में कही। सोने के नियंत्रण की नीति भारत सरकार की ओर से संचालित है। उस पर बड़ा वाद विवाद हुआ है और कुछ लोग उसके विपक्ष में भी हैं। कुछ यह समझते हैं उससे लाभ हुआ है। जिस विचार से सोने की नीति चलाई गयी वह छिपी हुई नहीं है, सामने आ चुकी है। सुनारों की समस्या की ओर सरकार का ध्यान है कि १४ केरट सोने के आभूषण सुनार बना सकें। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि सुनार लोग कहते थे कि वे नहीं बना सकते। बनाना उनको नहीं आता। सोने के आभूषण कम बनते हैं लेकिन चांदी, पीतल, गिलट और तांबे के आभूषण देहातों में बहुत बनते हैं और वहां पहने भी जाते हैं। कोई वजह नहीं है कि १४ कैरट सोने के आभूषण सुनार न बना सकें। अखबारों में निकला भी है, कुछ दिन तक रोके रखा, कि अब बनाना शुरू कर दिया है। बहरहाल, कोई भी वर्ग हमारे प्रदेश का बेकार न रहे इसकी तरफ तो ध्यान रहना ही चाहिये और मैं यह कह सकता हूं कि प्रदेश और केन्द्र की सरकारों का ध्यान उनकी तरफ है कि मजदूर पेशा कारीगर लोग हैं और छोटी-छोटी दुकानों में अपनी रोटी कमाते हैं। तो उनके लिये व्यवस्था होनी चाहिये और मैं समझता हूं कि थोड़े दिनों में यह समस्या एसी नहीं रह जायगी।

हमारे झारखन्डेराय जी ने जो बातें कहीं उनसे भी मैं बहुत कुछ सहमत हूं इस माने में कि उनका कहना यह है कि जो एकता स्थापित हुई है वह विखंडित नहीं होनी चाहिये। जो जोश लोगों में पैदा हुआ वह मरना नहीं चाहिये और जो रुपया बकाया है, खास कर बड़े लोगों क पास और छोटों के पास भी, वह सख्ती से वसूल होना चाहिये। टैक्स लगाया जाय तो ऐसे लगाया जाय कि जो धनी लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा पड़े और जो देने लायक नहीं हैं उनके ऊपर कम भार पड़े। ये सब ऐसी उसूली बातें हैं जिनमें मैं समझता हूं कि किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं। और उनका ख्याल यह है कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। अब तक अगर उसने ध्यान दिया है तो कम से कम उन्हें प्रत्यक्ष दिखायी नहीं दिया। मैं समझता हूं कि यह भी एक ऐसी राय है कि जिसमें कोई दो मत नहीं हो सकते।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

और दिल्ली की बात उन्होंने पूछी कि वहां क्या बातचीत हुई। तो वह बातचीत तो बहुत लम्बी चौड़ी हुई। मुझे वहां के वित्त मंत्री जी से बात करने का मौका मिला और जो अपने साथी पार्लियामेन्ट में हैं उत्तर प्रदेश के उनसे भी और हमारे प्रदेश की जो समस्या है उसके विषय में बातचीत करने का अवसर मिला है। समस्या तो हमारे यहां की गरीबी और पैसे की कमी की है। यह सही है कि उत्तर प्रदेश में खेती ही मुख्यजीविका है और खेतिहर जो प्रदेश होता है वह गरीब होता है। और हमारे प्रदेश में विशेष बात यह है कि खेतिहर की आबादी गांवों पर लदी हुई बहुत लम्बी चौड़ी है, करीब ७८, ७९ फीसदी तक हो जाती है और नतीजा यह है कि हमारी होल्डिंग्स छोटी छोटी हो जाती हैं। वही हमारा उपभोक्ता है और वही हमारा उत्पादक है। परिणाम यह होता है कि उत्पादन तो उनका कम होता है और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत विशेष रूप से बढ़ती चली जाती है और साथ ही साथ इतना बड़ा बोझ लदा हुआ है कि सब के लिये काम भी नहीं और अगर काम न हो तो आमदनी भी नहीं हो सकेगी। गरीबी दूर करने का तरीका तो यही है कि सब के पास कुछ न कुछ काम हो। यह मुख्य समस्या यहां की है, सब लोग जानते हैं। इसमें कोई बड़े भारी शास्त्रार्थ की ज़रूरत नहीं है। हम सार्वजनिक कार्यकर्त्ता रोज अपनी आंखों से देखते हैं, समझते हैं। इसका इलाज एक ही हो सकता है और वह यह कि उद्योगीकरण हो, प्रदेश में बड़े-बड़े उद्योग लगें और इसके अलावा छोटे उद्योग भी फैलें क्योंकि यह मानी हुई बात है कि केवल बड़े उद्योगों से यह बोझा नहीं हट सकता। कुछ काम मिल जाता है, यह सही है और बहुत सी चीजों को पैदा करने के लिये नये प्रकार का उत्पादन भी आरम्भ हो जाता है, रा-मैटीरियल का, लेकिन फिर भी जहां साढ़ चार, पांच करोड़ की आबादी देहातों में बसी हुई हो, जिसमें आधे आदमी ऐसे हों जिनके लिये कुछ काम न हो और बाकी में भी २५ फीसदी ऐसे हों जो आधा ही काम पाते हों, ऐसे प्रदेश के लिये छोटे उद्योगों की बड़ी आवश्यकता होती है और जब तक हमारे प्रदेश का उद्योगीकरण नहीं होता तब तक हम इस समस्या का हल नहीं कर सकते। यह प्रश्न है मुख्य और इस विषय में वहां जाकर हमने बात की। अपने पार्लियामेन्ट के मेम्बरों से कहा कि आप यहां पर हैं, हमें कुछ इंडस्ट्रीज मिलनी चाहिये। पिछले १० वर्षों में हमारे प्रदेश में पूंजी की लागत बहुत कम लगी है। शायद ३३ प्रतिशत और तीसरे प्लान को मिलाकर ५४ प्रतिशत पर पहुंचती है, जो हमारा इंवेस्टमेन्ट होगा। दूसरे प्रदेशों में ज्यादा हुआ है और आल इंडिया के बेसिस पर तो कुल ३३ प्रतिशत ही है। यह मानी हुई बात है कि अगर हमारा इनवेस्टमेंट नहीं होगा तो पर कैपिटा इनकम भी नहीं बढ़ सकती है। इसके लिये आवश्यक है कि हमें उद्योग मिले। एक तो हमने यह निवेदन किया था और केन्द्र के वित्त मंत्री जी से भी बातचीत की थी।

दूसरे लोगों का यह खयाल है कि हमारे यहां टैक्सेशन बहुत कम है। टैक्सेशन की इंसीडेंस हमारे यहां ८ प्रतिशत है जबकि अन्य सूबों में किसी में इतना कम नहीं है। किसी में १२, किसी में १४ और किसी में १६ प्रतिशत है। इसलिये यह बात थी कि इनवेस्टमेन्ट कोई दूसरा प्रदेश या सेंट्रल गवर्नमेन्ट तो करेगी नहीं बल्कि आपको ही करना होगा और आपके टैक्सेशन में बढ़ोत्तरी करने की गुंजाइश है। हमारा केस तो यह था कि पर कैपिटा इनकम हमारे यहां नहीं बढ़ी है, जिन प्रदेशों में बढ़ी है वहां बढ़ना चाहिये। अगर इनकम नहीं बढ़े और टैक्सेज बढ़ाये जायं तो हरैसमेंट होगा। यह बातचीत थी और इंडस्ट्रीज के लिये हमें अधिक से अधिक पावर की जरूरत है, कम्यूनिकेशन की जरूरत है, रेलवे की जरूरत है, इन सब बातों के लिये एक प्लान बनाने की कोशिश की जायगी। पार्लियामेन्ट के सदस्यों से भी बातचीत हुई कि आप दबाव डालकर हमें इंडस्ट्रीज दिलवाइये। जो बातें आप कह रहे हैं वे हमारे सामने हैं और चेष्टा हो रही है कि किस तरह से हमारी गरीबी दूर हो।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—
कोई इंडस्ट्री मिली भी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अब बात यह है कि लौ लगी रहे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। कोई मुनासिब बात हो तो उसे बार-बार कहने से हमें फायदा होता है, यह सिद्धान्त है। आप कम्यूनिस्ट हैं, आप मानते नहीं है लेकिन मैं मानता हूं। तो हमें बार बार कहते रहना चाहिये और इंडस्ट्रीज के लिये कोशिश भी हो रही है। प्लान में काफी रकम रखी गई है कि बिजली का उत्पादन हो और जहां आती है तो फैक्टरीज अपने आप आती हैं। आपके यहां काढेज इंडस्ट्री पावर से लगनी चाहिये। पंजाब में तो यह बहुत डेवलप कर चुकी हैं और उसके लिये काफी पैसा रखा है।

अब वसूली की बात जहां तक है उसके लिये मैं कह सकता हूं कि कोशिश हो रही है और मुझे उम्मीद है कि पिछले साल से काफी अच्छी वसूली होगी जो बकाया है। बजट के पेश करते समय भी मैंने निवेदन किया था और आज फिर निवेदन करता हूं कि हमारी वसूली में किसानों से हमको शिकायत नहीं है। हमारे प्रदेश के किसानों के गरीब होते हुए भी उनकी वसूली दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले में ज्यादा होती है ९८, ९५, ९६, ९७ परसेंट तक वह दे देते हैं। बड़े लोगों के पास हमारे डयूज बाकी है इसमें सन्देह नहीं। सेल्स टैक्स का भी बाकी है, शुगर में भी बाकी है और उसके लिये कोशिश हो रही है। बोर्ड आफ रेवेन्यू को जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, कह दिया गया है कि वह उनसे रेवेन्यू के तौर पर वसूली करें और कोई वजह नहीं है कि लोग न दे दें। मगर फिर भी अगर नहीं देंगे तो जो आपके बनाये हुए विधान, संविधान, विधि और नियम हैं उनके अनुसार जिस प्रकार वसूली की जा सकती है, उसको करने की चेष्टा करें ताकि हमारी वसूली हो जाय। और इस समय तो वसूली और भी जरूरी है, क्योंकि बजट हमारा डेफिसिट है घाटे का है। अवश्य ही घाटा बहुत थोडा है ज्यादा नहीं है।

इस विनियोग विधेयक में आप देखेंगे तो इसमें तो ३ अरब ७५ लाख रुपये की स्वीकृत आपसे मांगी गई है लेकिन उसमें तो ग्रास और नेट दोनों ही हैं और सब जोड़कर वह ३ अरब हो रहा है। वैसे आपका बजट २०६ करोड़ का है। लेकिन उसमें भी डेफिसिट है पांच करोड़ का। और जैसा आपने कहा कि यह संकटकाल है उसमें हमारा खर्चा बढ़ सकता है। आजकल रोज हमको चेतावनी मिल रही है बराबर अखबारों से। हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी कहा और लोगों ने भी कहा है कि चीन का बड़ा कांसेंट्रेशन हो रहा है और तिब्बत के बार्डर पर हो रहा है। प्रधान मंत्री जी ने तो बार बार कहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस वक्त अटैक हो जाय, उनका रुख भी कुछ अच्छा नहीं है। तो संकटकाल की स्थिति गंभीर बनी हुई है और किसी समय भी वह अधिक गंभीर बन सकती है। तो उस इमर्जेन्सी को चलाते रहना है और उसके द्वारा यह जरुरी है कि हम अपने प्रदेश में पूरी तरह से सतर्क रहें क्योंकि हमारा प्रदेश करीब करीब सीमा का प्रदेश है। और करीब करीब क्या शुद्ध सीमा का प्रदेश है, जैसे आसाम है वैसे ही उत्तर प्रदेश भी सीमा का प्रदेश हो गया है तो हमको तो विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है और जब सामने खतरा प्रत्यक्ष दीख रहा हो तो उससे आंख मूदने वाला तो मूर्ख ही होगा। अब उस सतर्कता में हम और कर ही क्या सकते हैं? हम फौज तो खड़ी नहीं कर सकते, कोई हवाई जहाज का बेड़ा लाकर तो खड़ा कर नहीं सकते, यह हमारा काम नहीं है। जहां तक मिलिटरी को तैयारी, मनोवारिंग और अरेंजमेन्ट इत्यादि की बात है, वह हमारी केन्द्र की सरकार का काम है। लेकिन हमको जिसको हम डिफेंस पोटेंशियल कहते हैं, सुरक्षा संबंधी कार्य की शक्ति को बढ़ाना है, यह कार्य हमारे जिम्मे है। यह केन्द्रीय सरकार नहीं कर सकती। हमारा उत्पादन भी बढ़े, हमारे उत्पादन के साधन में उन्नत हो, हमारे आवागमन के मार्ग भी उन्नत हों, हमारी योजना भी पूरी हो, हमारे उद्योग भी बढ़ें यह सारी चीजें हों और हमारा मनोबल भी बना रहे, हमारी एकता भी बनी रहे, नैतिक दृष्टि, नैतिक आधार और नैतिक बल हमारे प्रदेश का बना रहे, हम जागरुक रहें, जागते रहें, यह सब चीजें प्रदेश को ही करनी हैं और इसकी व्यवस्था इस बजट में आपने देखा है की गई है। साधन की कमी हमारे पास होगी क्योंकि हमें दोहरी पहिया चलानी है। केवल सुरक्षा का काम ही नहीं, सुरक्षा के काम और योजना का

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

काम दोनों बहुत कुछ मिला जुला है। योजना पूरी करें तो सुरक्षा को बल मिले और सुरक्षा का इन्तजाम किये रहें तो निर्भय रूप से प्रदेश अपनी उन्नति के मार्ग पर चलता रहे। यह दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए हैं इसलिये एक दोहरा खर्च हमको करना है।

अभी हमारा प्लान १२-१३ करोड़ रुपये का कम हो गया है। हमने इस बात को केन्द्र के वित्त मंत्री जी से कहा भी था कि आखिर दस करोड़ बारह करोड़ हमारा काट रहे हैं हमको अपने यहां टैक्सेशन बढ़ाना जरुरी होगा अगर प्लान पूरा करें। यहां टैक्स का भार मौजूद है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के भी टैक्स का भार आ गया है। तो हम किसको छोड़ें? अगर प्लान को पूरा करें और सुरक्षा सम्बन्धी काम भी करें तो जरूरी है कि भार बढ़े। कोशिश इस बात की करें कि प्लान कटे नहीं क्योंकि कटने से हम पीछे होते हैं। उसके लिये साधन एकत्रित करना होगा। साधन एकत्रित करने में हमारी जनता के ऊपर बोझ आयेगा। फिर हमको बोझा उठाना है। केवल उस बोझे को अमीर ही नहीं उठा सकते हैं। प्रदेश में अमीर हैं कितने? इस ७ करोड़ की आबादी में कितने अमीर हैं जिनकी आमदनी लाख दो लाख की आमदनी हो। इस प्रदेश में ७५, ८० प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं लेकिन वे गरीब बोझा उठा नहीं सकते। तो फिर कैसे गाड़ी चले? अवश्य इस बात को देखने की चेष्ठा की जायगी कि टैक्स का भार उस पर पड़े जिस पर पड़ने से उसको विशेष बोझ न मालूम हो। जिस पर बोझ नहीं पड़ना चाहिये उसको किस तरह से बचाया जाय? यह बड़ी भारी समस्या है।

आपने देखा होगा कि बजट में घाटा दिखाया गया लेकिन उसका संकेत नहीं किया गया कौन सा टैक्स लगायेंगे। कुछ इधर के और कुछ उधर के माननीय सदस्यों ने इसकी टीका की लेकिन उसका जानबूझ कर संकेत नहीं किया। इसलिये संकेत नहीं किया कि सारी बातें हमको सोचनी हैं कि टैक्स को लाना पड़ा तो कैसे और कहां से लायें। आज इन कामों को हमें पूरा करना है। योजना में हम किस तरह से कमी करें यह भी प्रश्न है किन्तु आज हम प्लान को छोड़ नहीं सकते हैं। न हम सुरक्षा के काम को छोड़ सकते हैं। सुरक्षा के काम को छोड़ने का मतलब है आत्महत्या करना। तो फिर हम किस प्रकार से करें? इन सब बातों पर विचार करके कोई कदम उठाया जा सकता है। उस तरफ हमारी दृष्टि है। हमारा ध्यान है। मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि जो हमको प्लान के निमित्त गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिलता है उसके बढ़ने की कोई सम्भावना नहीं है। उसमें कोई वृद्धि होने वाली नहीं है। यह एक तीसरा फैक्टर है। जितना पिछले साल दिया और जितना इस साल दिया तो उससे अधिक इस साल देने वाले नहीं हैं क्योंकि उन पर भी बड़ा भारी भार है सुरक्षा सम्बन्धी। तो उस कमी को पूरा करने के लिये यों ही हमारे ऊपर १४७ करोड़ का तीसरे प्लान का भार था उसमें करीब ४० करोड़ तो केपिटल साइड का था और बाकी दूसरी तरह का। अब अगर इसमें और कमी हो गई तो उसका प्रबन्ध कैसे हो? २५० करोड़ भारत सरकार देने वाली थी उसमें कुछ कम हुआ, तो फिर भार अधिक पड़ेगा इसके लिये हमारे प्रदेश की जनता को भी और मैं समझता हूं कि हमारे आदरणीय सदन के सदस्यों को भी तैयार रहना चाहिये। यह जरूर है कि सरकार का यह काम है कि वह पैसे को खर्च करे तो मुनासिब ढंग से खर्च करे, मैं इस बात से बिलकुल सहमत हूं। खर्च करने के यह माने नहीं हैं कि ३१ मार्च आ रहा है तो उड़ाओ। यह भी हमारा काम है कि प्रशासन सम्बन्धी व्यय को घटायें।

अभी श्री झारखंडेराय जी ने किसी का नाम लिया और चौधरी चरणसिंह और श्री नवलकिशोर जी का नाम लेकर कहा कि ७-८ करोड़ की कमी हो सकती है। मुझे नहीं मालूम, जहां तक मैं समझता हूं बड़ी कोशिश करने के बाद सवा करोड़ की खर्च में कमी सम्भव हो सकती है और प्रशासन सम्बन्धी खर्च में ३०-३५ लाख से अधिक नहीं हो सकती। इसके अलावा और

भी कुछ इधर काटा, उधर काटा है और यह ठीक है कि कमी की तरफ ध्यान जाना चाहिये और सख्ती के साथ जाना चाहिये। मैं यह समझता हूं कि यह एक निरंतर प्रक्रिया होना चाहिये परन्तु डेमोक्रेसी में विभागों के बढ़ने की एक प्रवृत्ति होती है। जब प्लान्स चलते हैं तो दिन ब दिन उसके विभाग भी बढ़ते चलते हैं। यह बड़ी सीधी सी बात है कि स्कूल खुलेंगे, कालेज और दवाखाने खुलेंगे, सड़कें बढ़ेंगी, नहर बढ़ेंगी। तो कौनसा ऐसा महकमा है कि जिसमें उनका खर्च नहीं बढ़ता चलेगा? और आदमियों की तादाद बढ़ती चलेगी? तो वेस्टेज कहां कहां है और लीकेज कहां कहां है, इसको रोकने की बात हो सकती है, लेकिन डिपार्टमेंट्स को बन्द करने की बात नहीं हो सकती। यह हो सकता है कि जहां फिजूलखर्ची हो रही हो या अननेसेसरी खर्च हो रहा हो उसे रोका जाय। "जस जस सुरसा बदन बढ़ावा" वाली बात जहां हो उसे हमें अवश्य रोकना चाहिये और उस पर निरन्तर हमारा ध्यान रहना चाहिये और यही कह सकता हूं कि अगर आप सब का सहयोग रहा तो उस ओर हमारी चेष्टा जारी रहेगी और उसे हम जरूर कर पायेंगे। क्योंकि टैक्स लगायें और जो पुराने बकाये हैं, सरकार का जो पावना है उसे वसूल करें और खर्च कम करें, यही तीन स्रोत हो सकते हैं उन सब कामों को करने के। टैक्स वाली बात बराबर चल रही है दो, तीन साल से और भी अगर कुछ सम्भव हुआ तो कुछ न कुछ आपके सामने आयेगा और अवश्य ही उससे परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन कुछ आयेगा तो वह प्रक्रिया जारी है। अब दो प्रक्रियायें और बाकी हैं जिन पर और ज्यादा जोर दिया जायगा। लेकिन केवल इससे काम चलने वाला नहीं है। हमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों का ध्यान रखना होगा, उनके अनुसार काम करना होगा। हमारे पास तीन रास्ते हैं, तीन स्रोत हैं और तीनों पर बराबर बराबर-प्रयास होना चाहिये। यह भी मानता हूं कि टैक्स वाला प्रयास हुआ है और इसी तरह से बाकी दोनों पर भी तेजी से प्रयास होना चाहिये। खर्चा कम हो शासन पर यह भी सब लोग चाहते हैं और इस बात पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने उन सब साथियों को जिन्होंने इस पूर्णाहुति में अपना हाथ डाला है और थोड़े बहुत जो सुझाव दिये हैं उन पर ध्यान दिया जायगा। यदि आज्ञा होगी, मान्यवर, तो फिर इसकी स्वीकृति के लिये मांग करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अब खंडों पर कोई अमेंडमेंट्स नहीं आये हैं, इसलिये मैं प्रश्न रखता हूं।

खंड २, ३ तथा अनुसूची

२--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो ३१ मार्च, १९६४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया दिया और उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९६३-६४ के लिए ३,७५,५२,११,१०० रु० का दिया जाना विनियोग काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग ३,७५,५२,११,१०० (तीन अरब, पचहत्तर करोड़, बावन लाख, ग्यारह हजार एक सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१	वृहत् जोत-कर .	१,४८,१००	१,०००	१,४९,१००
२	भू-राजस्व (मालगुजारी)	८,३२,९६,५००	९,८००	८,३३,०६,३००
३	राज्य आबकारी ..	३०,९३,६००	२,०००	३०,९५,६००
४	बिक्री-कर ..	५०,१५,८००	५,०००	५०,२०,८००
५	अन्य कर और शुल्क ..	१८,४५,१००	१,०००	१८,४६,१००
६	स्टाम्प ..	८,५६,४००	१,०००	८,५७,४००
७	निबन्धन (रजिस्ट्रेशन)	२०,३९,९००	२००	२०,४०,१००
८	राज्य विधान-मंडल .	४१,०७,८००	७१,१००	४१,७८,९००
९	सामान्य प्रशासन ..	२,१२,३३,१००	१४,३२,८००	२,२६,६५,९००
१०	आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन ..	९,७८,५४,९००	५,०००	९,७८,५९,९००
११	गांव सभाएं और पंचायतें	१,३५,२७,०००	१,०००	१,३५,२८,०००
१२	न्याय प्रशासन ..	१,६४,५५,८००	३७,५०,०००	२,०२,०५,८००
१३	कारागार (जेल) ..	१,८१,७८,५००	२,०००	१,८१,८०,५००
१४	पुलिस ..	१२,९१,३५,४००	१०,०००	१२,९१,४५,४००
१५	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन ..	६८,६१,५००	६२,०००	६९,२३,५००
१६	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप ..	१६,९३,७००	३००	१६,९४,०००
१७	शिक्षा ..	२७,९२,६१,१००	१,०००	२७,९२,६२,१००
१८	चिकित्सा ..	६,५१,१४,५००	३,०००	६,५१,१७,५००
१९	जन-स्वास्थ्य ..	५,६६,६२,३००	७००	५,६६,६३,०००
२०	कृषि-संबंधी विकास ..	६,३०,४०,९००	७२,२००	६,३१,१३,१००
२१	उपनिवेशन ..	४,५९,१००	१००	४,५९,२००
२२	पशुपालन तथा मत्स्य-पालन	२,९४,५०,४००	२,०००	२,९४,५२,४००
२३	सहकारिता ..	३,१२,५४,४००	२,०००	३,१२,५६,४००
२४	उद्योग ..	१०,८०,०८,२००	३,५००	१०,८०,११,७००
२५	नियोजन और एकीकरण (Planning and Co-ordination) ..	११,७२,२४,८००	५,०००	११,७२,२९,८००
२६	श्रम और नियोजन ..	२,७१,००,४००	३,०००	२,७१,०३,४००
२७	सूचना निदेशालय ..	५१,१२,४००	५००	५१,१२,९००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२८	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	३,०४,८९,६००	३००	३,०४,८९,९००
२९	समाज-कल्याण ..	४६,९१,५००	५००	४६,९२,०००
३०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	१३,७७,२२,३००	२,०००	१३,७७,२४,३००
३१	सिंचाई-अधिष्ठान ..	६,३८,२८,५००	४,०००	६,३८,३२,५००
३२	अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थाएं ..	७१,२८,५००	..	७१,२८,५००
३३	विद्युत योजनाएं (अधिष्ठान छोड़कर) ..	२,५६,६२,०००	..	२,५६,६२,०००
३४	विद्युत् योजनाएं—अधिष्ठान	४३,५६,४००	१,५००	४३,५७,९००
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्य-जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	७,२३,४९,९००	२,८१,५००	७,२६,३१,४००
३६	संचार-साधनों का सुधार	१,२१,८०,७००	..	१,२१,८०,७००
३७	सार्वजनिक निर्माण-कार्य—अधिष्ठान ..	१,३१,३९,८००	१००	१,३१,३९,९००
३८	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान (Grants-in-aid of Public Works) ..	१,०२,२९,४००	..	१,०२,२९,४००
३९	परिवहन ..	२०,०१,७०,९००	८५,०००	२०,०२,५५,९००
४०	दुर्भिक्ष सहायता ..	५८,०२,८००	७९,०१,०००	१,३७,०३,८००
४१	अधिवर्ष भत्ते (Superannuation allowances) और निवृत्ति वेतन (पेंशनें)	३,३२,४१,४००	४,१२,४००	३,३६,५३,८००
४२	राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते	२१,९२,०००	..	२१,९२,०००
४३	लेखन-सामग्री और मुद्रण (Stationery and Printing) ..	१,६२,८५,९००	१,०००	१,६२,८६,९००
४४	वन ..	४,२५,८०,१००	२,०००	४,२५,८२,१००
४५	प्रकीर्ण व्यय ..	४,४३,८९,७००	६,१००	४,४३,९५,८००
४६	राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय ..	७,०९,३२,१००	..	७,०९,३२,१००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	*ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज ..	..	१६,५१,४३,८००	१६,५१,४३,८००
	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..	..	५१,४३,६२,८००	५१,४३,६२,८००
४७	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत ..	१४,११,७१,७००	२,०००	१४,११,७३,७००
४८	औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत ..	४,२८,४०,९००	५,०००	४,२८,४५,९००
४९	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत ..	१९,०६,२४,२००	..	१९,०६,२४,२००
५०	विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत ..	४,९२,३८,१००	..	४,९२,३८,१००
५१	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों (Public Works) पर पूंजीगत लागत ..	१८,०२,८८,६००	१,००,०००	१८,०३,८८,६००
५२	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत ..	७,५२,५८,९००	१,३०,१००	७,५३,८९,०००
५४	निवृत्ति वेतनों (पेंशनों) की संराशि (Commuted value of pensions) ..	५,७६,०००	३०,०००	६,०६,०००
५५	राज्य व्यापार (State trading) की योजनाएं	११,८६,६०,०००	१००	११,८६,६०,१००
५६	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (Loans and Advances bearing interest) ..	२७,७२,२९,२००	..	२७,७२,२९,२००
	योग ..	३,०६,१२,९२,७००	६९,३९,१८,४००	३,७५,५२,११,१००

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*प्रभारित विनियोग

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६३

३१ मार्च, १९६४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिए ;

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९६४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, १९६३ कहलायगा। संक्षिप्त शीर्षनाम

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमलापति त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६३ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६३ को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर अब कुछ निवेदन नहीं हो सकता।

श्री लखपतराम शर्मा--

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि जब पूर्णाहुति हो चुकी है और हम लोग भी आहुत हो चुके हैं तो फिर यह सब कामसर्व सम्मति से हो रहा है। फिर इसमें 'हां' और 'नहीं' की क्या जरूरत है? उसका प्रश्न भी क्या है?

श्री उपाध्यक्ष--

कायदे की बात यही है।

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ११ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२७ मार्च, १९६३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२६ पर।)

तालिका

क्रम-संख्या	मद का नाम	स्वीकृत धन	व्यय	प्रगति
		रु०	रु०	
१	६०० एकड़ भूमि की जुताई	३३,०००.००	३०,३००.००	सम्पूर्ण ६०० एकड़ भूमि जुत गई।
२	भूमि की मेड़ बन्दी ..	९,०००.००	५,१६३.८३	यह कार्य भी पूरा हो गया है परन्तु कुछ बिलों का भुगतान बाकी है।
३	बैलों का क्रय ..	३०,०००.००	१७,३८०.४४	६३ जोड़ी बैल खरीदे जा चुके हैं और ३७ जोड़ी बैल खरीदने का प्रबन्ध किया जा रहा है।
४	कृषि यन्त्र का क्रय ..	५,०००.००	४,२८३.५१	१०० परिवारों के लिये आवश्यक कृषि यन्त्र खरीदे जा चुके हैं।
५	परिवारों का मासिक भत्ता	२४,०००.००	१३,७५६.९३	१०० परिवारों के पोषणार्थ ६ माह के लिये ४० रु० प्रति परिवार की दर से यह रुपया शासन ने स्वीकृत किया है। आवश्यकतानुसार १३,७५६ रु० परिवारों को दिया जा चुका है।
६	बैलों का मासिक भत्ता	९,०००.००	४,६९३.८९	यह धन १०० जोड़ी बैलों के पोषणार्थ ६ माह के लिये ९० रु० प्रति जोड़ी की दर से स्वीकृत हुआ है। इस मद पर आवश्यकतानुसार ४,६९३ रु० व्यय हुआ है।
७	बैल गाड़ियों का क्रय ..	६,०००.००	२,५८५.००	आवश्यकतानुसार ९ बैल-गाड़ियां अब तक खरीदी गई हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	मद का नाम	स्वीकृत धन	व्यय	प्रगति
८	अस्थाई झोपड़ियों का निर्माण ..	५,०००.००	१,४२७.७५	परिवारों के रहने के लिये अस्थाई झोपड़ियों के निर्माण में यह धन व्यय हुआ है।
९	विविध व्यय ..	३,०००.००	९९१.००	यह धन भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं पर व्यय किया गया है।
१०	कर्मचारियों पर व्यय ..	६,०००.००	६,०००.००	यह सम्पूर्ण धन कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्तों पर खर्च हुआ है।
११	१०० भवनों का निर्माण	१,२५,०००.००	..	धनराशि स्वीकृत होते ही यह सारा निर्माण कार्य सिंचाई एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया था तथा रुपया भी स्थानान्तरण कर दिया गया था। लगभग दो वर्षों तक प्रयास करने के बाद अन्त में उन्होंने इस कार्य को करने में असमर्थता दिखाई। फलस्वरूप पिछले वर्ष इस कार्य को विभाग द्वारा करने का प्रयत्न किया गया। चूंकि यह स्थान बहराइच शहर से लगभग ७० मील इन्टीरियर में है, और लगभग १८ मील पहले तक भारी गाड़ियों के लिये कोई रास्ता नहीं है, इसलिये आसानी से कोई ठेकेदार इस कार्य को नहीं लेना चाहता। इस वर्ष तीन बार टेंडर आमन्त्रित करने के बाद एक ठेकेदार को यह काम दिया गया है और आशा है कि वह अगले छः महीने में इस कार्य को समाप्त कर देगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	मद का नाम	स्वीकृत धन	व्यय	प्रगति
१२	सिंचाई-कूपों का निर्माण	४८,०००.००	..	कालोनी की भूमि की पूर्ण मेड़बन्दी हो जाने के बाद यह कार्य भवन-निर्माण कार्य के साथ प्रारम्भ किया जायगा।
१३	स्टाफ क्वार्टर एवं हरिजन कल्याण केन्द्र ..	२२,०००.००	..	
१४	दो पेय जल-कूप .	२,०००.००	२५०.००	..
१५	बैलों का मासिक भत्ता	९,०००.००	४,६९३.८९	..
१६	अस्थाई झोपड़ियों का प्रबन्ध।	५,०००.००	१,४२७.७५	..

विधान सभा प्रदेश पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३८ पर)

क्रम-संख्या	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र का नाम
१	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, ताड़ीखेत (अल्मोड़ा)
२	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, हल्द्वानी (नैनीताल)
३	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी-गढ़वाल
४	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, हरिद्वार (सहारनपुर)
५	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, बड़ौत, (मेरठ)
६	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, बुलन्दशहर
७	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, बिचपुरी (आगरा)
८	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, एटा
९	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, बकेवर (इटावा)
१०	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, मुरादाबाद
११	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, आसफपुर (बदायूं)
१२	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, सीतापुर
१३	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, सिंगारनगर, (लखनऊ)
१४	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, नरवल (कानपुर)
१५	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, कालपी (जालौन)
१६	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, बांदा
१७	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद
१८	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, पांडेपुर (वाराणसी)
१९	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, गाजीपुर
२०	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर
२१	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, दोहरीघाट (आजमगढ़)
२२	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, प्रतापगढ़
२३	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, आचार्य नरेन्द्रदेव नगर (फैजाबाद)
२४	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, गोंडा
२५	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, हरदोई

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३५३ पर)

विधान सभा की बैठक के चौथे मंगलवार के लिये

(श्री ऊदल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५ का उत्तर)

प्रश्न	उत्तर
१—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १६ दिसम्बर, १९६२ को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय धवन ने सुल्तानपुर जिले के प्रथम मुंसिफ के सम्बन्ध में एक फैसला देते हुए स्ट्रक्चर पास किया है कि मुंसिफ का आचरण न्याय की दृष्टि से भ्रष्ट रहा है क्योंकि मकान मालिक द्वारा किरायेदार को बेदखली के लिये दाखिल किये गये मुकदमों के दौरान में मुंसिफ साहब ने विवादग्रस्त मकान को बिना दोनों पक्ष को सूचना किये अपने नाम एलाट करा लिया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की?	माननीय जस्टिस धवन के दिनांक १७ दिसम्बर, १९६२ (न कि १६ दिसम्बर, १९६२ जैसा कि प्रश्न में दिया है) के फैसले के सम्बन्ध में सरकार ने हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। हाई कोर्ट की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। हाई कोर्ट की अन्तरिम (interim) रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि वे इस मामले में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

पी० एम० यू० पी०—ए० पी० २० एल० ए०—१९६३ (प्रो०)—८५०।